रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269302
CG-DL-E-12012026-269302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947
No. 36] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

वास्तुकला परिषद्

(भारत सरकार का एक संवैधानिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

वार्षिक प्रतिवेदन 2024–2025

फा. सं. सीए/55/2025/वार्षिक प्रतिवेदन .–वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित वास्तुकला परिषद् को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वास्तुकला परिषद् (सीओए) देश में वास्तुकला संस्थानों और व्यवसायियों के लिए नियामक प्राधिकरण है और राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुविदों की एक पंजिका अनुरक्षित करती है। शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार का परिषद् का केंद्रक मंत्रालय है।

वास्तुविदों की पंजिका के अनुरक्षण के अतिरिक्त, सीओए समय–समय पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा निरीक्षण करके अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त योग्यताओं के मानकों के अनुरक्षण की निगरानी करती है। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर, सीओए संस्थानों द्वारा बनाए गए मानकों की अपर्याप्तता के संबंध में संबंधित सरकार को अभ्यावेदन दे सकती है। प्रोफे. अभय वी. पुरोहित परिषद् के अध्यक्ष और वास्तुविद गजानंद राम उपाध्यक्ष हैं। श्री आर. के. ओबेरॉय परिषद् के रजिस्ट्रार तथा श्री दीपक कुमार उप रजिस्ट्रार हैं। अधिनियम और इसके अंतर्गत विरचित विनियमों के उद्देश्यों को पूर्ण करने के क्रम में, परिषद् ने निम्नलिखित संवैधानिक समितियों का गठन किया है :

(i) कार्यकारिणी समिति का गठन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है तथा यह परिषद् के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।

(ii) अनुशासनात्मक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद् के नियमों के अनुसार किया गया है। यह समिति वास्तुविदों के पेशेवर कदाचार से संबंधी शिकायतों और पूछताछ की जांच करती है और वास्तुविदों के दोषी होने के संबंध में निर्णय लेने हेतु परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

(iii) सलाहकार समिति (अपील) उन आवेदकों की अपील सुनती है जिनके पंजीकरण आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
(iv) विदेशी योग्यताओं पर गठित उप–समिति, विदेशी योग्यताओं की मान्यता के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच करती है।

दिनाँक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक परिषद् द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

1. संवैधानिक बैठकें :

वास्तुकला परिषद् की बैठकें :

इस वर्ष के दौरान, परिषद् ने पूर्ण परिषद् की निम्नलिखित बैठकें आयोजित कीं :

- परिषद् की 82वीं बैठक शनिवार, 20 जुलाई, 2024 को कॉन्फ्रेंस हॉल, होटल सोलर रेजिडेंसी, राज बाग, श्रीनगर – 190008, जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई।

  दिनाँक 20 जुलाई 2024 को हुई 82वीं परिषद् की बैठक के बाद, अध्यक्ष ने आईआईए जम्मू चैप्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और जम्मू–कश्मीर में गैर–वास्तुविदों द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में काम करने और "वास्तुविद" उपाधि के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की। उन्होंने चैप्टर को आश्वासन दिया कि परिषद् इन उल्लंघनों को दूर करने और पेशेवर मानकों की रक्षा के लिए उचित कानूनी और नियामक कार्रवाई करेगी।

- परिषद् की 83वीं बैठक मंगलवार और बुधवार, 21–22 जनवरी 2025 को प्राइड होटल, 93, रिचमंड रोड, लैंगफोर्ड गार्डन्स, बेंगलुरु – 560025, कर्नाटक में आयोजित की गई थी।

अपनी बैठकों के दौरान, वास्तुकला परिषद् ने पेशे को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें विनियामक सुधार, शिक्षा के भविष्य की दिशाएँ और नीतिगत पहल शामिल हैं। चर्चाओं में पेशेवर प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, शैक्षिक संसाधनों की कमी को दूर करने और मान्यता ढाँचों को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। परिषद् ने शैक्षिक सुधारों की समीक्षा भी की, विभिन्न पेशेवर और शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन किया, वैश्विक मंचों में भाग लिया और शासन को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया, साथ ही भारत में वास्तुकला शिक्षा और अभ्यास को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

कार्यकारिणी समिति की बैठकें : इस वर्ष के दौरान, वास्तुकला परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने निम्नलिखित अनुसार 11 बैठकें आयोजित कीं :

क्र.सं.	बैठक सं.	दिनांक	माध्यम
1.	259वीं बैठक	10 मई, 2024,	ऑनलाइन
2.	260वीं बैठक	14 जून, 2024,	हाइब्रिड
3.	261वीं बैठक	13 जुलाई, 2024,	ऑनलाइन
4.	262वीं बैठक,	19 जुलाई, 2024,	भौतिक रूप से
5.	263वीं बैठक	11 सितंबर, 2024,	ऑनलाइन
6.	264वीं बैठक	24 सितंबर, 2024	ऑनलाइन
7.	265वीं बैठक	15 अक्टूबर, 2024	भौतिक रूप से
8.	266वीं बैठक	28 दिसंबर, 2024	भौतिक रूप से
9.	267वीं बैठक	16 जनवरी, 2025	हाइब्रिड
10.	268वीं बैठक	20 जनवरी, 2025	भौतिक रूप से
11.	269वीं बैठक	19 मार्च, 2025	हाइब्रिड

2. **वास्तुविदों का पंजीकरण** : परिषद् अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उस व्यक्ति को वास्तुविद के रूप में पंजीकृत करती है, जो भारत में निवास करता हो या वास्तुकला का पेशा करता हो और जिसके पास वास्तुकला की मान्यता प्राप्त योग्यता हो। पंजीकरण आवेदन और शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किए जा सकते हैं। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान, परिषद् ने 14062 योग्य व्यक्तियों को वास्तुविद के रूप में पंजीकरण प्रदान किया है। इसके साथ ही 31 मार्च, 2025 तक कुल 183963 वास्तुविद पंजीकृत हो चुके हैं। दिनाँक 31.03.2025 तक वैध पंजीकरण रखने वाले 142748 वास्तुविदों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान पंजीकृत वास्तुविद	31.03.2025 के अनुसार कुल पंजीकृत वास्तुविद	31.03.2025 के अनुसार वैध नवीनीकरण वाले सक्रिय वास्तुविद
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	66	55
2	आंध्र प्रदेश	371	3156	2384
3	अरुणाचल प्रदेश	7	112	97
4	असम	87	1201	1024

5	बिहार	78	1447	1154
6	द्वारा 56 एपीओ	0	2	1
7	द्वारा 99 एपीओ	0	1	1
8	चंडीगढ़	41	1152	902
9	छत्तीसगढ़	120	1654	1260
10	दादरा एवं नगर हवेली	2	46	37
11	दमन और दीव	3	60	42
12	दिल्ली	557	14106	10626
13	गोवा	48	1138	988
14	गुजरात	766	11472	8561
15	हरियाणा	360	6669	5459
16	हिमाचल प्रदेश	85	957	802
17	जम्मू और कश्मीर	49	595	502
18	झारखंड	51	896	708
19	कर्नाटक	1331	14169	11125
20	केरल	1754	12837	10048
21	लद्दाख	1	18	14
22	लक्षद्वीप	2	7	5
23	मध्य प्रदेश	366	5110	3830
24	महाराष्ट्र	3274	48978	38731
25	मणिपुर	15	209	177
26	मेघालय	15	213	183
27	मिजोरम	24	191	183
28	नगालैंड	20	138	111
29	ओडिशा	153	1906	1555
30	पुडुचेरी	42	427	325
31	पंजाब	225	3508	2768
32	राजस्थान	281	3871	3020
33	सिक्किम	11	143	115
34	तमिलनाडु	2032	22732	16182
35	तेलंगाना	790	7098	5445
36	त्रिपुरा	7	77	64
37	उत्तर प्रदेश	779	12435	10099
38	उत्तराखंड	73	1410	1122
39	पश्चिम बंगाल	236	3756	3043
	कुल	14062	183963	142748

3. **वास्तुविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण** : प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने 20,023 वास्तुविदों का वार्षिक आधार पर पंजीकरण नवीनीकरण किया, जबकि 5,018 वास्तुविदों ने एक बार के नवीनीकरण का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त, 25,041 वास्तुविदों ने आवश्यक शुल्क का भुगतान करके वास्तुविदों की पंजिका में अपना नाम पुनः दर्ज कराया है।

4. **वैध पंजीकरण वाले वास्तुविदों को नवीन पंजीकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करना :** प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् ने नवीन पंजीकृत वास्तुविदों के साथ–साथ अपने मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस करने वाले वास्तुविदों को भी नवीन पंजीकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र निःशुल्क जारी किये हैं।

1. मौजूदा पंजीकृत वास्तुविद : 10602
2. नवीन पंजीकृत वास्तुविद : 14062

दिनाँक 31.03.2025 तक, परिषद् ने 80601 वास्तुविदों को नवीन पंजीकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र निःशुल्क जारी किए हैं।

5. **परिषद् द्वारा वास्तुविदों के लिए डिजिटल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना** : वास्तुकला परिषद् (सीओए) ने पूरे भारत में पंजीकृत वास्तुविदों के लिए डिजिटल पंजीकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है। इस पहल के अंतर्गत पारंपरिक भौतिक प्रमाण पत्रों को एक सुरक्षित, प्रौद्योगिकी–आधारित प्रारूप से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे सीओए पोर्टल के माध्यम से कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम करके सुविधा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना है। पंजीकृत वास्तुविद अब आसानी से अपने प्रमाणपत्र ऑनलाइन स्तर पर डाउनलोड और सत्यापित कर सकते हैं, जो आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन के प्रति परिषद् की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

6. **वास्तुविदों के पहचान पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध** : रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान परिषद् ने डिजिलॉकर के माध्यम से वास्तुविदों के पहचान पत्रों तक डिजिटल पहुंच को सक्षम बनाया है, जो पंजीकृत वास्तुविदों के लिए एक सुरक्षित, कागज रहित और आसानी से सुलभ विकल्प प्रदान करता है। वास्तुविद अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉग इन करके, वास्तुकला परिषद् खोजकर और दस्तावेज प्राप्त करके अपना पहचान पत्र देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह पहल सत्यापन को सरल बनाती है, दस्तावेज सुरक्षा को बढ़ाती है और पर्यावरण के अनुकूल रिकॉर्ड रखने को बढ़ावा देती है––जिससे वास्तुविद और हितधारक दोनों को लाभ होता है।

7. **वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए बजट अनुमान** : परिषद् की कार्यकारी समिति ने 28 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी 258वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए बजट अनुमानों को मंजूरी दी, जिसमें आवर्ती व्यय 2886.05 लाख रुपये और गैर–आवर्ती व्यय 545.00 लाख रुपये है, जबकि प्राप्त होने वाली आय 3431.16 लाख रुपये है। बजट में छात्रवृत्ति, अनुसंधान अनुदान और शैक्षिक पहलों के माध्यम से छात्रों, संकाय और संस्थानों का समर्थन करके वास्तुकला शिक्षा और पेशे को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। यह क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों, सहकर्मी–समीक्षित पत्रिकाओं, डिजिटल पुस्तकालयों और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्रों सहित ज्ञान संसाधनों के विकास को प्राथमिकता देता है, जिससे व्यापक पहुंच और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रतिभा को पहचान और प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार, प्रतियोगिताएं और द्विवार्षिक प्रदर्शनियां शुरू की जाती हैं, जबकि कार्यशालाएं, सम्मेलन और डिजिटल उन्नयन पेशेवर क्षमता और वैश्विक जुड़ाव को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं। ये सभी उपाय मिलकर समावेशिता, शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और पेशेवर विकास को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक अधिक जीवंत और भविष्य के लिए तैयार वास्तुकला समुदाय की नींव रखी जाती है।

8. **भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा वास्तुकला कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की मान्यता** : परिषद् ने भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा वास्तुकला कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की मान्यता हेतु आवश्यक आवेदन/दस्तावेज आयकर विभाग को प्रस्तुत किए। सीओए–सीपीएफ ट्रस्ट को भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा पत्र सं. सीआईटी (ई)/प्रोविडेंट फंड/2024–25/964 दिनाँक 03.09.2024 के माध्यम से मान्यता प्राप्त हो गई है।

9. **दिनाँक 01.07.2012 से 30.06.2017 तक की अवधि के दौरान वास्तुकला परिषद् द्वारा एकत्रित किए गए संवैधानिक शुल्कों और प्रभारों पर सेवा कर लगाए जाने के विरुद्ध परिषद् द्वारा दायर अपील** : परिषद् ने 15.12.2016 को अपील संख्या एसटी/53090/2016–डीबी दायर की थी, जिसमें सेवा कर, शिक्षा उपकर और एचएसईसी तथा विभिन्न प्राप्त/प्रदान की गई सेवाओं पर 1,73,60,950/– रुपये की मांग के विरुद्ध 17,36,095/– रुपये की राशि जमा की गई थी, साथ ही वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75, 76, 77 और 78 के अंतर्गत ब्याज और जुर्माने का भी भुगतान करना था, जो कि प्रधान सेवा कर आयुक्त, दिल्ली–।। द्वारा जारी किया गया था। वर्षवार सेवा कर की मांग नीचे दी गई है :

1. दिनाँक 01.07.2012 से 31.03.2013 की अवधि हेतु रु. 29,01,463/–
2. दिनाँक 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि हेतु रु. 58,41,183/– और
3. दिनाँक 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि हेतु रु. 86,18,304/–

इसके अतिरिक्त, परिषद् ने दिनाँक 01.08.2022 को अपील संख्या एसटी/5194/2022–सीयू (डीबी) दाखिल करते हुए सेवा कर की प्री–डिपॉजिट (अग्रिम राशि) के रूप में 19,03,860 रुपये जमा किए थे, जो कुल मांग का 7.5% और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत अनिवार्य प्री–डिपॉजिट है। वर्षवार सेवा कर की मांग नीचे दी गई है :

1. दिनाँक 01–04–2015 से 31–03–2016 की अवधि हेतु रु. 69,16,284/–
2. दिनाँक 01–04–2016 से 30–06–2017 की अवधि हेतु रु. 1,84,68,492/–

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष कई सुनवाइयों के बाद, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने 19.07.2024 के अपने आदेश द्वारा सेवा कर, शिक्षा उपकर और एचएसईसी के साथ–साथ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75, 76, 77 और 78 के अंतर्गत ब्याज और जुर्माने की मांग के विरुद्ध अपीलें स्वीकार कर लीं। ये अपीलें परिषद् द्वारा 01.07.2012 से 30.06.2017 की अवधि के दौरान प्राप्त विभिन्न शुल्कों पर लगाई जानी थीं। माननीय न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि परिषद् आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसके अनुसार गैर–लाभकारी संगठन सेवाकर छूट के पात्र हैं।

10. **वास्तुकला परिषद् कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 1999 में संशोधन** : परिषद् ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को वास्तुकला परिषद् कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 1999 में संशोधन के लिए अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य परिषद् में अतिरिक्त पदों का सृजन करना है ताकि बढ़े हुये कार्यभार को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। यह मामला वर्तमान में मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है।

11. केंद्र सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद् की अनुशासनात्मक समिति का पुनर्गठन : केंद्र सरकार ने वास्तुविद् अधिनियम 1972 और वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनाँक 3 जुलाई, 2013 की अधिसूचना एस.ओ. 2115(ई) के अनुसार एक संशोधन के माध्यम से दिनाँक 20.11.2024 की अधिसूचना द्वारा वास्तुकला परिषद् की अनुशासनात्मक समिति का पुनर्गठन किया। अनुशासनात्मक समिति के सदस्य निम्नलिखित अनुसार हैं :

1. वास्तुविद नवीन कनिथी, अध्यक्ष – वास्तुकला परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित।
2. वास्तुविद पुष्कर मुरलीधर कनविंदे, सदस्य – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का प्रतिनिधित्व करते हुए।
3. वास्तुविद अजय केशव, मुख्य वास्तुविद, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सदस्य – केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए।

12. वास्तुकला संस्थानों के प्रमुखों की परिषद् के सदस्यों का चुनाव : शिक्षा मंत्रालय ने दिनाँक 01.10.2024 और 20.11.2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से, भारत में मान्यता प्राप्त योग्यताओं के लिए पूर्णकालिक शिक्षण प्रदान करने वाले वास्तुकला संस्थानों के प्रमुखों के लिए वास्तुकला परिषद् में सदस्यों के दो रिक्त पदों को अधिसूचित किया, जिनका चुनाव केवल शेष अवधि के लिए, वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 3 की उप–धारा (3) के खंड (ग) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना था।

13. भारतीय वास्तुविद संस्थान के पांच सदस्यों का परिषद् के सदस्य के रूप में चुनाव : शिक्षा मंत्रालय ने दिनाँक 27 अगस्त, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, भारतीय वास्तुविद संस्थान (आईआईए), मुंबई द्वारा निर्वाचित पांच वास्तुविदों को वास्तुकला परिषद् (सीओए), नई दिल्ली के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। आईआईए से निर्वाचित सदस्य हैं : वास्तुविद कमला कांत अस्थाना (उत्तरी क्षेत्र – लखनऊ), वास्तुविद बी. आर. मोहन (दक्षिणी क्षेत्र – बैंगलोर), वास्तुविद नीलेश दिलीपराव चव्हाण (पश्चिमी क्षेत्र – नासिक), वास्तुविद संजीव बंब (मध्य क्षेत्र – इंदौर) और वास्तुविद स्वप्नदत्ता मोहंती (पूर्वी क्षेत्र – भुवनेश्वर)।

14. वास्तुकला परिषद् में सदस्यों का नामांकन : प्रतिवेदन की अवधि के दौरान, वास्तुकला परिषद् को विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संवैधानिक निकायों से निम्नलिखित वास्तुविदों के नामांकन प्राप्त हुए, जिन्हें वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिषद् के सदस्य के रूप में नामित किया गया:

1. वास्तुविद लालेंगजुआली तियालचुआ चिंजाह – मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामित
2. वास्तुविद केविसिनो अंगामी – नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नामित
3. वास्तुविद राजीव कुमार – केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा नामित
4. वास्तुविद आर. कमला देवी – केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा नामित
5. वास्तुविद के. उदय – कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामित
6. वास्तुविद एन. मयिल – केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा नामित
7. वास्तुविद नमिता कुमारी मोहपात्रा – ओडिशा राज्य सरकार द्वारा नामित
8. वास्तुविद विदुर मेहता – हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामित
9. वास्तुविद अजय केशव – केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित
10. वास्तुविद बिनुमोल टॉम – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित
11. वास्तुविद पुष्कर मुरलीधर कनविंदे – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों को उनके अगले कार्यकाल के लिए पुनः नामित किया गया :

1. वास्तुविद नवीन कनिथी – आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः नामित।
2. वास्तुविद विशाल अरुणकुमार व्यास – गुजरात राज्य सरकार द्वारा तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः नामित।
3. डॉ. जी. एस. इंडा – भारतीय सर्वेक्षण संस्थान (इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वेयर्स इंडिया) द्वारा तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः नामित।
4. वास्तुविद नदिशा वी.एम. – लक्षद्वीप राज्य सरकार द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नामित।
5. वास्तुविद रवि कुमार आर. – तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नामित।
6. सुश्री सौम्य गुप्ता आईएएस – केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नामित।

15. परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव : शिक्षा मंत्रालय ने दिनाँक 01.10.2024 और 30.10.2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से परिषद् की कार्यकारी समिति की सदस्यता में पांच रिक्तियों की अधिसूचना जारी की थी। इन रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा वास्तुविद् अधिनियम 1972 और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत शीघ्र ही चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

16. शैक्षिक सत्र 2024–2025 हेतु वास्तुकला संस्थानों की स्वीकृति : वास्तुकला परिषद् ने शैक्षिक सत्र 2024–2025 के दौरान देश में मान्यताप्राप्त वास्तुकला योग्यतायें प्रदान करने वाले 367 संस्थानों (संयुक्त अरब अमीरात में 2 संस्थानों को सैरकर) को स्वीकृति का विस्तार प्रदान किया है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वर्ष के दौरान, 5 नए संस्थानों को वास्तुकला कार्यक्रम में स्नातकोत्तर (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम) संचालित करने की स्वीकृति दी गई और 7 (9 कार्यक्रम) विद्यमान संस्थानों को स्नातकोत्तर कार्यक्रम आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। राज्यवार संस्थानों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र. सं.	राज्य / केंद्रशासित राज्य	वास्तुकला संस्थानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	8
2	असम	2
3	बिहार	2
4	छत्तीसगढ़	2
5	चंडीगढ़	1
6	दिल्ली	7
7	गोवा	1
8	गुजरात	21
9	हिमाचल प्रदेश	2
10	हरियाणा	15
11	झारखंड	1
12	जम्मू एवं कश्मीर	4
13	कर्नाटक	40
14	केरल	32
15	महाराष्ट्र	77
16	मेघालय	1
17	मध्य प्रदेश	13
18	मिजोरम	1
19	ओडिशा	7
20	पंजाब	14
21	पुडुचेरी	1
22	राजस्थान	14
23	तमिलनाडु	57
24	तेलंगाना	13
25	उत्तराखंड	3
26	उत्तर प्रदेश	20
27	पश्चिम बंगाल	8
28	**कुल**	**367**

इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों में बी.आर्क. पाठ्यक्रम में न्यूनतम 30% सीटें न भरने अथवा परिषद् के अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण, शैक्षिक सत्र 2024–2025 के दौरान 12 संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे।

17. तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम(मों) को अनुमोदन प्रदान करना : शैक्षिक सत्र 2024–2025 के दौरान, परिषद् ने 10 (12 कार्यक्रम) नवीन डिप्लोमा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया है तथा 3 वर्षीय डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर/आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप और डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन प्रदान करने के लिये 91 संस्थानों के अनुमोदन को विस्तार दिया है। इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 25 विद्यमान स्नातक स्तरीय वास्तुकला संस्थानों को आर्किटेक्चर/आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में 3 वर्षीय डिप्लोमा और इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा आरंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और आर्किटेक्चर/आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में 3 वर्षीय डिप्लोमा और इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा प्रदान करने के लिए 33 संस्थानों को अनुमोदन का विस्तार दिया है।

18. शैक्षिक सत्र 2024–2025 के लिए पांच वर्षीय बी.आर्क. उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा (एनएटीए) का आयोजन : परिषद्, वर्ष 2006 से बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा (एनएटीए) का आयोजन कर रही है। वर्ष 2024 में, परिषद् द्वारा अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक शनिवार और रविवार को दो शिफ्टों में एनएटीए का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य शैक्षिक सत्र 2024–2025 के लिए पांच वर्षीय बी.आर्क. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश देना था। यह परीक्षा 36 दिनों में 72 सत्रों (दो पारियों) में देश भर में परिषद् द्वारा चिन्हित लगभग 213 परीक्षा केंद्रों और चयनित अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर आयोजित की गई थी। यह परीक्षा दो भागों में आयोजित की गई थी : भाग–अ (ड्राइंग और कंपोजीशन) ऑफलाइन मोड में और भाग– ब (बहु विकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू)

ऑनलाइन मोड में। एनएटीए 2024 के लिए कुल 23461 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से कुल 19888 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए। उपस्थित उम्मीदवारों में से 19585 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परिषद् द्वारा एनएटीए 2025 के आयोजन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

19. शैक्षिक सत्र 2024–2025 के लिए वास्तुकला संस्थानों में प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वास्तुकला में स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का आयोजन : परिषद् ने शैक्षिक सत्र 2024–2025 के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित वास्तुकला संस्थानों में संचालित किये जा रहे स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहली स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2024 (पीजीईटीए) 28 जुलाई 2024 एवं 04 अगस्त 2024 को आयोजित की। पीजीईटीए 2024 के लिए कुल 1289 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से कुल 1151 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए। पीजीईटीए का परिणाम दोनों परीक्षाओं के प्रतिशत अंकों के आधार पर प्रकाशित किया गया था, और यदि किसी उम्मीदवार ने दो परीक्षाएं दी हैं, तो दोनों में से प्राप्त प्रतिशत अंकों में से सर्वश्रेष्ठ अंक ही मान्य होंगे। परिषद् ने पीजीईटीए 2024 में उत्तीर्ण होने वाले शीर्ष 50 रैंक वाले उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी घोषणा की है।

20. परिषद् द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों को विभिन्न मुद्दों पर भेजे गए पत्र : प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, वास्तुविदों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर परिषद् ने स्थानीय निकायों द्वारा वास्तुकला व्यवसाय करने के लिए वास्तुविदों को स्थानीय पंजीकरण करवाने, वास्तुकला पदों पर गैर–वास्तुविदों की नियुक्ति आदि विषयों से संबंधित मुद्दों पर निम्नलिखित प्राधिकरणों को पत्र लिखे हैं। इनका विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	प्राधिकरण	विषय / मुद्दा
1	प्रबंध निदेशक, मैसर्स साइबर कॉर्पोरेशन मणिपुर लिमिटेड (सीसीएमएल)	मैसर्स साइबर कॉर्पोरेशन मणिपुर लिमिटेड (सीसीएमएल) के वास्तुविद की नियुक्ति संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन।
2	भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और भारत के सभी नगर निगम विकास प्राधिकरणों के सीईओ एवं उपाध्यक्ष को	वास्तुविद अधिनियम, 1972 (केंद्रीय कानून) के प्रावधानों का प्रवर्तन – वास्तुकला पद(दों) के लिए वास्तुविदों की नियुक्ति – के संबंध में।
3	अध्यक्ष, एनडीएमसी, आयुक्त, एमसीडी और उप सचिव, डीएसएसएसबी	डीएसएसएसबी में भर्ती नियमों में संशोधन
4	माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल राज्य	वास्तुविद् अधिनियम 1972 (एक केंद्रीय कानून) का उल्लंघन (शहरी विकास एवं नगर पालिका विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार)
5	अध्यक्ष, बारानगर नगर पालिका, पश्चिम बंगाल	वास्तुविद् अधिनियम 1972 (एक केंद्रीय कानून) का उल्लंघन
6	इटली दूतावास, नई दिल्ली	वास्तुविद सुश्री वंशिका शर्मा द्वारा इतालवी दूतावास से डीओवी के लिए अनुरोध
7	माननीय राज्यपाल, तमिल नाडु राज्य	तमिल नाडु संयुक्त विकास एवं भवन नियमावली 2019 में वास्तुविद् अधिनियम 1972 (एक केंद्रीय कानून) का उल्लंघन – के संबंध में
8	मुख्य सचिव, सचिवालय, केरल सरकार तथा सचिव, पीडब्ल्यूडी, तिरुवनंतपुरम	वास्तुविद् अधिनियम 1972 (एक केंद्रीय कानून) का उल्लंघन
9	माननीय नगर पालिका प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव	आंध्र प्रदेश में वास्तुविदों द्वारा गैर–ऊंची इमारतों के डिजाइन और नियोजन के भवन नियोजनों की स्वीकृति – के संबंध में
10	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार और आयुक्त, शिमला नगर निगम	शिमला नगर निगम में लोक सूचना अधिकारी सह–वास्तुविद योजनाकार के पद पर एक गैर–वास्तुविद की नियुक्ति में वास्तुविद् अधिनियम 1972 और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन – के संबंध में।
11	मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार और प्रधान सचिव नगर प्रशासन निदेशालय महाराष्ट्र सरकार	स्थानीय निकायों/महाराष्ट्र सरकार के नगर नियोजन एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वास्तुविद् अधिनियम 1972 और बॉम्बे उच्च न्यायालय सहित माननीय उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के उल्लंघन में वास्तुविदों का पंजीकरण – के संबंध में।
12	माननीय नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री, आंध्र प्रदेश	भवन उप–नियमों पर सरकारी आदेश के मसौदे में संशोधन का अनुरोध – के संबंध में।
13	अध्यक्ष, एनडीएमसी, नई दिल्ली	एनडीएमसी में भवन योजनाओं की स्वीकृति के लिए वास्तुविदों के पंजीकरण का दुरुपयोग – वास्तुकला परिषद् द्वारा वास्तुविदों को संशोधित/नया पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना – के संबंध में।
14	मुख्य सचिव, चंडीगढ़, हरियाणा सरकार	वास्तुविद् अधिनियम 1972 (एक केंद्रीय कानून) के प्रवर्तन के अंतर्गत, अनुमोदन हेतु रेखाचित्र/योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए एचएसवीपी द्वारा पैनल में शामिल किए जाने पर जोर देना – के संबंध में।

15	मुख्य सचिव, बिहार सरकार	वास्तुविद् अधिनियम 1972 (एक केंद्रीय कानून) का प्रवर्तन – के संबंध में।
16	मुख्य सचिव, केरल सरकार	वास्तुविद् अधिनियम 1972 (एक केंद्रीय कानून) के प्रवर्तन के अंतर्गत, अनुमोदन हेतु केरल नगर पालिका भवन नियमावली–2019 के अंतर्गत पैनल में शामिल किए जाने के लिए वास्तुविदों पर जोर देना – के संबंध में।
17	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार	सार्वजनिक भवन परियोजनाओं के लिए व्यापक डिजाइन परामर्शन सेवाएं प्रदान करने हेतु शुल्क संरचना – के संबंध में।

21. वास्तुविदों के चयन/नियुक्ति के संबंध में परिषद् द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों/उपक्रमों को भेजे गए पत्र : परिषद् ने कई सार्वजनिक प्राधिकरणों को वास्तुकला परिषद् के प्रतियोगिता दिशानिर्देशों के अनुसार और परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर वास्तुविदों की नियुक्ति करने के लिए पत्र लिखा। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् ने निम्नलिखित संगठनों से वास्तुविदों के चयन/नियुक्ति के लिए परिषद् के मानदंडों का पालन करने का अनुरोध किया है :

1. मुख्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और प्रबंध निदेशक, नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी पुडुचेरी
2. निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
3. कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय प्रभाग, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर शाखा, नारनौल
4. आयुक्त, आईएएस ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन
5. एसकेयूएएसटी– श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
6. इंदौर स्मार्ट सिटी कार्यालय, इंदौर
7. सहायक महाप्रबंधक (पी एंड ई), भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई
8. निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, मणिपुर
9. मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी, (आर एंड बी) दक्षिण कश्मीर, कश्मीर
10. सहायक महाप्रबंधक, (पी एंड ई), भारतीय स्टेट बैंका, भुवनेश्वर
11. निदेशक, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी
12. मुख्य महाप्रबंधक, एलएचओ, भारतीय स्टेट बैंक, भुवनेश्वर
13. प्रबंध निदेशक, महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम (महाराष्ट्र सरकार)
14. प्रधान सचिव, शहरी प्रशासन एवं विकास निदेशालय, मध्य प्रदेश

22. पेशेवर कदाचार संबंधी शिकायतें : वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 22 और 30 के अंतर्गत परिषद् को पेशेवर कदाचार के लिए वास्तुविदों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने ऐसी शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 बनाई है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद् को वास्तुविदों के विरुद्ध 35 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के अनुसार, परिषद् द्वारा संदर्भित कथित पेशेवर कदाचार के लिए वास्तुविदों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जाता है। अनुशासनात्मक समिति में वास्तुविद नवीन कनिथी अध्यक्ष तथा वास्तुविद पुष्कर मुरलीधर कनविंदे, सदस्य और वास्तुविद अजय केशव, सदस्य हैं। अनुशासनात्मक समिति की बैठकें तीन बार, अर्थात् 27.12.2024, 09.01.2025 और 17.02.2025 को हुईं और ये बैठकें हाइब्रिड मोड में आयोजित की गईं। समिति ने अधिनियम की धारा 30 और वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत 15 शिकायत संबंधी मामलों की जांच की।

23. वास्तुविद बनकर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी लोगों के विरुद्ध शिकायतें : वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 36 और 37 वास्तुविद की उपाधि और पदवी के दुरुपयोग पर रोक लगाती हैं और यदि कोई व्यक्ति वास्तुविद की उपाधि और पदवी का दुरुपयोग करता है या स्वयं को वास्तुविद के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, तो उस पर इस सब के लिये 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिषद् को ऐसे अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वास्तुविद के पेशे के अनधिकृत अभ्यास के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिन्हें अक्सर "फर्जी वास्तुविद" कहा जाता है। प्रत्येक शिकायत की गहन जांच की जाती है और पेशे की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने के लिए वास्तुविद् अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, परिषद् को वास्तुविद् अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वास्तुविदों की उपाधि और पदवी का दुरुपयोग करने वाले गैर–वास्तुविदों के विरुद्ध 67 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और परिषद् द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई की गई।

24. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत सूचना का प्रेषण : सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् में श्री दीपक कुमार, उप–रजिस्ट्रार, जन सूचना अधिकारी हैं और श्री राज कुमार ओबेरॉय रजिस्ट्रार, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने 64 सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों के संबंध में सूचना प्रदान की और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अनुसार 11 प्रथम अपीलों का समाधान किया। परिषद् ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों तथा उत्तरवर्ती अपीलों की संख्या को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतम जानकारी प्रसारित करने के प्रयास किये हैं।

25. न्यायालयी प्रकरण : प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, वास्तुविद् अधिनियम 1972 और उसके अंतर्गत विरचित विनियमावली के प्रावधानों को बनाए रखने के लिए परिषद् द्वारा निम्नलिखित नवीन न्यायालयी प्रकरणों पर विचार किया गया था :

क्र. सं.	नाम	न्यायालय	विचारित विषय	वर्तमान स्थिति
1.	भारत के सर्वोच्च न्यायालय के असाधारण अपीलीय क्षेत्राधिकार में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना सहित अपील (सिविल) संख्या 8034 वर्ष 2024 की विशेष अनुमति के लिए याचिका इनामुल हसन विरुद्ध वास्तुकला परिषद्, (सीओए) और अन्य	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	नए संस्थान की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि की अनिवार्यता को चुनौती देना।	निस्तारित
2.	गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद में विशेष सिविल आवेदन संख्या 10704 वर्ष 2024 प्रकरण में :– आरव मजीठिया.....याचिकाकर्ता : विरुद्ध : वास्तुकला और नियोजन संस्थान और अन्य ..... प्रतिवादी	गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद	दूसरे संस्थान में स्थानांतरण के लिए एनओसी जारी न किए जाने के संबंध में।	वापस लेने के रूप में
3.	गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद में विशेष सिविल आवेदन संख्या 11138 वर्ष 2024 प्रकरण में :– उत्कर्ष गुप्ता .....याचिकाकर्ता : विरुद्ध : वास्तुकला और नियोजन संस्थान और अन्य .....प्रतिवादी	गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद	परिसर में परिवर्तन और नए भवन में महाविद्यालय आरंभ करने के संबंध में।	निस्तारित
4.	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (सिविल मूल क्षेत्राधिकार) में रिट याचिका संख्या (सिविल) संख्या 12448 वर्ष 2024 प्रकरण में : सिद्धार्थ थॉमस .....याचिकाकर्ताः विरुद्ध वास्तुकला परिषद् और अन्य .....प्रतिवादी	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत यूके के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई एम.आर्क डिग्री की मान्यता के संबंध में।	लंबित
5.	पटना उच्च न्यायालय (सिविल रिट क्षेत्राधिकार) में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13146 वर्ष 2024 प्रकरण में : प्रांजल राज .....याचिकाकर्ता : विरुद्ध बिहार राज्य और अन्य .....प्रतिवादी	न्यायिक उच्च न्यायालय, पटना	एनआईटी पटना में जेईई के माध्यम से बी.आर्क पाठ्यक्रम में प्रवेश न देने के संबंध में।	लंबित
6.	रिट याचिका 31166 वर्ष 2024 का प्रस्तुत होना कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रकरण में : वास्तुकला परिषद् .....याचिकाकर्ता विरुद्ध : कर्नाटक राज्य और अन्य (कर्नाटक व्यावसायिक सिविल इंजीनियर अधिनियम, 2024) .....प्रतिवादी	कर्नाटक उच्च न्यायालय	कर्नाटक व्यावसायिक सिविल इंजीनियर अधिनियम, 2024 को चुनौती देने के संबंध में।	लंबित
7.	नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में पत्र पेटेंट अपील संख्या 1064/2024 रिट याचिका (सिविल) संख्या 16402/2022 में मामले में: वास्तुकला परिषद् ... अपीलकर्ता विरुद्ध एआर बेला अग्रवाल और अन्य .....प्रतिवादी	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	व्यावसायिक कदाचार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के संबंध में।	निस्तारित
8.	पंजाब और हरियाणा राज्य के माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में सिविल रिट याचिका संख्या 26069 वर्ष 2024 प्रकरण में : पुनीत सेठी और अन्य .....याचिकाकर्ता विरुद्ध भारत संघ और अन्य ....प्रतिवादी	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़	भारतीय वास्तुविद संस्थान द्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 3(3)(क) के अंतर्गत परिषद् के सदस्यों के लिए आयोजित चुनावों के संबंध में।	08.07.2025 को निरस्त
9.	मुंबई उच्च न्यायालय में प्रकरण में : रिट याचिका (स्टांप) संख्या 27308 वर्ष 2024 डब्ल्यू.पी. नं. 17268 वर्ष 2024 श्री प्रदीप काले .....याचिकाकर्ता विरुद्ध भारत संघ, संयुक्त सचिव के माध्यम से और अन्य ..... प्रतिवादीगण	मुंबई उच्च न्यायालय	वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 3(3)(क) के अंतर्गत परिषद् के 5 सदस्यों के लिए आईआईए द्वारा आयोजित चुनाव।	निस्तारित

10.	मुंबई उच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार रिट याचिका संख्या 7732 वर्ष 2024 आनंद पवन कुमार खोसला उर्फ चांकविन .....याचिकाकर्ता विरुद्ध आकार वास्तुविद्स एंड कंसल्टेंट्स और अन्य .....प्रतिवादीगण	न्यायिक उच्च न्यायालय, मुंबई	पेशेवर कदाचार के आरोप में दायर एक शिकायत के संबंध में, जिसे परिषद् ने वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के अनुसार प्रक्रिया का पालन करने के बाद खारिज कर दिया।	प्रवेश–पूर्व प्रक्रिया लंबित
11.	मुंबई उच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार रिट याचिका संख्या 32721 वर्ष 2024 डब्ल्यू. पी. नं.– 17635/2024 प्रकरण में : श्रीमती प्रीति गिरीश पाटिल .... याचिकाकर्ता विरुद्ध वास्तुकला परिषद् और अन्य ....प्रतिवादी	न्यायिक उच्च न्यायालय, मुंबई	याचिकाकर्ता ने परिषद् के दिनांक 25.09.2024 की सूचना के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें उनसे श्री हिम्मत पोपटराव पवार द्वारा उनके विरुद्ध दायर कथित पेशेवर कदाचार की शिकायत के विरुद्ध अपना बचाव प्रस्तुत करने को कहा गया था।	प्रवेश–पूर्व प्रक्रिया लंबित
12.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती में डब्ल्यू.पी. नं. 26028 वर्ष 2024 प्रकरण में : प्रोफे. मिलिंद कोललेगल ....याचिकाकर्ता विरुद्ध भारत संघ और अन्य ....प्रतिवादीगण	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती	याचिकाकर्ता की 65 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी एपी19–एम.आर.के. वास्तुकला महाविद्यालय में प्रोफेसर और संस्थान प्रमुख के पद पर निरंतर बने रहने की पात्रता।	लंबित
13.	दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष असाधारण दीवानी क्षेत्राधिकार डब्ल्यू.पी. (सी) नं. 17136 वर्ष 2024 प्रकरण में : वामिका यादव ....याचिकाकर्ता विरुद्ध : वास्तुकला परिषद् और अन्य ....प्रतिवादीगण	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एम.आर्क. डिग्री की मान्यता के संबंध में, जो कि वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत दी गई है।	लंबित अगली सुनवाई की तिथि 28.08.2025
14.	माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण–पूर्व जिला, साकेत कोर्ट, दिल्ली के न्यायालय में सीएस डीजे नं. 89 वर्ष 2025 स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा प्रकरण में : वास्तुकला परिषद् विरुद्ध रसील गुजराल अंसल स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा	माननीय सहायक न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण–पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, दिल्ली	सुश्री रसील गुजराल अंसल के विरुद्ध वास्तुविद के रूप में प्रतिनिधित्व करने से रोकने हेतु मुकदमा दायर करना।	लंबित अगली सुनवाई की तिथि 31.07.2025
15.	माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण–पूर्व जिला, नई दिल्ली के न्यायालय में (आपराधिक) पंजीकरण संख्या 394 वर्ष 2025 कोर्ट केस संख्या 394 वर्ष 2025 प्रकरण में : वास्तुकला परिषद् .....याचिकाकर्ता विरुद्ध रसील गुजराल अंसल .....प्रतिवादी	माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, दक्षिण–पूर्व जिला, नई दिल्ली	सुश्री रसील गुजराल अंसल के विरुद्ध धारा 39 के अंतर्गत शिकायत, जिसमें वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 36 और 37 का उल्लंघन करने का आरोप है।	लंबित
16.	सिविल रिट याचिका संख्या 28138/2024 के प्रकरण में, डॉ. रूपेश एस. अयंगर विरुद्धवास्तुकला परिषद् और भारत संघ माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के समक्ष	कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु	स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त पीएच.डी. डिग्री की मान्यता के संबंध में, जो कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दी गई है।	लंबित
17.	चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार सीडब्ल्यूपी नं. 21330 वर्ष 2019 प्रकरण में : पुनीत मेहता विरुद्ध भारत संघ और अन्य	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़	सीओए के साथ वास्तुविद के रूप में पंजीकरण के संबंध में।	लंबित अगली सुनवाई की तिथि 04.08.2025
18.	ओडिशा–कटक उच्च न्यायालय में (सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार) डब्ल्यू.पी. (सी) नं. 3567वर्ष 2025	ओडिशा–कटक उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में।	तिथि अभी तक अद्यतन नहीं हुई है

	प्रकरण में : पार्थ प्रतीम कर्मकार विरुद्ध ओडिशा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर और अन्य			

26. श्री विक्रम तलरेजा, बेंगलुरु के विरुद्ध एफआईआर का पंजीकरण : वास्तुकला परिषद् को श्री विक्रम तलरेजा, बेंगलुरु के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उन पर छद्म रूप से स्वयं को वास्तुविद बताने और अन्य वास्तुविदों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की जालसाजी करके उनका अपने अनुचित लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप है। परिषद् ने बेंगलुरु पुलिस को लिखित शिकायतें भेजीं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तदनुसार, तथ्यों और वास्तुविद अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, अन्य व्यक्तियों के लिए एक सबक के रूप में कार्य करने हेतु, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित न्यायालय में शिकायत दर्ज करके अभियोजन चलाना उचित समझा गया। परिषद् ने श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (वर्तमान में उप रजिस्ट्रार), सीओए को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत बेंगलुरु में उचित न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया। हालांकि, श्री दीपक कुमार और उनके वकील द्वारा बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी (सेंट्रल) से इस मामले को आगे बढ़ाने के अनुरोध पर, बेंगलुरु के कुब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने 09.05.2024 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की।

27. वास्तुविद अधिनियम, 1972 में संशोधन : परिषद् ने 21 और 22 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी 83वीं बैठक में चर्चा की कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है ताकि आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके, भारत में वास्तुकला के अभ्यास के विनियमन को तर्कसंगत बनाया जा सके, भारत में कॉर्पोरेट अभ्यास की अनुमति दी जा सके और पेशेवरों की देनदारियों को सीमित किया जा सके, तथा भारत में वास्तुविदों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों/प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके। नई नीति (एनईपी) संशोधनों के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम और संबंधित विनियमों में भी तदनुसार परिवर्तन आवश्यक हैं। मसौदा प्रस्ताव भारतीय वास्तुविद संस्थान और भारतीय अभियंता संस्थान के साथ साझा किया गया ताकि इस संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए जा सकें। वास्तुविद अधिनियम, 1972 में संशोधन के प्रस्ताव पर खंड–दर–खंड चर्चा करने और आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के बाद, परिषद् ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सभी सदस्यों की सर्वसम्मति थी कि वास्तुकला का पेशा केवल प्रशिक्षित और योग्य वास्तुविदों द्वारा ही किया जाना चाहिए। सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रस्ताव को विधिवत कानूनी रूप से सत्यापित कराया जाए। वास्तुकला शिक्षा और पेशे के हित में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता को योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा सेवा प्रदान की जाए, इस मामले में परिषद् ने अध्यक्ष जी को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया। संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद, वास्तुविद अधिनियम, 1972 में संशोधन का प्रस्ताव अंतिम रूप लिये जाने की प्रक्रिया में है और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

28. शैक्षिक सत्र 2024–2025 से बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन : वास्तुकला परिषद् ने केंद्र सरकार की स्वीकृति से, वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2020 के विनियम 4(1) के तहत निर्धारित 5 वर्षीय बी.आर्क. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पात्रता में शैक्षिक सत्र 2024–2025 से संशोधन/छूट दी है। संशोधित पात्रता इस प्रकार है :

"(1) किसी भी उम्मीदवार को तब तक वास्तुकला पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसने भौतिकी और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में लेकर, साथ ही रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तकनीकी व्यावसायिक विषय, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान अभ्यास, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या व्यवसाय अध्ययन में से किसी एक विषय के साथ 10+2 या समकक्ष परीक्षा कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण न की हो, या गणित को अनिवार्य विषय के रूप में लेकर 10+3 डिप्लोमा परीक्षा कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण न की हो।"

इसे भारत के आधिकारिक राजपत्र में 8 जुलाई, 2024 को प्रकाशित किया गया है और यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है।

29. विभिन्न विभागों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन : वास्तुविद अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, परिषद् ने विभिन्न संगठनों जैसे कि डिजिटल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिशनर्स परिसंघ (सीडीसीपी), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी), भारतीय अग्नि एवं सुरक्षा संघ (एफएसएआई), और भारतीय नलसाजी संघ (आईपीए) आदि के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं।

30. विदेशी अधिकारियों द्वारा भारतीय वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता हेतु पारस्परिक मान्यता के समझौते : परिषद्, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सहायता और समर्थन से भारतीय वास्तुकला योग्यताओं को विदेशों में मान्यता दिलाने हेतु ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से पत्राचार कर रही है।

31. विदेशी योग्यताओं की मान्यता संबंधी समिति : वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 15 के अनुसार, केंद्र सरकार को वास्तुकला परिषद् से परामर्श करने के बाद, वास्तुविद अधिनियम, 1972 के प्रयोजनों के लिए विदेशी वास्तु संबंधी योग्यताओं को मान्यता देने का अधिकार है। परिषद् ने केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान परिषद् को वास्तुविद अधिनियम के अंतर्गत विदेशी वास्तु संबंधी योग्यताओं की मान्यता पर परामर्श हेतु 4 नए संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, समिति ने 5 बार बैठक की और केंद्र सरकार से प्राप्त मामलों पर विचार किया तथा अपनी रिपोर्ट पूर्ण परिषद् को प्रस्तुत की है।

32. वास्तुकला परिषद् (स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली, 2022 की स्वीकृति : परिषद् ने 15 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 77वीं बैठक में वास्तुकला परिषद् (स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली, 2022 को स्वीकृति दी। इन विनियमों को नवंबर, 2022 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पास वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45

के तहत स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष ने मंत्रालय के अधिकारियों से भी भेंट की। परिषद् का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

33. भारत में रोजगार हेतु वास्तुकला में विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताओं की समतुल्यता : परिषद् को विदेशों से वास्तुकला में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त कर चुके वास्तुविदों से भारत में वास्तुकला में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ उनकी योग्यताओं की मान्यता/समतुल्यता न होने के संबंध में अभ्यावेदन और सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इस मामले पर मंत्रालय के अधिकारियों से भी चर्चा की गई और मंत्रालय ने इच्छा व्यक्त की कि भारत में विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताओं की समतुल्यता प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने सहित कुछ पूर्व–निर्धारित मापदंडों के आधार पर समतुल्यता प्रदान करने की योजना तैयार की जाए, ताकि संबंधित वास्तुविद अपनी उच्च योग्यताओं का लाभ उठा सकें। तदनुसार, डॉ. वंदना सहगल, अध्यक्ष और डॉ. मीनाक्षी जैन, सदस्य, डॉ. कविता डी. राव (विशेष रूप में आमंत्रित सदस्य), डॉ. पी.एस.एन. राव (विशेष रूप में आमंत्रित सदस्य) और डॉ. ए. श्रीवत्सन (विशेष रूप में आमंत्रित सदस्य) की एक उप–समिति का गठन किया गया, ताकि परिषद् द्वारा वास्तुकला में विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताओं को भारतीय वास्तुकला में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के समकक्षता प्रदान करने की योजना और तंत्र तैयार किया जा सके। समिति ने इस मुद्दे पर विचार करने के बाद वास्तुकला में स्नातकोत्तर की उपाधि की समकक्षता को सुगम बनाने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया है, जो सीओए की वेबसाइट पर समकक्षता के लिए आवेदन करने हेतु आसानी से सुलभ, समयबद्ध, एकल खिड़की आधारित, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होगी। परिषद् ने 12 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी 79वीं बैठक में विदेशी स्नातकोत्तर योग्यता योजना को मंजूरी दी और इसे कार्यान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय के पास उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था। सीओए के अध्यक्ष ने इस संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों से भी भेंट की। परिषद् का प्रस्ताव मंत्रालय के सक्रिय विचारधीन है।

34. वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 3(3)(च) के तहत परिषद् के सदस्य की नियुक्ति हेतु मानदंड निर्धारित करना : माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 16114/2021 में दिनांक 08.01.2023 के अपने आदेश के अनुच्छेद 16(iii) में निम्नलिखित आदेश दिया : *संघीय भारत नियमों के तहत परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं अनुभव संबंधी कुछ मानदंड अधिसूचित करने के लिए कदम उठाएगा, जो यथाशीघ्र प्रत्येक राज्य सरकार पर बाध्यकारी होंगे।"* परिषद् ने इस संबंध में मंत्रालय को अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 623(ई) दिनांक 24.08.2023 के माध्यम से वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में संशोधन करके राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वास्तुकला परिषद् के सदस्यों के नामांकन के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए। यह संशोधन 25.08.2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसके बाद, मंत्रालय ने 16.08.2024 को उक्त अधिसूचना में अन्य संशोधन किया, जो 20.08.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

35. वास्तुविदों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी का संग्रह : वास्तुविदों से कई अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, परिषद् ने भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि वास्तुकला सेवाओं पर जीएसटी का संग्रह वास्तुविदों के बजाय ग्राहक को सौंपा जाए। वित्त मंत्रालय से उचित कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

36. वास्तुकला में ज्ञान साझाकरण हेतु सामर्थ्य पोर्टल : वास्तुकला परिषद् ने अपना पोर्टल "सामर्थ्य" शुरू किया है, जो एक व्यापक डिजिटल मंच है और वास्तुकला के क्षेत्र में ज्ञान साझाकरण, अनुसंधान और सूचना आदान–प्रदान को बढ़ावा देता है। यह पोर्टल वास्तुविदों, वास्तुकला विद्यालयों, छात्रों और आम जनता के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करता है। यह पाठ्यक्रम सामग्री साझा करने में सक्षम बनाता है, वास्तुविदों के कौशल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है, और सहभागी संस्थानों के कैटलॉग, ई–पुस्तकों, पत्रिकाओं और जर्नलों के साथ एक डिजिटल पुस्तकालय की मेजबानी करता है। अनुसंधान को मजबूत करने के लिए, पोर्टल अनुसंधान पद्धतियों पर संसाधन प्रदान करता है, अनुसंधान और पाठ्यक्रम विवरणों के प्रकाशन का समर्थन करता है, और वास्तुविदों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यों के प्रलेखीकरण को संकलित करता है। ''सामर्थ्य'' परिषद् द्वारा आयोजित पुरस्कारों, प्रतियोगिताओं और निर्णायक मंडलों की जानकारी प्रकाशित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, यह वास्तुकला विद्यालयों में वास्तुविदों, छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर प्रदान कराता है।

37. वास्तुविदों को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ : वास्तुकला परिषद् ने वास्तुविदों के लिए सेवाओं और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए अपने नए मोबाइल एप्लिकेशन के शुभारंभ के साथ डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यह एप्लिकेशन पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, जिससे वास्तुविद अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पंजीकरण सेवाओं के अलावा, ऐप परिषद् के न्यूजलेटर, परिषद् समाचार तक भी पहुंच प्रदान करता है, जो वास्तुविदों को पेशे में नवीनतम अद्यतन और विकास के बारे में सूचित रखता है। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता परिषद् की पत्रिका, *आर्किटेक्चर टाइम्स, स्पेस एंड पीपल* पढ़ सकते हैं, जो वास्तुकला और संबंधित क्षेत्रों पर ज्ञानवर्धक लेख और विशेषताएँ प्रदान करती है। इस पहल के साथ, वास्तुकला परिषद् वास्तुकला समुदाय के भीतर पहुंच, दक्षता और ज्ञान साझाकरण को बढ़ाने का काम जारी रखे हुए है।

38. परिषद् द्वारा वास्तुकला के छात्रों को विभिन्न पुरस्कारों का अनुदान : वास्तुकला में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिषद् प्रत्येक वर्ष मेधावी छात्रों और महाविद्यालयों को निम्नलिखित श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करती है, जिनमें विजेता छात्र प्रविष्टियों को नामांकित किया जाता है :

क) वास्तुकला शोध प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए सीओए पुरस्कार 2024 और जेके एवाईए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला छात्र पुरस्कार

प्रत्येक क्षेत्रीय प्रतियोगिता में (दो श्रेणियों में) :

श्रेणी क. वास्तुकला परियोजना

1. सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र परियोजना के लेखक को (अंतिम निर्णायक मंडल हेतु चयनित) – रु. 15,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
2. अगले चार शोधपत्र परियोजनाओं के लेखकों को – रु. 10,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

श्रेणी ख. समाज की चिंताओं का समाधान करने वाली परियोजना :

1. सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र परियोजना के लेखक को (अंतिम निर्णायक मंडल हेतु चयनित) – रु. 15,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
2. अगले चार शोधपत्र परियोजनाओं के लेखकों को – रु. 10,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

श्रेणी क. वास्तुकला परियोजना :

1. सर्वश्रेष्ठ दो शोधपत्र परियोजनाओं के लेखकों को – रु. 1,00,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
2. अगले तीन शोधपत्र परियोजनाओं के लेखकों को – रु. 25,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

श्रेणी ख. समाज की चिंताओं का समाधान करने वाली परियोजना :

1. सर्वश्रेष्ठ दो शोधपत्र परियोजनाओं के लेखकों को – रु. 1,00,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
2. अगले तीन शोधपत्र परियोजनाओं के लेखकों को – रु. 25,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

अंतिम निर्णायक मंडल में विजेता प्रविष्टियों (प्रत्येक श्रेणी में दो) को नामांकित करने वाले 4 महाविद्यालयों को रु. 1,50,000/– (प्रत्येक) का शोध अनुदान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर :

1. जेके एवाईए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला विद्यार्थी पुरस्कार के लिए चयनित शोधपत्र परियोजना के लेखक को : रु. 25,000/–, स्मृति चिन्ह और प्रशस्तिपत्र। (जे.के. सीमेंट लिमिटेड द्वारा)

ख) सीओए, वास्तुकला में स्नातकोत्तर शोधपत्र में उत्कृष्टता के लिए 2024 का पुरस्कार :

1. सर्वश्रेष्ठ तीन शोधपत्र परियोजनाओं के लेखक को – रु. 1,00,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
2. तीन उप–विजेता शोधपत्र परियोजनाओं के लेखकों को – रु. 25,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

अंतिम निर्णायक मंडल में विजेता प्रविष्टियों को नामांकित करने वाले 3 महाविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान दिया जाएगाः रु. 1,50,000/–प्रत्येक हेतु।

ग) वास्तुकला विरासत के प्रलेखन में उत्कृष्टता के लिए सीओए छात्र पुरस्कार 2024 : (तीन श्रेणियाँ)

1. क्षेत्रीय स्तर पर विजेता (प्रत्येक क्षेत्र में कुल 6 विजेता, प्रत्येक श्रेणी में 2) : रु. 15,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
2. राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा घोषित होनेवाले विजेता (कुल 3 विजेता, प्रत्येक श्रेणी में 1) : रु. 1,00,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।
3. राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा दिये जानेवाले प्रशस्ति पत्र (कुल 6 प्रशस्ति पत्र, प्रत्येक श्रेणी में 2) : रु. 25,000/– + प्रत्येक को प्रमाणपत्र।

अंतिम निर्णायक मंडल में विजेता प्रविष्टियों को नामांकित करने वाले 3 महाविद्यालयों (प्रत्येक श्रेणी में एक) को अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा : रु. 1,50,000/– प्रत्येक हेतु।

सीओए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024

- **<u>सीओए वास्तुकला शोधपत्र प्रबंध उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 और जेके एवाईए सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला छात्र वार्षिक पुरस्कार 2024 (एईएटी 2024)</u>** :

वास्तुकला परिषद् ने सीओए–टीआरसी के माध्यम से युवा प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक शोधपत्र प्रबंध परियोजनाओं के लिए 19वें राष्ट्रीय वास्तुकला शोधपत्र प्रबंध उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की। क्षेत्रीय निर्णायक मंडल का आयोजन निम्नलिखित स्थानों पर किया गया।

क्षेत्र	स्थान	समन्वयकारी महाविद्यालय
I	जयपुर	नियोजन एवं वास्तुकला संकाय, पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान
II	वडोदरा	पर्यावरण डिजाइन एवं वास्तुकला विद्यालय, नवरचना विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात
III	रायगढ़	महात्मा शिक्षा सोसायटी का पिल्लई एचओसी वास्तुकला महाविद्यालय, रायगढ़, महाराष्ट्र
IV	बैंगलोर	बीएमएस वास्तुकला महाविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक
V	कोच्चि	एशियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन इनोवेशन्स, कोच्चि, केरल

क्षेत्रों के लिए अंतिम निर्णायक मंडल के सदस्य इस प्रकार थे :

क्षेत्र ।	वास्तुविद वीपा जरीवाला, वास्तुविद तनुश्री मोकड़े, वास्तुविद आनंद कृष्ण मूर्ति
क्षेत्र ।।	वास्तुविद मुरली, वास्तुविद सुनील फिलिप, वास्तुविद मेघना दत्ता
क्षेत्र ।।।	वास्तुविद नागेश एच.डी., वास्तुविद मीता जैन, वास्तुविद जी राम मोहन राव

क्षेत्र IV	वास्तुविद कविता सेल्वराज, वास्तुविद अक्षय पाटिल, वास्तुविद शशांक चक्रदेव
क्षेत्र V	वास्तुविद नहीमा शानवाज, वास्तुविद तौहीद हुसैन खान, वास्तुविद धनकोटी

राष्ट्रीय निर्णायक मंडल का आयोजन बेंगलुरु के दयानंद सागर वास्तुकला महाविद्यालय में हुआ। राष्ट्रीय फाइनल्स के निर्णायक मंडल के सदस्य वास्तुविद मेडप्पा पीएन, वास्तुविद डीन डी'क्रूज और वास्तुविद मिलिंद कोलेगल थे। पुणे स्थित सीसीबीए के प्रबंध निदेशक श्री रामप्रसाद अक्कीसेट्टी ने 2 अक्टूबर 2024 को दिवंगत हुए प्रख्यात वास्तुविद प्रोफेसर क्रिस्टोफर बेनिंगर की स्मृति में एईएटी 2024 के चार विजेताओं को रु. 50,000/– (पचास हजार) का नकद पुरस्कार और विशेष स्वर्ण पदक प्रदान किए।

- **<u>वास्तुकला में स्नातकोत्तर शोधपत्र प्रबंध में उत्कृष्टता हेतु सीओए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 (पीजीटीए 2024)</u>** : वास्तुकला परिषद् ने सीओए–टीआरसी के माध्यम से स्नातकोत्तर शोधपत्र प्रबंध परियोजनाओं के लिए वास्तुकला कार्यक्रम में स्नातकोत्तर शोधपत्र प्रबंध उत्कृष्टता के 11वें राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश भर के वास्तुकला में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना तथा वास्तुकला विद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति विकसित करना है। राष्ट्रीय निर्णायक मंडल का आयोजन बेंगलुरु के वास्तुकला दयानंद सागर महाविद्यलाय में हुआ। राष्ट्रीय फाइनल्स के निर्णाय मंडल के सदस्य वास्तुविद नवारा खान, वास्तुविद अनंत कृष्णा और वास्तुविद आशुतोष कुमार अग्रवाल थे।

- **<u>वास्तुकला विरासत के प्रलेखन में उत्कृष्टता के लिए सीओए छात्र पुरस्कार 2024 (डीएएच 2024)</u>** : वास्तुकला परिषद् ने सीओए–टीआरसी के माध्यम से स्नातक प्रलेखन परियोजनाओं के लिए वास्तुकला विरासत के प्रलेखन में उत्कृष्टता के लिए 7वें छात्र पुरस्कार की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विरासत भवनों को समझने और उनका प्रलेखन करने के लिए छात्रों की रुचि और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और देश भर के वास्तुकला के छात्रों के बीच भारत की वास्तुकला विरासत के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता विकसित करना और बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय निर्णायक मंडलियाँ निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गईं।

क्षेत्र	स्थान	समन्वयकारी महाविद्यालय
I	जयपुर	नियोजन एवं वास्तुकला संकाय, पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान
II	वडोदरा	पर्यावरण डिजाइन एवं वास्तुकला विद्यालय, नवरचना विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात
III	रायगढ़	महात्मा शिक्षा सोसायटी का पिल्लई एचओसी वास्तुकला महाविद्यालय, रायगढ़, महाराष्ट्र
IV	बैंगलोर	बीएमएस वास्तुकला महाविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक
V	कोच्चि	एशियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन इनोवेशन्स, कोच्चि, केरल

क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन निर्णायक मंडली सदस्यों में निम्नलिखित सदस्य थे :

वास्तुविद ओंकार अधिकारी, वास्तुविद सुप्रिय वर्मा, वास्तुविद मुनीश पंडित, वास्तुविद वरुण भामारे, वास्तुविद दीपिका सक्सेना–घोष, वास्तुविद शक्ति मुरुगन, वास्तुविद संगीता बैस, वास्तुविद मनीषा घई, वास्तुविद तेजश्री लाक्रास, वास्तुविद केतक नचिनोलकर, वास्तुविद सुरभि आनंद रॉय, वास्तुविद रुकनुद्दीन मिर्जा। राष्ट्रीय निर्णायक मंडल की बैठक दयानंद सागर वास्तुकला महाविद्यालय बैंगलोर में हुई। राष्ट्रीय फाइनल्स के लिए निर्णायक मंडली के सदस्य वास्तुविद अभिजीत साधले, वास्तुविद कीर्तिदा उनवाला, वास्तुविद आशीष ट्रंबडिया थे।

सीओए अर्बन स्टूडियो रिसर्च प्रोजेक्ट (यूएसआरपी) 2025: राष्ट्रीय निर्णायक मंडल का आयोजन आर. वी. वास्तुकला महाविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक में किया गया था। निर्णायक मंडली के सदस्यगण : वास्तुविद कपिल सेतिया, वास्तुविद राधिका नागपाल, वास्तुविद नंदिनी कुलकर्णी

39. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के साथ सहयोग : परिषद् ने वास्तुकला और संबंधित व्यवसायों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के साथ सहयोग शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षण को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। एनसीवीईटी के समक्ष दो प्रस्तुतियाँ दी जा चुकी हैं, और परिषद् को एक प्रमाणन संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इसके अध्यक्ष और सचिव के समक्ष अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी। इस सहयोग के अंतर्गत, परिषद् भवन एवं निर्माण क्षेत्र में पेशेवरों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमाणन कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए एनसीवीईटी के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण को वास्तुकला अभ्यास की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और पूरे उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए एक संरचित मार्ग तैयार करना है।

40. वास्तुविदों से परिषद् द्वारा लिये जानेवाले शुल्क में वृद्धि हेतु सीओए नियमावली 1973 में संशोधन : परिषद् ने 24 और 25 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में 18 नवंबर, 2020 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पास शुल्क संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो वास्तुविदों से लिये जा रहे शुल्क में वृद्धि करने हेतु वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में उपयुक्त संशोधन हेतु था। मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जो परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए। मंत्रालय के अनुरोधानुसार, परिषद् ने दिसंबर, 2024 में पूरी तथ्यपरक जानकारी और औचित्य सहित वास्तुकला परिषद् द्वारा शुल्क में वृद्धि हेतु संशोधित विस्तृत प्रस्ताव मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया है। परिषद् का प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

41. धरोहर सैर का आयोजन : वास्तुकला परिषद् ने 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स में धरोहर सैर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की वास्तुकला धरोहर और निर्मित पर्यावरण को आकार देने में वास्तुकला की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना था। इस आयोजन ने प्रतिभागियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब कॉम्प्लेक्स का भ्रमण करने का अवसर प्रदान किया, जो अपनी उत्कृष्ट इंडो–इस्लामिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एक संरक्षण वास्तुविद के मार्गदर्शन में आयोजित इस सैर ने कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और कुव्वत–उल–इस्लाम मस्जिद जैसे प्रमुख स्मारकों की वास्तुकला शैली, ऐतिहासिक संदर्भ और निर्माण तकनीकों के बारे में प्रतिभागियों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों में भारत की वास्तुकला धरोहर के प्रति गहरी समझ विकसित करना और साथ ही शहरी विकास में संरक्षण और सतत प्रथाओं के महत्व को उजागर करना था। इस सैर में वास्तुकला के छात्रों, विद्यालयी छात्रों और धरोहर प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो देश की निर्मित विरासत के संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धरोहर सैर ने सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखने में वास्तुकला के महत्व को रेखांकित किया। परिषद् भविष्य में भी इसी प्रकार की शैक्षिक और जागरूकता–आधारित पहल आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

42. भारत पर्व 2025 में 'सृजन – भारतीय वास्तुकला का एक उत्सव' का आयोजन : वास्तुकला परिषद् ने 26 से 31 जनवरी, 2025 तक नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित भारत पर्व 2025 में *'सृजन – भारतीय वास्तुकला का एक उत्सव'* शीर्षक के साथ एक सुनियोजित प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में भारतीय वास्तुकला की समृद्ध धरोहर और परंपरा एवं नवाचार के बीच विकसित होते संतुलन को प्रदर्शित किया गया। सुविचारित प्रदर्शनों के माध्यम से, सृजन ने समाज को आकार देने में वास्तुकला के महत्व को उजागर किया और एक स्थायी एवं सुव्यवस्थित भविष्य के निर्माण में पेशेवर वास्तुविदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। प्रदर्शनी का उद्देश्य आगंतुकों को शिक्षित और प्रेरित करना था, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि वास्तुकला दैनिक जीवन और शहरी विकास को कैसे प्रभावित करती है। इस प्रदर्शनी की एक प्रमुख विशेषता युवा पेशेवरों का योगदान था, जिनके समर्पण और रचनात्मकता ने इस परिकल्पना को साकार किया। प्रदर्शनी को जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली, जिससे वास्तुकला के प्रति जागरूकता और निर्मित पर्यावरण में पेशेवर विशेषज्ञता की आवश्यकता पर बल मिला। सृजन की सफलता सीओए टीम के सहयोगात्मक प्रयासों और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के समर्थन का प्रमाण है। आगे बढ़ते हुए, हम वास्तुकला उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और इस पेशे के प्रति व्यापक सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

43. वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई में "बदलते विश्व में वास्तुकला शिक्षा" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन : परिषद् ने "सीओए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – बदलते विश्व में वास्तुकला शिक्षा – अग्रमार्ग समीक्षा और पुनर्विचार (सीओए–आईसीएफएई)" शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जो वास्तुकला शिक्षा के गतिशील और विकसित होते परिदृश्य को समर्पित एक प्रमुख सम्मेलन था। यह सम्मेलन 15, 16 और 17 फरवरी 2024 को वीआईटी, वेल्लोर, तमिलनाडु में आयोजित किया गया। वास्तुकला शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञों और विचारकों ने वास्तुकला शिक्षा के 6 उप–विषयों में उभरते रुझानों, चुनौतियों और नवीन दृष्टिकोणों पर आकर्षक सत्र आयोजित किए। सम्मेलन के लिए प्राप्त चयनित शोध पत्रों को लेखकों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ताकि सम्मेलन में शैक्षिक चर्चा में योगदान दिया जा सके। इस सम्मेलन ने शिक्षकों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के पेशेवरों को एक साथ आने, जुड़ने और वास्तुकला शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। नवाचार, प्रौद्योगिकी और अंतःविषयक सहयोग पर बल देते हुए, सीओए–आईसीएफएई का उद्देश्य वास्तुकला शिक्षा के भविष्य को आकार देने के लिए नए विचारों और वास्तुनीतियों को प्रेरित करना था।

44. वॉक फॉर आर्कज 5.0 के लिए समर्थन : वास्तुविद गीता बालकृष्णन द्वारा आयोजित वॉक फॉर आर्कज5.0, जिसे वास्तुकला परिषद् (सीओए) का समर्थन प्राप्त था, एथोस फाउंडेशन की एक प्रभावशाली पहल थी, जिसे 100 किलोमीटर के दो चरणों में आयोजित किया गया था : गुजरात (16–20 अप्रैल 2025) और केरल (23–27 अप्रैल 2025)। इस पहल का उद्देश्य धरोहर, शिल्प और समुदाय–केंद्रित पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करके सामाजिक रूप से उत्तरदायी डिजाइन शिक्षा को मजबूत करना था। यह कार्यक्रम एथोस फाउंडेशन के छह कार्यक्षेत्रों के अनुरूप था : बोध (डिजाइन साक्षरता), एसवीएडीईएस (सतत स्थानीय डिजाइन), उदिता (सार्वभौमिक डिजाइन/पहुँच), एडीएआर (वकालत), श्रमए (निर्माण श्रमिकों का कल्याण) और एसएएटीएच (सामुदायिक सहयोग)। गुजरात चरण, जिसे अहमदाबाद वॉकिंग स्टूडियो नाम दिया गया था, एक गहन 5 दिवसीय यात्रा थी जिसमें सिद्धपुर से गांधीनगर तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। प्रतिभागियों ने मार्ग में स्थित धरोहर स्थलों, पारंपरिक शिल्पों और स्थानीय समुदायों का व्यवस्थित अवलोकन किया। इस पैदल यात्रा में 30 से अधिक वास्तुकला के छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने 50 से अधिक कारीगरों, व्यापारियों और स्थानीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत की, जिससे सार्थक संवाद, ज्ञान का आदान–प्रदान और व्यावहारिक शिक्षा संभव हुई।

45. परिषद् द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियों की स्थिति : प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिषद् द्वारा विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए गठित महत्वपूर्ण समितियों और उप–समितियों का सारांश नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	समितियों / उप–समितियों की सूची	संयोजक	सदस्यगण	अधिदेश
1.	भवन लेखापरीक्षा उपकरण निर्माण एवं वास्तुकला फर्मों के प्रत्यायन हेतु उप–समिति	डॉ. अमित हजेला, संयोजक	वास्तुविद अशोक बी लाल, सदस्य श्री स्नेहांशु मुखर्जी, सदस्य,वास्तुविद प्रसाद सुरेश वैद्य, सदस्य, प्रोफे. (डॉ.) ज्योतिर्मय माथुर, सदस्य, प्रोफे. (डॉ.) राजन रावल, सदस्य, डॉ. गौरव रहेजा,	वास्तुकला फर्मों के प्रत्यायन हेतु एक तंत्र विकसित करना तथा भवनों के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ ढांचा तैयार करना, जिसे भवन लेखापरीक्षा उपकरण के नाम से जाना जाएगा।

			सदस्य, श्री गौरव शोरे, सदस्य, डॉ. विनोद जैन, सदस्य, श्री पंकज धारकर, सदस्य, श्री रजनीश अग्रवाल, सदस्य, डॉ. प्रियंका कोचर, सदस्य, डॉ. शगुन अग्रवाल, सदस्य, श्री कमलेश्वर शुक्ला, सदस्य, श्री संजय पॉल, सदस्य, श्री वरुण सेठ, सदस्य, श्री सुनीत मोहिंद्रू, सदस्य, श्री मनोज मित्तल, सदस्य	
2.	सलाहकार समिति (अपील)	वास्तुविद बापिलु चाई, संयोजक	वास्तुविद विदुर मेहता, सदस्य वास्तुविद रवि कुमार, सदस्य	उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई के लिए जिनके आवेदन रजिस्ट्रार द्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 25(ए) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए अस्वीकार कर दिए गए हैं।
3.	वास्तुकला और निर्मित पर्यावरण के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) हेतु प्रकाशन समिति	डॉ. जॉय सेन, समन्वयक	डॉ. बिनुमोल टॉम, सदस्य डॉ. श्रेयस प्रमोद भारुले डॉ. जेस्लु सेलीन जैकब	वास्तुविदों, निर्माण उद्योग के पेशेवरों, संकाय सदस्यों, छात्रों और अन्य लोगों के लाभ के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर आवश्यक पुस्तकें प्रकाशित करना और आईकेएस के क्षेत्र में उचित ज्ञान प्रदान करना, ताकि वास्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में आईकेएस के अनुप्रयोग के बारे में व्यापक समझ विकसित हो सके।
4.	विदेशी अधिकारियों द्वारा एमआरए में प्रवेश करने हेतु प्रदान की गई जानकारी का विश्लेषण करने, परिषद् को सहायता और सलाह देने के लिए गठित उप–समिति।	डॉ. वंदना सहगल (संयोजक)	प्रोफे. पुष्कर मुरलीधर कानविंदे, सदस्य प्रोफे. चिरायु भट्ट, सदस्य डॉ. बिनुमोल टॉम, सदस्य	एमआरए में प्रवेश करने हेतु विदेशी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का विश्लेषण करने, परिषद् को सहायता और सलाह देने के लिए गठित उप–समिति।
5.	वास्तुकला परिषद् की विदेशी वास्तुकला संबंधी योग्यताओं की मान्यता संबंधी समिति, वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अंतर्गत योग्यताओं की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी।	वास्तुविद पुष्कर एम. कानविंदे, संयोजक	वास्तुविद संजीव बंब, सदस्य वास्तुविद दुर्गानंद बलसावर, वास्तुविद किरण एस. महाजनी, सदस्य वास्तुविद कविता दरयानी एन. राव	वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अंतर्गत योग्यताओं की मान्यता हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी।
6.	वास्तुकला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीईटीए) में प्रवेश के लिए प्रवेश/पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा योजना, तौर–तरीके और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उप–समिति।	वास्तुविद टी. लोगनाथन (संयोजक)	वास्तुविद अनुपमा शर्मा, सदस्य वास्तुविद बिनुमोल टॉम, (सह–संयोजक) वास्तुविद अभिजीत सदाशिव नाटू, सदस्य वास्तुविद आनंद अचारी, सदस्य	• वर्ष 2025–2026 के लिए वास्तुकला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में विभिन्न विशिष्टताओं के साथ प्रवेश हेतु पीजीईटीए परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा योजना तैयार करना। • पीजीईटीए के संचालन हेतु पाठ्यक्रम, विवरणिका और अन्य तौर–तरीके तैयार करना। • मानदंड निर्धारित करना, प्रश्न तैयार करना, प्रश्न निर्धारकों की पहचान करना, मूल्यांकनकर्ताओं का पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन का संचालन करना आदि और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी करना। • परिणाम घोषणा प्रक्रिया का निरीक्षण करना।

				• पीजीईटीए परीक्षा के संचालन के लिए समयसीमा और नीति/दिशानिर्देश निर्धारित करना। • परिषद् द्वारा अपेक्षित या सौंपे गए पीजीईटीए से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।
7.	वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार की शिकायतों के संकलन हेतु उप–समिति का गठन वास्तुकला के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री हेतु किया गया है।	वास्तुविद स्वप्नदत्ता मोहंती, संयोजक	डॉ. बिनुमोल टॉम, सदस्य वास्तुविद मनीष चक्रबोर्ती, सदस्य वास्तुविद नमिता कुमारी मोहपात्रा, सदस्य	यह समिति वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार की चयनित शिकायतों के आधार पर अध्ययन सामग्री तैयार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए ऐसी शिकायतों का संकलन करना है। इस कार्य का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षिक संसाधन/प्रकाशन तैयार करना है जो वास्तुकला के छात्रों को उनके व्यावसायिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, जिससे भविष्य में व्यावसायिक कदाचार की घटनाओं को रोका जा सके।
8.	परिषद् को किसी वास्तुविद की मृत्यु की सूचना देने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक उप–समिति का गठन।		वास्तुविद नीलेश चव्हाण, सदस्य वास्तुविद के. सेंथिल, सदस्य	3 महीनों के अंदर परिषद् को ऐसे मामालों की सूचना देने के लिये किसी वास्तुविद की मृत्यु की सूचना देने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना।
9.	राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 की समीक्षा और उसमें बदलाव सुझाने के लिए उप–समिति	वास्तुविद गजानंद राम, संयोजक	2) वास्तुविद स्वप्नदत्ता मोहंती, सदस्य 3) वास्तुविद विदुर मेहता, सदस्य 4) वास्तुविद तरुण गर्ग, सदस्य 5) वास्तुविद संजीव बंब, सदस्य 6) वास्तुविद रवि कुमार आर, सदस्य 7) वास्तुविद दिव्या कुश, सदस्य 8) वास्तुविद ययाति तापले, सदस्य 9) वास्तुविद विजय पांडे, सदस्य।	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 के सक्रियाशील संशोधन की समीक्षा करना और उसमें बदलाव सुझाना।
10.	अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सलाहकार समिति	डॉ. वंदना सहगल, संयोजक	वास्तुविद तुषार सोगानी, सदस्य प्रोफे. चिरायु भट्ट, सदस्य वास्तुविद दुर्गानंद बलसावर, सदस्य वास्तुविद दिलीपचंद्र चटर्जी, सदस्य प्रोफे. राजेंद्र कुमार, सदस्य	1) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यव्यस्तता के अवसरों की पहचान करना। 2) वैश्विक स्तर पर वास्तुकला परिषद् की उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए वास्तुनीतियाँ विकसित करना। 3) अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की खोज कर रहे वास्तुविदों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। 4) वास्तुकला में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थानों और हितधारकों के साथ सहयोग करना।

				5) पेशे को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, विनियमों और मानकों से संबंधित मामलों पर वास्तुकला परिषद् को सलाह देना।

46. सीओए टीआरसी पुणे में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ : सीओए–प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के वर्ष में आयोजित गतिविधियों का समेकित प्रतिवेदन निम्नानुसार है :

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम : गत वर्ष के दौरान, सीओए–टीआरसी, पुणे की निदेशक प्रोफे. जयश्री देशपांडे द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 41 ऑनलाइन और 3 ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर से 2056 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। कार्यक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं :

आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची :

क्र. सं.	ऑनलाइन कार्यक्रम के विवरण	समन्वयक का नाम	वक्ताओं के नाम	तिथियाँ	प्रतिभागियों की संख्या
1.	वास्तुकला में सुरक्षा : उपयोगकर्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वास्तुकला स्थानों के डिजाइन पर शिक्षण प्रदान करना	प्रोफे. हिमानी तावड़े	1. वास्तुविद अनुजा गणेश सावंत 2. श्री हेमन्त खडसे 3. श्री अमित देशमुख 4. श्री संतोष वारिक 5. श्री राजेश शिर्के 6. श्री अशोक मेनन 7. श्री योगेश रत्नपारखी 8. श्री शेखर डे 9. श्री अबासाहेब काले	1 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2024	64
2.	डिजाइन विकास में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्थल और संदर्भ की सार्थकता की खोज करना	प्रोफे. आदर्श विश्वम	1. वास्तुविद दुर्गानंद बलसावर 2. वास्तुविद सत्य प्रकाश वाराणसी 3. डॉ. बीनू मोल टॉम 4. वास्तुविद राहुल पॉल 5. डॉ. गिरिधरन रंगनाथन 6. वास्तुविद रियाज तैय्यबजी 7. डॉ. रोशनी उदयवर 8. वास्तुविद मंगेश आर. प्रभुगांवकर 9. वास्तुविद साबू फ्रांसिस 10. वास्तुविद सुकन्या बालाजी	22 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024	48
3.	एकिस्टिक्स दृष्टिकोण के साथ वास्तुकला की खोज करना	डॉ. प्रोफे. आनंद अचारी	1. वास्तुविद अनिल योगेन्द्रपाल नागरथ 2. वास्तुविद हर्षद माधवसिंह भाटिया 3. वास्तुविद माधव देवभक्त 4. वास्तुविद हिना जिया	6 मई 2024 से 10 मई 2024	42
4.	प्री–डिजाइन का परिचय	डॉ. प्रोफे. आनंद अचारी	1. वास्तुविद नरेश शाह 2. वास्तुविद रीना सालवी 3. वास्तुविद दीपू जॉर्ज 4. वास्तुविद प्रसाद भालचंद्र अणौकर 5. वास्तुविद विनीश देसाई 6. डॉ. पूर्वा मांगे	13 मई 2024 से 17 मई 2024	71
5.	पर्यावरणानुकूल आवास – जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में डिजाइन पर पुनर्विचार करना	प्रोफे. वंदना बालाकृष्णन	1. श्री एस. गोपीकृष्ण वारियर 2. वास्तुविद मंगेश प्रभुगांवकर 3. डॉ. शनमुगा प्रिया जी. 4. डॉ. वंदना सहगल 5. डॉ. पी. पी. अनिलकुमार 6. डॉ. ए. नवारा 7. प्रोफे. के. टी. रवीन्द्रन	10 जून 2024 से 14 जून 2024	79

			8. वास्तुविद सीता रघुपति 9. वास्तुविद अनु मृदुल 10. डॉ. बिनुमोल टॉम 11. डॉ. बालाजी वी. 12. वास्तुविद सचिन रस्तोगी 13. वास्तुविद गौरव शौरी 14. वास्तुविद अनुपमा मोहनराम		
6.	धरोहर और सांस्कृतिक पदचिह्नों के प्रलेखीकरण की तीव्र प्रवृत्तियाँ : समग्र शिक्षा प्राप्त करने का अनुभव करने के लिए सामूहिक कार्य में सहयोग के माध्यम से सचेतक प्रयास की खोज करना!	प्रोफे. रूपाली गुप्ते	1. वास्तुविद प्रतीक धन्मेर 2. वास्तुविद अनुज काले 3. वास्तुविद श्रेया खांडेकर 4. वास्तुविद प्रियंका बारिश दते 5. वास्तुविद निपुण प्रभाकर 6. वास्तुविद रूपाली गुप्ते 7. सुश्री रूपाली सक्सेना भट्टाचार्य 8. वास्तुविद मालिनी राजलक्ष्मी सुभाष 9. वास्तुविद श्रेया मनीष हंस 10. वास्तुविद प्रिया शर्मा	24 जून 2024 से 28 जून 2024	49
7.	समावेशी वास्तुकला	डॉ. मधुगंधा ए. मिठारी	1. डॉ. रचना खरे 2. डॉ. गौरब दास महापात्रा 3. वास्तुविद गांधी हार्दिककुमार देवेन्द्रकुमार 4. वास्तुविद गौरव रहेजा 5. वास्तुविद नाईक नीरज दिलीपभाई 6. वास्तुविद संदीप सिंह राजेन्द्र सिंह सिसौदिया 7. वास्तुविद नीरवभाई जसमतभाई हिरपारा 8. डॉ. हैमंती बनर्जी 9. अधि. सुभाष चन्द्र वशिष्ठ	1 जुलाई 2024 से 5 जुलाई 2024	42
8.	सार्वभौमिक संपर्क साध्यता	प्रोफे. जयश्री देशपांडे	1. डॉ. प्रियांजलि प्रभाकरन 2. डॉ. हैमंती बनर्जी 3. डॉ. तरुष चंद्रा 4. प्रोफे. मीनू वार्ष्णेय 5. प्रोफे. एनएस राठौड़	4 जुलाई 2024 और 5 जुलाई 2024	11
9.	संधारणीय भवन डिजाइन में उभरती प्रौद्योगिकियाँ	प्रोफे. बंदना जैन	1. वास्तुविद कृष्ण मूर्ति 2. वास्तुविद सुदित्य सिन्हा 3. वास्तुविद तुषार गौड़ 4. वास्तुविद कौस्तुभ दास 5. श्री विनोद गुप्ता 6. श्री विनोद गुप्ता 7. डॉ. प्रफुल्ल पार्लेवार 8. डॉ. गौरव रहेजा 9. डॉ. मोहम्मद साकिब 10. वास्तुविद साबू फ्रांसिस	8 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024	60
10.	मानविकी के माध्यम से वास्तुकला को पढ़ाना और लागू करना	वास्तुविद फातिमा कबीर	1. प्रोफे. जॉय सेन 2. प्रोफे. अबन सेठना 3. प्रोफे. जमशेद भिवंडीवाला 4. सुश्री मदनिया मोजावाला 5. प्रोफे. रवीन्द्र वासवदा 6. प्रोफे. अख्तर मोहम्मद चौहान 7. वास्तुविद फातिमा नासिकवाला 8. वास्तुविद स्नेहा अंबरीश बेंद्रे	22 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024	70
11.	विषयों को नवकार्य दृष्टि के साथ देखने के एक उपकरण के रूप में चयनपरक होना	प्रोफे. प्रदन्या पटकी	1. प्रोफे. वास्तुविद कविता दरयानी राव 2. प्रोफे. डॉ. पराग जी. नरखड़े 3. वास्तुविद नित्यति जिज्ञासु	29 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024	58

			4. वास्तुविद निखिल धर 5. वास्तुविद रागिनी गोस्वामी 6. डॉ. सुदन्या महिमकर 7. डॉ. नटराज क्रांति 8. वास्तुविद दीपशिखा जैन 9. वास्तुविद सारंग पटवर्धन 10. वास्तुविद मंगेश बेलसरे		
12.	हमारे सिर पर छत – अनौपचारिक आवासों की दिशा में कार्य करना और जलवायु अनुकूलन विकास करना	वास्तुविद आदित्य सावंत	1. सुश्री शीला भरत पटेल 2. वास्तुविद बनश्री बनर्जी 3. प्रोफे. अनिरुद्ध पॉल 4. सुश्री स्मृति श्रीनिवास जुकुर 5. प्रोफे. अंकुश चंद्रन 6. डॉ. बिनती सिंह 7. सुश्री सिद्धि राजेंद्र मेहता 8. श्री अकबर अल्लाहबख्श 9. श्री निहार जौहरी 10. श्री मोहक गुप्ता 11. वास्तुविद आदित्य सावंत 12. सुश्री सेजल पटेल	5 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2024	74
13.	विशाल और जटिल भवनों के लिए एकीकृत डिजाइन वास्तुानीतियाँ : आईटी पार्कों पर ध्यान देना	डॉ. के एस अनंत कृष्णा	1. वास्तुविद प्रमोद बालाकृष्णन 2. प्रोफे. साईराम दसारी 3. वास्तुविद भावना सेठी 4. वास्तुविद विजया प्रसाद भार्गव 5. वास्तुविद माधव जोशी 6. वास्तुविद बी. सुधीर 7. वास्तुविद अपर्णा नरसिम्हन 8. वास्तुविद वीरेंद्र ईश्वरीप्रसाद खरे 9. वास्तुविद कविता सेल्वराज 10. डॉ. अनूप नाइक	5 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2024	35
14	परिणाम आधारित शिक्षा : वास्तुकला पाठ्यक्रम में कार्यक्रम परिणामों और पाठ्यक्रम परिणामों का निर्धारण करना	डॉ. ममता पी. राज	1. प्रोफे. पुष्कर कनविंदे 2. प्रोफे. डॉ. अमित हजेला 3. डॉ. सागर टी. एस. 4. डॉ. सुचंद्र बर्धन 5. डॉ. रंगनाथ आर. वी. 6. डॉ. निखिल रंजन मंडल 7. डॉ. शीतल शर्मा 8. डॉ. विनायक एस. अदाणे 9. प्रोफे. मनोज माथुर	19 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024	56
15.	प्रकृति के साथ डिजाइनिंग : भूमि, जल और वनस्पति के साथ निर्मित पर्यावरण के संबंधों की खोज करना	प्रोफे. प्राची नाडकर्णी	1. वास्तुविद शिल्पा गौरीश चंदावरकर 2. वास्तुविद निखिल धर 3. वास्तुविद शार्दुल पाटिल 4. वास्तुविद भक्ति अमरीश ठाकुर 5. डॉ. मेघल विजय आर्य 6. डॉ. शनमुगा प्रिया जी. 7. वास्तुविद इन्तखाब आलम 8. वास्तुविद राहुल गोरे 9. वास्तुविद अमृता कौर स्लैच 10. वास्तुविद जॉर्ज जेरी जैकब	26 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024	50
16.	सिद्धांत एवं अभ्यास से निर्मित और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देकर शहरी विकास करना	डॉ. सीमांतिनी चाफलकर	1. डॉ. नीता दास 2. वास्तुविद किरण कलमदानी 3. डॉ. जिग्ना देसाई 4. वास्तुविद चेंबूरकर राहुल विजय	2 सितंबर 2024 से 6 सितंबर 2024	60

			5. वास्तुविद अजय कुलकर्णी 6. वास्तुविद बेनी कुरियाकोस 7. वास्तुविद विकास दिलावरी 8. वास्तुविद अरुल 9. वास्तुविद विनोद कुमार एमएम 10. वास्तुविद मुनीष पंडित		
17.	अनुकूल पुनः उपयोग और संरक्षण : ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण और नवीन उद्देश्यों हेतु विद्यमान संरचनाओं के अनुकूलन के बारे में शिक्षित करना	प्रोफे. जगबीर सिंह	1. प्रोफे. प्रियालीन सिंह 2. प्रोफे. कस्तूरबा एके 3. डॉ. बिनुमोल टॉम 4. वास्तुविद स्मृति रस्तोगी 5. प्रोफे. आनंद खत्री 6. प्रोफे. मोह. फरहान फाजली 7. प्रोफे. मोह. जियाउद्दीन 8. वास्तुविद मुनीष पंडित 9. प्रोफे. वंदना सहगल	23 सितम्बर 2024 से 27 सितम्बर 2024	26
18.	वास्तुकला और भवन सेवाएँ	वास्तुविद मृण्मयी तिवारी	1. डॉ. पार्थसारथी सत्वैया 2. डॉ. प्रतिमा ढोके 3. डॉ. शंख पी. भट्टाचार्य 4. डॉ. पूर्वा केसकर 5. डॉ राजीव गर्ग 6. वास्तुविद शंकर गोविंदराव घिमे 7. डॉ. संदीप शिरखेडकर 8. वास्तुविद विशाल श्यामसुंदर रामटेके 9. वास्तुविद विजेश कुमार वी. 10. डॉ. विवेक भोरे	7 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024	42
19.	निर्मित पर्यावरण में अग्नि सुरक्षा – एक वास्तुविद की भूमिका!	डॉ. मीरा शिरोलकर	1. श्री संतोष एस. वारिक 2. डॉ. शोरब जैन 3. डॉ. राजा सिंह 4. श्री राजेश चन्द्र शर्मा 5. डॉ. प्रतिमा दीपक ढोके 6. डॉ. मीरा पंकज शिरोलकर 7. श्री राजेश शिर्के 8. श्री संदीप गोयल 9. डॉ. अरुण कुमार सरवनन 10. सुश्री अलका जोशी	14 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024	42
20.	एआई और वास्तुकला : अनुकूलन और क्रियान्वयन	डॉ. कैवान मेहता	1. वास्तुविद नमन मेहता 2. श्री अयाज बसराई 3. वास्तुविद वरुण मेहता 4. वास्तुविद इप्सिता दत्ता 5. श्री मयूर मिस्त्री 6. वास्तुविद केदार उंडले 7. श्री उताम सोलंकी 8. वास्तुविद अंशुमान रॉय 9. वास्तुविद ईशान वोरा 10. प्रोफे. अनिरुद्ध पॉल 11. वास्तुविद अंकुश चंद्रन 12. वास्तुविद कृष्णा मूर्ति 13. वास्तुविद भवलीन कौर 14. वास्तुविद पार्श्व सेठ	14 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024	84
21.	भवनों में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण	प्रोफे. सुधाकर जे.	1. डॉ. गौरी शिउरकर 2. सुश्री शबनम बस्सी 3. डॉ. शंखा प्रतिम भट्टाचार्य 4. डॉ. कार्तिकेयन एस.	21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024	30

			5. डॉ. अंशुल गुजराती 6. वास्तुविद मनोरंजनी आर. 7. प्रोफे. सुधाकर जे. 8. प्रोफे. रुचि मेहता 9. डॉ. खुप्लियानलम तुंगनुंग 10. डॉ. परिसुथा राजन 11. डॉ. बालाजी आर. 12. श्री आकाश दीप 13. वास्तुविद आशिका सुल्ताना 14. श्री कार्तिकेयन एम.		
22.	वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं और प्रकाशनों के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण	प्रोफे. अरुणा भारद्वाज	1. डॉ. हिना जिया 2. डॉ. बिजय कुमार साहू 3. डॉ. पारुल मुंजाल 4. प्रोफे. पूजा ललित कुमार 5. प्रोफे. आर. श्रीनिवास 6. डॉ. शुभजीत साधुखान 7. डॉ. फरहीन बानो 8. डॉ. नेहा कोल्हे 9. प्रोफे. अरुणा भारद्वाज रावत 10. सुश्री तृषा दे नियोगी	21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024	25
23.	निर्माण वास्तुनीतियों और समाधानों में कार्बन तटस्थता की ओर उन्मुख	डॉ. एम. एन. चन्द्रशेखर	1. वास्तुविद मकरंद भूत 2. डॉ. अय्यर विजयलक्ष्मी काशीनाथ 3. सुश्री दिगिशा पटेल 4. वास्तुविद अनुभा अष्टिकर 5. वास्तुविद दीपा पारेख 6. वास्तुविद प्रजना आइगल 7. डॉ. शैडी अतिया 8. डॉ. शिल्पा मदनगोपाल 9. वास्तुविद गगन देवैया केचिरा 10. वास्तुविद नेहा अवस्थी 11. डॉ. पूर्वा तावरी	25 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024	52
24.	आवासन और रहवास योग्यता	वास्तुविद प्रदन्या चौहान	1. प्रोफे. प्रदन्या चौहान 2. प्रोफे. अख्तर चौहान 3. वास्तुविद मिनाज अंसारी 4. वास्तुविद बीजू कुरियाकोस 5. वास्तुविद फातिमा नासिकवाला 6. वास्तुविद पंकज जोशी	2 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024	50
25.	वास्तुकला शिक्षा में विकल्पों की भूमिका को पुनः परिभाषित करना	प्रोफे. राखी बेगमपुरे	1. डॉ. वैशाली पी. लाटकर 2. वास्तुविद सौरभ जोशी 3. वास्तुविद संजय प्रकाश 4. डॉ. रोशनी उदयवर 5. डॉ. माधव कुमठेकर 6. वास्तुविद प्रशांत एम. एस. 7. डॉ. शिल्पा शर्मा 8. वास्तुविद जागृति झुनझुनवाला– सरदा 9. प्रोफे. गौरव दास महापात्रा 10. डॉ. जॉय सेन	9 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024	56
26.	वास्तुविदों के लिए उन्नत शैक्षिक लेखन	वास्तुविद प्रीति नायक	1. डॉ. संजीव विद्यार्थी 2. डॉ. मुस्तनसिर दलवी 3. डॉ. कैवान मेहता 4. डॉ. स्मिता दलवी 5. डॉ. प्रत्यूष शंकर	9 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024	61

			6. डॉ. स्वागतिका मिश्रा 7. सुश्री अदिति मद्दली		
27.	आर्कपेटेंट : नैतिक रूप में नवाचार करें, सुरक्षा करें और अनुसंधान करें	वास्तुविद सुवर्णा ठाकरे	1. डॉ. प्रोफे. गौरी अशोक गर्गटे 2. डॉ. सुदन्या महिमकर 3. श्री सुनीत सबले 4. डॉ. प्रियम पिल्लई 5. प्रोफे. डॉ. कविता दरयानी राव 6. डॉ. नंदिनी कुलकर्णी 7. डॉ. सुजाता रॉय 8. श्री सागर रणशूर 9. प्रोफे. सरोजिनी लोहोट 10. सीए. भाविक भानुशाली 11. वास्तुविद कृष्णा मूर्ति	16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024	42
28.	वास्तुकला शिक्षा में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	प्रोफे. ज्योति लूथरा	1. वास्तुविद गौरव गुप्ता 2. वास्तुविद प्रीति राणा 3. वास्तुविद चक्रेश जैन 4. वास्तुविद नीलाक्षी श्रीवास्तव 5. वास्तुविद निखिल भंडारी 6. वास्तुविद तरुण वर्मा 7. सुश्री शालिनी मिश्रा 8. वास्तुविद जॉय मंडल 9. वास्तुविद अभिनव गोयल 10. डॉ. मोह. कमर तनवीर	16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024	53
29.	कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) और वास्तुकला : भविष्य के डिजाइनरों और शिक्षकों का निर्माण	डॉ. अपर्णा पराते	1. वास्तुविद साहिल तनवीर 2. वास्तुविद मोनिश सिरिपुरपु 3. वास्तुविद सुबीन जमील 4. डॉ. प्रफुल्ल परेलवर 5. वास्तुविद ऋतु शर्मा 6. वास्तुविद रॉबर्ट शुक 7. डॉ. एकता सिंह 8. डॉ. के. एस. सौम्या रानी 9. वास्तुविद कृष्णा मूर्ति 10. वास्तुविद धनश्री सरदेशपांडे	6 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025	85
30.	डिजाइन स्टूडियो शिक्षण पद्धतियाँ : फाउंडेशन स्टूडियो से थीसिस तक की यात्रा	वास्तुविद विनीता पी. एस.	1. डॉ. अंजलि कदम 2. प्रोफे. हर्ष मुनासिंघे 3. प्रोफे. स्मित व्यास 4. वास्तुविद संदीप बी. मेनन 5. प्रोफे. बेजेन कोठारी 6. डॉ. आसिफ आर. खान 7. वास्तुविद अनुरंगी मेंडिस 8. वास्तुविद अशन डी सिल्वा 9. प्रोफे. जॉन ओधिआम्बो ओनयांगो 10. प्रोफे. डॉ. राजशेखर राव 11. वास्तुविद अक्षय कौल	6 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025	72
31.	नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग – भारत में संधारणीय और पर्यावरणानुकूल भवन पद्धतियों की आवश्यकता	प्रोफे. मंजरी राय	1. डॉ. फरहीन बानो 2. वास्तुविद गीता बालाकृष्णन 3. वास्तुविद संजय प्रकाश 4. डॉ. ऋतु गुलाटी 5. वास्तुविद चित्रा विश्वनाथ 6. वास्तुविद अंकित भल्ला 7. वास्तुविद दिनेश हिप्परकर 8. डॉ. परवीन कुमार 9. डॉ. प्रतीक सुधाकरन	20 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025	48

			10. डॉ. खुशाल मतई		
32.	वास्तुकला शिक्षाशास्त्र में एसडीजी की व्याख्यायें – भवन निर्माण और सेवाएँ	वास्तुविद धीरज सल्होत्रा	1. श्री अमोल नंदकिशोर पोरे 2. वास्तुविद साबू फ्रांसिस वडुक्कुट 3. श्री मनीष चंद्रकांत पारिख 4. डॉ. प्रतिमा ढोके 5. डॉ. शनमुगा प्रिया 6. वास्तुविद अमलन सिगमंड कौशिक 7. श्री संतोष वारिक 8. डॉ. बिजय कुमार दास	27 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025	27
33.	ऊँचे भवनों में रहने की गतिशीलता : सामाजिक और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य	डॉ. भक्ति मोरे	1. श्री याह्या जान 2. प्रोफे. डॉ. खालिद गलाल अहमद 3. वास्तुविद अदेल सत्तारीपुर 4. डॉ. एडगर स्टैच 5. सुश्री मनोरंजिनी आर. 6. डॉ. पेंग डू 7. सुश्री प्रिया मृणाल 8. श्री नंदन तावकर 9. डॉ. शाजी पणिक्कर 10. वास्तुविद जेसन कार्लो	27 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025	44
34.	डिजाइन स्टूडियो में प्रौद्योगिकी और डिजिटल टूलकिट को एकीकृत करना	प्रोफे. मीरा मालेगांवकर	1. प्रोफे. मीरा मालेगांवकर 2. वास्तुविद विक्रम कोहली 3. वास्तुविद मोहम्मद सलमान 4. वास्तुविद ऐश्वर्या उदय टिपणिस 5. वास्तुविद अमित कुमार बिस्वाल 6. वास्तुविद शैली मोदी 7. वास्तुविद अंकुश चंद्रन 8. श्री अविजित किशोर 9. वास्तुविद दर्शना अग्रवाल 10. वास्तुविद अंकुर ज्योति दत्ता 11. वास्तुविद सैली मधुसूदन गोसावी 12. वास्तुविद दक्ष जैन	3 फरवरी 2025 से 7 फरवरी 2025	46
35.	वास्तुकला में स्नातक थीसिस और निबंध को डिकोड करना	डॉ. परमप्रीत कौर	1. डॉ. अब्राहम जॉर्ज 2. डॉ. परमप्रीत कौर 3. डॉ. केतन एस. किम्मतकर 4. डॉ. मानसी बाल भार्गव 5. डॉ. विशाल छेत्री 6. डॉ. सत्यकी सरकार 7. डॉ. अरिंदम विश्वास 8. डॉ. ऋतु जी. देशमुख 9. डॉ. हिमांशु पोपतानी 10. प्रोफे. वास्तुविद उदय गडकरी	10 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025	45
36.	स्नातक वास्तुकला पाठ्यक्रम में संधारणीयता को एकीकृत करना	वास्तुविद सुरेंद्रन आलोने	1. वास्तुविद कृष्णन वर्मा 2. वास्तुविद मनोज लधड़ 3. वास्तुविद रोहित मजूमदार 4. श्री बसवन्ना महेश 5. डॉ. लिली रोज ए. 6. वास्तुविद मोहन राव 7. वास्तुविद सुरेंद्रन आलोने 8. वास्तुविद हितेन चावड़ा 9. वास्तुविद नितिन एमएस 10. वास्तुविद उदय अंधारे	10 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025	58

37.	वास्तुकला में स्वर–समता (सिम्फनीज) – डिजाइन विचार की पहेली– अभ्यास के माध्यम से एक परिप्रेक्ष्य	प्रोफे. ए. धर्मप्रिया	1. वास्तुविद डेविड करुण 2. वास्तुविद सानिया आफरीन 3. वास्तुविद अरविन्द रंगन 4. वास्तुविद सीता रघुपति 5. वास्तुविद जयगोपाल जी. राव 6. वास्तुविद राधिका 7. वास्तुविद जेगनाथ जे.बी. 8. डॉ. पोन्नी एम. कॉन्सेसाओ 9. वास्तुविद रामा नायक 10. वास्तुविद श्रीनाथ तंदूर	17 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025	28
38.	वास्तुकला में उपनिवेशवाद विरोधी शिक्षा	प्रोफे. मंदार परब	1. वास्तुविद अथुल्या एबी 2. वास्तुविद शीमा फातिमा 3. डॉ. विशाखा कवाथेकर 4. वास्तुविद गुरुप्रसाद सुरेश राणे 5. वास्तुविद दीपा देसाई 6. वास्तुविद मंजूषा उकिदवे 7. डॉ. जे. श्रीनिवास 8. डॉ. रामचन्द्रशेखर पी. 9. वास्तुविद मानसी विवेक हट्टंगड़ी 10. वास्तुविद नीता मिलिंद सरोदे 11. वास्तुविद यतिन पंड्या 12. श्री कार्तिक रंजन	3 मार्च 2025 से 7 मार्च 2025	32
39.	संधारणीय भवन लिफाफा डिजाइन में अग्नि सुरक्षा और प्रदर्शन को एकीकृत करना	डॉ. ममता पी. राज	1. डॉ. प्रतिमा ढोके 2. डॉ. एंटनी कुमार बोइटी 3. डॉ. पराग नरखेड़े 4. वास्तुविद इंद्रनील भट्टाचार्य 5. श्री ललित नागपुरे 6. डॉ. नागेन्द्र नारायण 7. श्री राघवेन्द्र खोत 8. श्री शिवरामकृष्णन वी. 9. प्रोफे. नेहा भाटिया 10. डॉ. मनोज कुमार	17 मार्च 2025 से 21 मार्च 2025	41
40.	आपदा अनुकूलन के लिए वास्तुकला शिक्षा : एसडीजी 11 को संधारणीय शहरी विकास में एकीकृत करना	वास्तुविद रेशमी एमके	1. वास्तुविद नेहा स्वप्निल राजे भोले 2. डॉ. स्नेहा 3. डॉ. शिबू के. मणि 4. श्री लक्ष्मण श्रीकांत 5. वास्तुविद यश प्रमोद गुप्ता 6. वास्तुविद अरुण बेबी एम. विल्सन 7. वास्तुविद चेतन सोडाय 8. वास्तुविद राकेश गांधी एम. 9. डॉ. शिखा मौनिक पटेल 10. वास्तुविद अंकुश चंद्रन	24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025	35
41.	वास्तुकला और डिजाइन शिक्षा में प्रदर्शनकारिता तकनीकों के शिक्षण का शिक्षाशास्त्र	डॉ. ओ. पी. बावने	1. वास्तुविद शिवकुमार एस. 2. वास्तुविद प्रशांत जी. पोले 3. वास्तुविद एस. बद्री नारायण 4. वास्तुविद अभिमन्यु गोपाल कुलकर्णी 5. वास्तुविद गुलशन कुमार शर्मा 6. डॉ. मुकुंद सदाशिव अठावले 7. वास्तुविद डॉ. प्रतीक सुधाकरन 8. वास्तुविद उज्जयंत भट्टाचार्य 9. वास्तुविद अनिल सैनी 10. वास्तुविद रघुरामन एम. 11. वास्तुविद विन्यास वर्धन पी.जी.	24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025	38

			12. वास्तुविद किशोर पी. रेवतकर 13. वास्तुविद के. श्रीधर 14. वास्तुविद मुरलीधर कृष्णा रेड्डी 15. वास्तुविद डॉ. पी. एस. हरिमोहन पिल्लई		
				कुल :	**2033**
क्र. सं.	**ऑफलाइन कार्यक्रम के विवरण**	**समन्वयक का नाम**		**तिथियाँ**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1.	भारतीय पड़ोस को कार्य सक्षम बनाना : निर्बाध कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षित + छायादार + सामाजिक सड़कें बनाना स्ट्रीट डिजाइन । साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर । सार्वजनिक परिवहन	वास्तुविद प्रसन्ना देसाई	1. वास्तुविद प्रांजलि देशपांडे 2. वास्तुविद प्रसन्ना देसाई 3. वास्तुविद प्रतापसिंह भोंसले 4. वास्तुविद शिवराम सोमसुंदरम 5. डॉ. संस्कृति मेनन 6. श्री विकास ठक्कर 7. वास्तुविद साईं वीरकर 8. वास्तुविद अजिंक्य देसाई 9. वास्तुविद शुभाश्री राणे 10. श्री हर्षद अभयंकर 11. श्री रंजीत गाडगिल	17 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025	23
				कुल :	**23**

ख. अन्य गतिविधियाँ

वास्तुकला परिषद् ने वास्तुकला प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (सीओए–टीआरसी) के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है :

- गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत नई दिल्ली में 26 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व में अखिल भारतीय विरासत और वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाले 40 पैनलों का प्रदर्शन किया गया।
- शैक्षिक संसाधन विकास योजना (एआरडीएस)–2025 और वास्तुविदों द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वास्तुकला ज्ञान भंडार के माध्यम से स्वदेशी पुस्तकों के रूप में वास्तुकला में स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों, पेशेवरों और छात्रों को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए योजनाएँ शुरू की गईं।
- निर्मित पर्यावरण के सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ सहयोग से मान्यता प्राप्त वास्तुकला विद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से संशोधन 2025 योजना शुरू की गई।
- शैक्षिक वर्ष 2024–25 में, सीओए टीआरसी ने सीओए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "ट्रांसफॉर्मेशन 2025 : वास्तुकला, डिजाइन और शहरीकरण में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के साथ परिवर्तन का सह–लेखन" की अवधारणा और विवरण तैयार करने पर काम किया है। यह सम्मेलन डी.वाई. पाटिल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वास्तुकला विद्यालय, नवी मुंबई के सहयोग से 26, 27 और 28 जून 2025 को आयोजित किया गया।

- सम्मेलन से पहले 12 वेबिनार आयोजित किए गए, जिनमें से निम्नलिखित 7 वेबिनार 31 मार्च 2025 तक आयोजित किए गए थे :

1. सीओए अध्यक्ष प्रोफे. अभय पुरोहित द्वारा सम्मेलन वेबिनार श्रृंखला का उद्घाटन, जिसके बाद प्रोफे. डॉ. संजीव विद्यार्थी का वास्तुकला और शहरीकरण के क्षेत्र में 'विघटन' की अवधारणा को स्थापित करने पर व्याख्यान : विषय पर विस्तृत चर्चा, वक्ता : प्रोफे. अभय पुरोहित (सीओए अध्यक्ष), प्रोफे. डॉ. संजीव विद्यार्थी, प्रोफे. जयश्री देशपांडे (सीओए टीआरसी), प्रोफे. अपर्णा सर्वे (डीन, डीवाईपीयूएसओए) द्वारा 06–01–2025 को प्रस्तुत।
2. डिजाइन, सहयोग और संधारणीयता पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव : वास्तुविद कृष्णमूर्ति द्वारा 16–01–2025 को प्रस्तुत।
3. शहरी संदर्भ में आँकड़ा विज्ञान / विश्लेषण : प्रोफे. अनिरुद्ध पॉल और प्रोफे. अंकुश चंद्रन द्वारा 31–01–2025 को प्रस्तुत।
4. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवाचार : वास्तुविद प्रसाद वैद्य द्वारा – मॉडरेटर, वास्तुविद अशोक लाल और गगनदीप भुल्लर द्वारा 13–02–2025 को प्रस्तुत।
5. प्रयोगशाला से बाजार तक : 3डी प्रिंटेड कंक्रीट के साथ शैक्षिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों को जोड़ना, डॉ. आशीष मोहिते द्वारा 27–02–2025 को प्रस्तुत।
6. विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास संबंधी चुनौतियों, वास्तुकला और डिजाइन की भूमिका पर पुनर्विचार, डॉ. बिनुमोल टॉम और प्रोफे. आनंद खत्री द्वारा 13–03–2025 को प्रस्तुत।
7. शहरी मॉर्फो–मैट्रिक्स : साक्ष्य–आधारित, विकासवादी डिजाइन के लिए तकनीकी नवाचार, प्रोफे. सर्जियो पोर्टा, यूके और प्रोफे. अनिरुद्ध पॉल – मॉडरेटर द्वारा 27–03–2025 को प्रस्तुत।

47. प्रकाशन : परिषद् "आर्किटेक्चर टाइम स्पेस एंड पीपल" नामक पत्रिका और सीए न्यूजलेटर का ई–फॉर्मेट प्रकाशित कर रही है, जिसमें वास्तुकला और संबंधित विषयों से जुड़े विभिन्न लेख और परिषद् तथा इसकी गतिविधियों के बारे में समाचार और जानकारी सम्मिलित है। वास्तुकला शिक्षा और पेशे को बढ़ावा देने के लिए परिषद् ने वास्तुकला संस्थानों को वितरण हेतु मित मूल्यों पर निम्नलिखित पुस्तकें खरीदी हैं :

क्र. सं.	पुस्तक शीर्षक
1.	बुक ऑन द वॉक – 1700 इन 70 लेखक – वास्तुविद गीता बालकृष्णन
2.	डिजिटल फॉर्मेट मोनोग्राफ का निर्माण – 25 कार्यस्थल संस्थान वास्तुकला परियोजनाएं विभिन्न श्रेणियों में संकलनकर्ता – प्रोफे. दुर्गानंद बलसावर
3.	मैटीरियल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग लेखक – वास्तुविद हरीश मालपानी
4.	वर्क्स ऑफ राज रेवाल लेखक – वास्तुविद राज रेवाल
5.	आर्किटेक्चरल एजुकेशन इन द चेंजिंग वर्ल्ड संकलनकर्ता – वास्तुविद मधुमिता रॉय, वास्तुविद नंदिनी कुलकर्णी, वास्तुविद जयश्री देशपांडे

1. निम्नलिखित पुस्तकें छपाई के लिए तैयार हैं और शीघ्र ही छपाई और वितरण के लिए उपलब्ध होंगी :
- आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2023
- डॉक्युमेंटिंग आर्किटेक्चरल हेरिटेज 2023
- आर्काइविंग पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस इन आर्किटेक्चर 2014–2021
- आर्किटेक्चर बेयोंड द ब्लूप्रिंट
- जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर : स्पेशल इश्यू
- अर्बन स्टूडियो रिसर्च प्रोजेक्ट
- टीचिंग एंड एप्लाइंग ह्यूमेनिटीज थ्रू आर्किटेक्चर

2. निम्नलिखित पुस्तकें छपाई के लिए स्वीकृत हैं। ये शीघ्र ही प्रकाशित और वितरित की जाएंगी :
- फ्रॉम प्री–डिजाइन टु डिजाइन
- ए स्केचर्स बुक

3. निम्नलिखित पुस्तकें डिजाइन प्रक्रिया में हैं और छपाई के लिए संकलित की जा रही हैं। ये शीघ्र ही प्रकाशित और वितरित की जाएंगी :
- आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2024
- डॉक्युमेंटिंग आर्किटेक्चरल हेरिटेज 2024

48. सार्वभौमिक पहुंच वाले लेखापरीक्षकों का प्रशिक्षण : वास्तुविद अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के क्रम में, परिषद् ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच पर एक नियमावली तैयार करना और वास्तुविदों/सार्वभौमिक पहुंच रखने वाले लेखापरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना है, जिसमें वास्तुकला पाठ्यक्रम के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों और भवनों को सुलभ बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। इसने कार्यरत वास्तुविदों, शिक्षाविदों और संकाय सदस्यों के लिए सार्वभौमिक पहुंच पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम विकसित करने और चलाने की सुविधा भी प्रदान की। परिषद् ने सार्वभौमिक पहुंच वाले लेखापरीक्षकों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका समापन नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 11 और 12 मार्च, 2024 तथा 4 और 5 जुलाई, 2024 को दो सत्रों में भौतिक प्रशिक्षण सत्रों के साथ हुआ। मास्टर प्रशिक्षकों को सीओए के अध्यक्ष और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र जारी किए गए। परिषद् ने एक व्यापक परामर्शन प्रक्रिया के बाद सार्वभौमिक पहुंच पर एक व्यापक नियमावली का मसौदा तैयार करने का कार्य भी पूरा कर लिया, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्लूडी) के नामित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ 33 बैठकें शामिल थीं।

49. संशोधन – एक शोध योजना का शुभारंभ : परिषद्, अपने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (सीओए–टीआरसी), पुणे के माध्यम से, मान्यता प्राप्त संस्थानों में वास्तुकला के क्षेत्र में एक सशक्त शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2025 में 'संशोधन' नामक एक अनूठी शोध पहल शुरू कर रही है। यह योजना प्रतिवर्ष अधिकतम 100 शोध परियोजनाओं को रु. 3,00,000 तक के अनुदान (असाधारण प्रस्तावों के लिए रु. 5,00,000 तक विस्तारित) के साथ दो वर्षों की

एकावधि के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमें तीन श्रेणियां हैं : युवा संकाय सदस्यों के लिए शोध मार्गदर्शन कार्यक्रम, वरिष्ठ शिक्षाविदों और वास्तुविदों के लिए परिणामोन्मुखी शोध कार्यक्रम और शोध–उन्मुख वास्तुकला फर्मों की भागीदारी। यह कार्यक्रम स्थानीय हितधारकों के सहयोग से नवीन, परिणामोन्मुखी शोध को प्रोत्साहित करता है, जिसमें सामाजिक प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परियोजनाओं का चयन एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और अनुदान परियोजना के महत्वपूर्ण चरणों के आधार पर तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा। शोध परिणामों में विस्तृत रिपोर्ट और शोध पत्र अवश्य सम्मिलित होने चाहिए।

50. वास्तुकला ज्ञान भंडार का शुभारंभ : वास्तुकला परिषद् (सीओए) ने गर्वपूर्वक वास्तुकला ज्ञान भंडार का शुभारंभ किया है – यह एक दूरदर्शी मंच है जिसे भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विविधता में निहित वास्तुकला ज्ञान के व्यापक दायरे को प्रलेखित, संरक्षित और प्रसारित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल भारत में वास्तुकला शिक्षा और अभ्यास को समृद्ध करना है, बल्कि भारत की परंपराओं, नवाचारों और समकालीन प्रथाओं को प्रदर्शित करके वास्तुकला के वैश्विक विमर्श में सार्थक योगदान देना भी है। यह पहल स्वदेशी आख्यानों, गहन शोध और समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शैक्षिक रूप से सुदृढ़ और पेशेवर रूप से प्रासंगिक वास्तुकला साहित्य को पोषित करने के लिए परिषद् की सतत् प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह ज्ञान भंडार मौलिक वास्तुशिल्पीय विचारों के सृजन और प्रसार को सुगम बनाएगा, विशेष रूप से भारत की वास्तुकला विरासत, प्रासंगिक शहरीकरण, संधारणीयता और भविष्य के लिए तैयार डिजाइन दृष्टिकोणों के क्षेत्रों में सुगमता का प्रसार होगा। इस समर्पित मंच को प्रस्तुत करके, परिषद् शिक्षकों, छात्रों और पेशेवरों को विश्वसनीय, उच्च–गुणवत्ता वाली और संदर्भ–केंद्रित प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना चाहती है। यह ज्ञान भंडार विद्वानों की सहभागिता और सहयोगात्मक ज्ञान–निर्माण को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे देश में वास्तुकला शिक्षा और अभ्यास के मानकों को ऊपर उठाने में सहायता मिलती है।

51. शैक्षिक संसाधन विकास योजना (एआरडीएस) का शुभारंभ : वास्तुकला परिषद् (सीओए) ने वास्तुकला और संबद्ध क्षेत्रों, जैसे कि डिजाइन, निर्माण प्रौद्योगिकी, धरोहर, संधारणीयता और उभरती प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम के अनुरूप और स्थानीय रूप से प्रासंगिक अध्ययन सामग्री की कमी दूर करने के लिए शैक्षिक संसाधन विकास योजना (एआरडीएस) 2025 के अंतर्गत अध्ययन पुस्तकों के लेखन एवं अनुवादन की योजना शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत, सीओए का लक्ष्य 2025–26 के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई 100 मौलिक और अनुवादित पुस्तकें प्रकाशित करना है। यह योजना ऐसे प्रतिष्ठित विषयक विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है जिनके पास लेखकों, समीक्षकों या अनुवादकों के रूप में योगदान देने हेतु प्रसिद्ध शैक्षिक या व्यावसायिक अनुभव हो। योजना के तहत चयनित लेखकों को प्रति पृष्ठ रु. 1,000 का मानदेय दिया जाएगा, साथ ही समीक्षकों और अनुवादकों को अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर निधि का वितरण अनेक चरणों में किया जाएगा। आवेदनों का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञता, भाषा प्रवीणता और संबंधित क्षेत्र में पूर्व के शैक्षिक या व्यावसायिक कार्य के आधार पर किया जाएगा।

52. परिषद् द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए अपना प्रतीक चिन्ह समर्थन प्रदान करना : परिषद् ने वास्तुकला शिक्षा, जागरूकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक आयोजनों को अपने आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को उपयोग करने का समर्थन प्रदान किया है। इस पहल के माध्यम से, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और अन्य मंचों के आयोजक उचित अनुमोदन के बाद प्रचार सामग्री पर सीओए का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे न केवल आयोजन की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि यह वास्तुकला और डिजाइन में सहयोग और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के परिषद् के दृष्टिकोण के साथ जुड़ाव को भी दर्शाता है। सीओए प्रतीक चिन्ह के उपयोग हेतु समर्थन प्राप्त करनेवाले अनुमोदित आयोजनों की सूची नीचे दी गई है :

1. एपीआईसी (आर्किटेक्चर एंड पीपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस) – रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुंबई (रिफ्लेक्शंस ऑफ द फ्यूचर 2.0 – आर्किटेक्टिंग इंटेलिजेंस)
2. सामाजिक संधारणीयता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – नियोजन एवं वास्तुकला संकाय, पूर्णिमा विश्वविद्यालय
3. संधारणीय वास्तुकला पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : चक्रीय अर्थव्यवस्था – यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग (यूएसएपी)
4. बीएआईसी प्रदर्शनी 2025 – बीएआईसी प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम, मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर, गुवाहाटी, असम
5. वेड एशिया 2025 सम्मेलन एवं पुरस्कार – यशोभूमि (आईआईसीसी), द्वारका, दिल्ली
6. सामाजिक संधारणीयता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय)

अपने प्रतीक चिन्ह के उपयोग हेतु समर्थन को बढ़ावा देकर, सीओए भारत और विदेश में वास्तुकला समुदाय की प्रगति में योगदान देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करने, पेशेवर नैतिकता को मजबूत करने और सार्थक संवादों को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

53. लॉस एंजिलिस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आधारित संवाद : दिनाँक 21 अप्रैल, 2024 को लॉस एंजिलिस (अमेरिका) में वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष प्रोफे. अभय वी. पुरोहित के साथ एन सी ए आर. बी. द्वारा एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर उच्च स्तरीय चर्चायें संपन्न हुईं। विचार–विमर्श में पारस्परिक मान्यता समझौतस (एमआरए) को आगे बढ़ाने और अद्यतन योग्यता आव्यूह के माध्यम से योग्यताओं को संरेखित करने पर संवाद जारी रखने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। दोनों पक्षों ने आगे बढ़ने के लिए उत्साह व्यक्त किया, और मूल्यांकन प्रयासों में सहयोग के लिए स्वयंसेवकों का प्रस्ताव रखा गया और भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातचीत की योजना बनाई गई।

54. परिषद् द्वारा पंजीकरण और नवीनीकरण शिविरों का आयोजन : परिषद् ने वास्तुविदों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित कार्य के लिए निम्नलिखित शहरों में पंजीकरण/नवीनीकरण शिविरों का आयोजन किया :

- हमीरपुर में 15 मई, 2024 को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया
- आईआईए झारखंड में 20 दिसंबर, 2024 को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया
- आईआईए कोल्हापुर में 17 और 18 जनवरी, 2025 को दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया

• आईआईए चेन्नई केंद्र में 8 और 9 फरवरी, 2025 को दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया

55. परिषद् की सोशल मीडिया प्रतियोगिता – "दैट ओनली शॉट": वास्तुकला परिषद् ने *"दैट ओनली शॉट"* नामक एक साप्ताहिक इंस्टाग्राम फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों को अपने लेंस के माध्यम से वास्तुकला के सार को कैद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस प्रतियोगिता ने वास्तुशिल्पीय प्रारूपों की विविधता, सुंदरता और रचनात्मकता का जश्न मनाया और लोगों को डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र के प्रति गहरी समझ के साथ अपने परिवेश को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। फोटोग्राफरों, वास्तुकला के छात्रों और उत्साही लोगों के लिए समान रूप से खुली इस प्रतियोगिता ने अधिसंख्य दर्शकों के साथ अनूठे दृष्टिकोण साझा करने का एक मंच प्रदान किया। प्रत्येक सप्ताह एक नया विषय घोषित किया जाता था, जो प्रतिभागियों को वास्तुशिल्पीय अवधारणाओं और तत्वों को नए और रचनात्मक तरीकों से प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करता था। प्रत्येक विजेता प्रविष्टि सीओए न्यूजलेटर में प्रकाशित की जाती थी और विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और 3000 रुपये के पुरस्कार के साथ एक पुस्तक प्रदान की जाती थी। *"दैट ओनली शॉट"* के माध्यम से, वास्तुकला परिषद् ने वास्तुशिल्पीय सुंदरता के प्रति गहरी सराहना को बढ़ावा दिया और समुदायों और रोजमर्रा के अनुभवों पर इसके प्रभाव को उजागर किया।

56. परिषद् अध्यक्ष की दक्षिण मद्रास की माननीय सांसद से बातचीत : वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष ने तमिलनाडु के दक्षिण मद्रास से माननीय सांसद श्रीमती थमिझाची थंगापांडियन से सौहार्दपूर्ण बातचीत की, जिसमें वास्तुकला शिक्षा, पेशेवर अभ्यास और शहरी एवं सामुदायिक विकास की चुनौतियों के समाधान में वास्तुकला की भूमिका से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में संधारणीय विकास सुनिश्चित करने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए नीति निर्माताओं और पेशे के बीच सहयोगापरक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला गया, और माननीय सांसद ने क्षेत्र में वास्तुकला अभ्यास और शिक्षा को मजबूत करने वाले प्रयासों के लिए अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।

57. युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए डिजाइन हैकाथॉन पर चर्चा : परिषद् ने आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए डिजाइन हैकाथॉन आयोजित करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए 16 जुलाई 2024 को संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव (जीएलएएम) सुश्री मुग्धा सिन्हा के साथ बैठक की। प्रस्तावित पहल का उद्देश्य युवा वास्तुविदों और डिजाइनरों को संग्रहालय के डिजाइन, व्याख्या और आगंतुक अनुभव के लिए नवीन विचारों का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा मिले और भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रस्तुतिकरण में वास्तुकला की भूमिका प्रदर्शित हो।

58. सीओए एक्स क्विकपिक : एआई प्रौद्योगिकी से फोटो प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना : वास्तुकला परिषद् ने सभी इवेंट् की तस्वीरों को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उन्नत फोटो–शेयरिंग और प्रबंधन प्लेटफॉर्म क्विकपिक की सेवाएं ली हैं। एआई–संचालित चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (99.9% सटीकता) और क्यूआर–आधारित आमंत्रणों के साथ, यह प्लेटफॉर्म सभी सदस्यों और इवेंट प्रतिभागियों को निर्बाध, सुरक्षित और कुशल तरीके से फोटो पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। सभी मीडिया एसेट्स एन्क्रिप्टेड हैं और एडब्ल्यूएस पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत हैं, जिससे आँकड़ा का पूर्ण स्वामित्व और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। हमारे बढ़ते विजुअल आर्काइव को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए, सीओए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.coa.gov.in के साथ एकीकृत "सीओए फोटो गैलरी" भी आरंभ की है। यह गैलरी परिषद् की उपलब्धियों, आयोजनों और पहलों का जश्न मनाने वाले एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करती है। इसे https://coa.kwikpic.in/ पर देखें।

59. सोशल मीडिया पर सीओए : वास्तुकला परिषद् सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखे हुए है। इन चैनलों के माध्यम से, सीओए परिषद् की पहलों, नीतियों और ई–सेवाओं के बारे में वास्तुविदों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है, साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तुकला के महत्व और प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करती है। कार्यक्रमों, सम्मेलनों और गतिविधियों पर नियमित अद्यतन, साथ ही नाटा और पीजेटा से संबंधित समयबद्ध अधिसूचनाओं (महत्वपूर्ण तिथियों, कार्यक्रमों और तैयारी संबंधी सुझावों सहित) से सीओए को एक मजबूत और विश्वसनीय डिजिटल पहचान बनाने में मदद मिली है। इंस्टाग्राम पर 63,000 से अधिक और फेसबुक पर 25,000 से अधिक अनुसरणकर्ताओं (फॉलोअर्स) के साथ, सीओए की पहुंच लगातार बढ़ रही है और इसे कुल मिलाकर दस लाख से अधिक बार देख जा चुका है। सोशल मीडिया एक गतिशील संचार माध्यम के रूप में भी उभरा है, जो वास्तुविदों, छात्रों और आम जनता को परिषद् के साथ सीधे जुड़ने की सुविधा देता है। निरंतर संवाद और त्वरित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, सीओए अपने दर्शकों के साथ सुलभता, पारदर्शिता और संचार की खुली व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

60. आभार : परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन में परिषद् को अपना सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी वास्तुकला संस्थानों के प्रति अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग, मार्गदर्शन, सलाह और समर्थन देने के लिए परिषद् के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य पेशेवर निकायों, कार्यरत वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापनदाताओं के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती है।

परिषद् माननीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार और श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार, अध्यक्ष, श्री हरदीप पुरी, माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, कुमारी प्रतिमा भौमिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री राजेश अग्रवाल, सचिव डीईपीडब्लू, भारत सरकार, शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को समय–समय पर परिषद् को दिए गए उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देती है। परिषद् अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2024–25 के दौरान परिषद् को उपयोगी सेवाएं प्रदान की हैं।

दिनाँक : 01.09.2025

आर. के. ओबेरॉय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./611/2025-26]

वर्ष 2024–25 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरण

प्रति,
सेवा में,
वास्तुकला परिषद्
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिबद्ध राय

हमने वास्तुकला परिषद् ("परिषद्") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च 2025 को समाप्त तुलन–पत्र, आय और व्यय विवरण, उस समाप्त वर्ष की प्राप्ति और भुगतान का विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स समाहित हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है (जिसे यहां के बाद "वित्तीय विवरण" संदर्भित किया गया है)।
हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के 'प्रतिबद्ध राय का आधार' अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को रैखकर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, वास्तुकला परिषद् विनियमावली, 1972 (वर्तमान तक संशोधित) द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2025 को परिषद् की स्थिति, उसके अधिशेष और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसकी प्राप्तियों और भुगतानों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

हम नोट संख्या 3 की ओर ध्यान दिलाते हैं कि परिषद् ने "सामान्य निधि/अधिशेष/घाटा खाता" से "मकान निर्माण परिसर निधि" में धनराशि हस्तांतरित की है। उपरोक्त निधि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 10.57 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 14.26 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 18.90 करोड़ रुपये से संबंधित है। आय कर अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित निधि का उपयोग केवल विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त, निधि के सृजन के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्षों की एकावधि के भीतर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। चालू वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं किया गया है, जिसके कारण इसे चालू वित्तीय वर्ष के लिए परिषद् की कर योग्य आय माना जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में बनाई गई निधि का उपयोग 31.03.2023 को या उससे पहले किया जाना आवश्यक था। इसके कारण इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 की कर योग्य आय माना जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2018–19 में बनाई गई निधि का उपयोग 31.03.2024 को या उससे पहले किया जाना आवश्यक था।

इस कारण इसे वित्त वर्ष 2023–24 की कर योग्य आय माना जाना चाहिए था, लेकिन वित्त वर्ष 2023–24 में इस पर कर नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष के लिए परिषद् की कुल आय 43.73 करोड़ रुपये कम दिखाई गई है और मकान निर्माण परिसर निधि इतनी ही अधिक दिखाई गई है। हालांकि, परिषद् निधि के उपयोग के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए निधि के उपयोग की समय सीमा बढ़ाने हेतु सीबीडीटी के अध्यक्ष को आवेदन किया है, जिस पर आय कर विभाग द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपना अंकेक्षण कार्य किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए अंकेक्षण की जिम्मेदारियां अनुभाग में दिया गया है। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम परिषद् से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

परिषद् का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो परिषद् की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में परिषद् की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव सम्मिलित है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों, ताकि वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत किया जा सके और उनमें धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाली कोई भी महत्वपूर्ण त्रुटि न हो। वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन तब तक परिषद् की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन परिषद् को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो। शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति परिषद् की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या गलती के कारण किसी भी वास्तविक त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा ही वास्तविक त्रुटि का पता लगाएगा। त्रुटियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें तब वास्तविक

माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस. के अनुसार अंकेक्षण के हिस्से के रूप में, हम पूरे अंकेक्षण के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों में वास्तविक त्रुटियों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अनुरूप अंकेक्षण प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करते हैं, और अपनी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक त्रुटि का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटि की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- अंकेक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, लेकिन परिषद् के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा परिचालनरत् व्यवसाय लेखांकन के आधार का उपयोग उचित है या नहीं, इस पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करें कि क्या ऐसी कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जिनसे परिषद् की एक परिचालनरत् परिषद् के रूप में बने रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की वर्तमान तिथि तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण परिषद् का एक परिचालनरत् परिषद् अस्तित्व समाप्त हो सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह निर्धारित करें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उचित प्रस्तुतिकरण के ढंग से प्रस्तुत करते हैं।
- हम शासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ, अन्य बातों के अलावा, अंकेक्षण के नियोजित दायरे और समय–सीमा तथा महत्त्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रणों में पाई गई कोई भी महत्त्वपूर्ण कमी शामिल है, के बारे में संवाद करते हैं।
- हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को यह कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों की जानकारी साझा करते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों की भी जानकारी देते हैं।

अन्य नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हम ने अपने अंकेक्षण के उद्देश्य से, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सभी आवश्यक सूचनाएँ और स्पष्टीकरण देख व प्राप्त कर लिए हैं;

ख) हमारी राय में, जहाँ तक हमारी जाँच से स्पष्ट है, वास्तुविद अधिनियम 1972 के अनुसार परिषद् द्वारा उचित खाता बहियां रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारे अंकेक्षण के उद्देश्यार्थ पर्याप्त उचित विवरण प्राप्त हुए हैं।

ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, आय और व्यय विवरण और प्राप्ति और भुगतान विवरण खाता बहियों से मेल खाते हैं।

कृते बी सी जैन एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार, एफआरएन : 001099सी
हस्ता./–
सीए श्याम जी गुप्ता, साझीदार
सदस्यता संख्या : 416155
यूडीआईएन : 25416 155बीएमएलएमएससी9135

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 24–09–2025

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली
(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित)
(अलाभकारी संगठन – एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2025 के अनुसार तुलन–पत्र **(राशि – रु. लाख में)**

	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष
राशि / पूंजी निधि एवं देनदारियाँ			
भारतीय शासन का पूंजी योगदान	1	1.50	1.50
सुनिश्चित निधियाँ	2	16366.50	15132.60
देनदारियाँ	3	2745.26	2840.00
अधिशेष / घाटा खाता	7	5534.70	4902.76
कुल		**24647.96**	**22877.10**
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4	2421.21	2391.11
निवेश	5	21324.71	19023.47
वर्त परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	6	902.04	1462.52
कुल		**24647.96**	**22877.10**
खातों के अनुसार लेखाँकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद्
हेतु एवं उसकी ओर से

हस्ता./–
(रजिस्ट्रार)

हस्ता./
(अध्यक्ष)

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 24–09–2025

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001099सी

हस्ता./–
(सीए श्याम जी गुप्ता)
सदस्यता संख्या : 416155

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली (वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित)
(अलाभकारी संगठन – एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय **(राशि – रु. लाख में)**

	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष
आय			
शुल्क	8	706.84	580.56
अन्य आय	9	646.77	1041.21
अर्जित ब्याज	10	1153.57	1077.51
कुल (क)		**2507.18**	**2699.28**

व्यय			
प्रतिष्ठान व्यय	11	306.17	237.74
प्रशासनिक व्यय	12	223.24	155.73
शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्द्धन से संबंधित व्यय	13	254.10	273.10
ह्रास	4	32.95	33.90
कुल (ख)		**816.46**	**700.47**
व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के रूप में शेष (क–ख)		1690.72	1998.81
अधिशेष एवं घाटा खाता में अंतरित		1690.72	1998.81

वास्तुकला परिषद्
हेतु एवं उसकी ओर से

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001099सी

हस्ता./–
(रजिस्ट्रार)

हस्ता./
(अध्यक्ष)

हस्ता./–
(सीए श्याम जी गुप्ता)
सदस्यता संख्या : 416155

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 24–09–2025

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली (वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित)
(अलाभकारी संगठन – एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि का प्राप्ति एवं भुगतान खाता **(राशि – रु. लाख में)**

प्राप्तियाँ	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष	भुगतान	वर्त वर्ष	पूर्ववर्त्ती वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क) रोकड़ शेष एवं ड्राफ्ट्स	0.08	6.51	क) प्रतिष्ठान व्यय (अनुसूची 11 के अनुरूप)	306.17	237.73
ख) ऑनलाइन पीजी प्राप्तियाँ	0.41	1.71	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुरूप)	223.24	155.73
ग) बैंक शेष			ग) कार्यशालाओं के व्यय– प्रत्याशा/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/विद्यार्थी बिनाले	8.26	77.51
1) चालू/ओडी खातों में	26.26	2.49	घ) थीसिस/विरासत पुरस्कार कार्यक्रम व्यय	49.19	51.93
2) बचत खाता	185.72	289.95	ड.) वास्तुविद व्यय– सीओई, बेगलुरू/एनबीसीसी ओखला कार्यालय	3.50	9.97
II. प्राप्त निधियाँ		601.40	च) उत्कृष्टता केंद्र,बेंगलुरू व्यय	14.81	0.00
क) मूल्याँकन शुल्क	454.45	0.50	छ) वास्तुकला जागरूकता व्यय पर फिल्म	0.00	1.05
ख) निर्णय पुनरीक्षण का शुल्क	0.50	18.60	ज) डिजिटल/ई–लाइब्रेरी व्यय	13.28	0.00
ग) इन्ट्यूशन्स का अर्थदंड/दंड	3.47	41.00			
घ) संस्थान का नाम/स्थल परिवर्तन/समापन का शुल्क	58.00				
ड.) प्रशासनिक प्रभार	1.10	0.00			
III. प्राप्त ब्याज			II. **विभिन्न परियोजनाओं हेतु उपलब्ध निधियों के समक्ष किये गये भुगतान**		
क) बैंक जमाओं पर	1,091.56	1055.92			
ख) ऋण, अग्रिम, इत्यादि पर	8.24	8.79			
ग) बचत बैंक खाता पर	21.64	12.80			
घ) आय / सेवा कर रिफंड पर	32.13	0.00			
IV. शुल्क आय					
क) अतिरिक्त योग्यता शुल्क	0.00	0.00			
ख) पंजीकरण शुल्क	82.14	85.55	क) नाटा/पीगेटा व्यय	519.34	281.27
ग) नवीनीकरण शुल्क	136.44	114.69	ख) मूल्याँकन एवं निरीक्षण व्यय	210.56	237.71
घ) पुनःस्थापन शुल्क	105.58	85.14	ग) विवाचन व्यय	0.09	0.00
ड.) अनुलिपि प्रमाणपत्र शुल्क	2.23	2.08	घ) भवन अंकेक्षण विधि व्यय	5.17	0.00
	250.92	172.41			

च) वास्तुविदों से लिया गया अर्थदंड	125.95	118.44	ङ.) प्रकाशन व्यय	96.06	120.07
छ) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क का नियोजन	3.58	2.26	च) बीईई कार्यक्रम व्यय	0.00	0.00
ज) वास्तुविद पहचान पत्र शुल्क			छ) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन व्यय	63.83	49.53
V. अन्य आय	154.65	103.74	III. **अन्य भुगतान**		
क) प्रकाशनों से आय	0.00	0.00	क) बैंक/कंपनियों द्वारा कटा गया टीडीएस	23.04	108.05
ख) आरटीआई शुल्क	644.41	734.43	ख) कर्मचारियों को अग्रिम	44.56	32.58
ग) नाटा /पीगेटा शुल्क	1.47	43.69	ग) अन्य अग्रिम	3.27	17.71
घ) विद्यार्थी बिनाले/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / धरोहर सैर	6.74	0.27	घ) एकल नवीनीकरण शुल्क का विभाजन	125.94	118.44
ङ.) विविध आय / विवाचन शुल्क	41.97	43.52	ङ.) नाटा शुल्क अग्रिम	310.37	148.30
च) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का भागीदारी शुल्क	10.00	10.00	च) मूल्यांकन शुल्क अग्रिम	426.47	
छ) शोध निबंध (थीसिस) पुरस्कार कार्यक्रम– प्रायोजकता			छ) प्राप्य/भुगतानयोग्य राशि	58.91	532.10
VI. अन्य प्राप्तियाँ	301.08	287.04	ज) वर्ष का प्रोद्भूतकृत बैंक ब्याज	137.87	51.11
क) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क	13,100.68	1503.41	झ) कर्मचारियों के अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	8.24	131.58
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	39.87	31.27	ञ) नाटा परीक्षा का पूर्व भुगतेय व्यय	49.90	8.79
ग) कर्मचारियों से वसूला गया अग्रिम	40.17	32.28	ट) विद्यमान वास्तुकला संस्थानों की प्रतिभूति जमाओं का रिफंड	0.00	24.57
घ) अन्य वसूले गये अग्रिम	255.56	26.86	ठ) नवीन वास्तुकला संस्थानों की प्रतिभूति जमाओं का रिफंड	75.00	0.00
ङ.) प्रोद्भूतकृत ब्याज के समक्ष समायोजित ब्याज	23.37	47.23	**IV. स्थायी परिसंपत्तियों एवं प्रगति अधीन पूंजी पर व्यय**		75.00
च) भुगतानयोग्य कर/राशि/पोस्टेज	188.50	310.37	क) स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	63.04	58.69
छ) नाटा शुल्क अग्रिम	480.20	426.47	**V. किये गये निवेश तथा की गयीं जमायें**		
ज) मूल्याँकन शुल्क अग्रिम	80.00	150.00	क) निश्चित/धर्मार्थ–दान निधियों में से	15,396.92	3554.34
झ) नवीन वास्तुकला संस्थानों की प्रतिभूति जमायें	418.80	0.0	ख) वास्तुकला संस्थान से प्राप्त प्रतिभूति जमा में से	5.00	75.00
ञ) आय कर रिफंड			**VI. समापन शेष**		
			क) रोकड़ शेष एवं ड्राफ्ट्स	0.92	0.08
			ख) बैंक शेष		
			1) चालू/ओडी खातों में	3.31	26.26
			2) बचत खाते	124.70	185.72
			3) ऑनलाइन पीजी प्राप्तियाँ	6.94	0.00
कुल	**18,377.90**	**6,370.82**	**कुल**	**18,377.90**	**6,370.82**

वास्तुकला परिषद्
हेतु एवं उसकी ओर से

हस्ता./–
(रजिस्ट्रार)

हस्ता./
(अध्यक्ष)

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001099सी

हस्ता./–
(सीए श्याम जी गुप्ता)
सदस्यता संख्या : 416155

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 24–09–2025

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(A Statutory Authority of Government of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

ANNUAL REPORT 2024-2025

F. No. CA/55/2025/Annual Report.—The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31st March, 2025.

The Council of Architecture (COA) is regulatory authority for architectural institutions and professionals in the country and maintains a Register of Architects on national basis. The Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India is the nodal Ministry of the Council. The COA, besides maintaining Register of Architects, oversees the maintenance of standards, periodically of recognized qualifications under the Act by way of conducting inspection through Committees of Experts. Based on the reports submitted by Experts, the COA can make representation to appropriate Governments with regard to inadequacy of standards maintained by the institutions.

Prof. Abhay V. Purohit is the President and Ar. Gajanand Ram is Vice-President of the Council. Shri R. K. Oberoi is the Registrar and Shri Deepak Kumar is Deputy Registrar of the Council. In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council has constituted the following Statutory Committees:

(i) The Executive Committee is constituted under Section 10 of the Act and it functions as an Executive Authority of the Council.
(ii) Disciplinary Committee is constituted by the Central Government as per Council of Architecture Rules framed by the Central Government. This committee investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects and makes its recommendations to the Council for taking decision on the guilt of the Architects.
(iii) Advisory Committee (Appeals) hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected.
(iv) Sub-Committee on Foreign Qualifications examines the references received from Central Government for recognition of foreign qualifications.

The details of the various activities undertaken by the Council from 01.04.2024 to 31.03.2025 are enumerated below:

1. STATUTORY MEETINGS:

Meetings of the Council of Architecture:

During the year under report, the Council convened the following meetings of the Full Council:

- 82nd Meeting of the Council was held on Saturday, 20th July, 2024 at the Conference Hall, Hotel Solar Residency, Raj Bagh, Srinagar – 190008, Jammu & Kashmir.
  Following the 82nd Council Meeting on 20 July 2024, the President met representatives of the IIA Jammu Chapter to discuss concerns over non-architects practicing architecture and the misuse of the title **"**architect**"** in Jammu & Kashmir, and assured the Chapter that the Council will take appropriate legal and regulatory action to address these violations and safeguard professional standards.

- 83rd Meeting of the Council was held on Tuesday and Wednesday, 21st–22nd January, 2025 at Pride Hotel, 93, Richmond Road, Langford Gardens, Bengaluru – 560025, Karnataka.

During its meetings, the Council of Architecture discussed key issues influencing the profession, including regulatory reforms, future directions in education, and policy initiatives. The

discussions highlighted efforts to modernize professional processes, address educational resource gaps, and strengthen recognition frameworks. The Council also reviewed academic reforms, supported various professional and educational events, engaged in global forums, and considered measures to enhance governance, reaffirming its commitment to advancing architectural education and practice in India.

Meetings of the Executive Committee:

During the year under report, the Executive Committee of the Council of Architecture had convened 11 meetings as under:

Sl.No.	Meeting No.	Held on	Mode of Meeting
1.	259th Meeting	10th May, 2024	Online
2.	260th Meeting	14th June, 2024	Hybrid
3.	261st Meeting	13th July, 2024	Online
4.	262nd Meeting	19th July, 2024	Physical
5.	263rd Meeting	11th September, 2024	Online
6.	264th Meeting	24th September, 2024	Online
7.	265th Meeting	15th October, 2024	Physical
8.	266th Meeting	28th December, 2024	Physical
9.	267th Meeting	16th January, 2025	Hybrid
10.	268th Meeting	20th January, 2025	Physical
11.	269th Meeting	19th March, 2025	Hybrid

2. **REGISTRATION OF ARCHITECTS:** The Council registers a person, as an Architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of Architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The registration application and fees can be submitted in online as well as in offline mode. During the period under report, Council has granted registration to **14062** qualified persons as architects. With this as on 31st March, 2025, a total of **183963** architects has been registered as architects. The state wise details of **142748** architects who hold valid registration as on 31.03.2025, is as under:

S.No	Name of States/UTs	Architects Registered during period 01.04.2024 to 31.03.2025	Total Architects Registered as on 31.03.2025	Active Architects with valid renewal as on 31.03.2025
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	6	66	55
2	ANDHRA PRADESH	371	3156	2384
3	ARUNACHAL PRADESH	7	112	97
4	ASSAM	87	1201	1024
5	BIHAR	78	1447	1154
6	C/O 56 Apo	0	2	1
7	C/O 99 Apo	0	1	1
8	CHANDIGARH	41	1152	902
9	CHHATTISGARH	120	1654	1260
10	DADRA & NAGAR HAVELI	2	46	37
11	DAMAN & DIU	3	60	42
12	DELHI	557	14106	10626
13	GOA	48	1138	988
14	GUJARAT	766	11472	8561
15	HARYANA	360	6669	5459
16	HIMACHAL PRADESH	85	957	802
17	JAMMU & KASHMIR	49	595	502

18	JHARKHAND	51	896	708
19	KARNATAKA	1331	14169	11125
20	KERALA	1754	12837	10048
21	LADAKH	1	18	14
22	LAKSHADWEEP	2	7	5
23	MADHYA PRADESH	366	5110	3830
24	MAHARASHTRA	3274	48978	38731
25	MANIPUR	15	209	177
26	MEGHALAYA	15	213	183
27	MIZORAM	24	191	183
28	NAGALAND	20	138	111
29	ODISHA	153	1906	1555
30	PUDUCHERRY	42	427	325
31	PUNJAB	225	3508	2768
32	RAJASTHAN	281	3871	3020
33	SIKKIM	11	143	115
34	TAMIL NADU	2032	22732	16182
35	TELANGANA	790	7098	5445
36	TRIPURA	7	77	64
37	UTTAR PRADESH	779	12435	10099
38	UTTARAKHAND	73	1410	1122
39	WEST BENGAL	236	3756	3043
	Total	14062	183963	142748

3. **RENEWAL OF REGISTRATION OF ARCHITECTS:** During the period under report, the Council renewed the registration of **20,023 architects** on an annual basis, while **5,018 architects** opted for one-time renewal. In addition, **25,041 architects** restored their names to the Register of Architects upon payment of the requisite fees.

4. **ISSUANCE OF NEW CERTIFICATE OF REGISTRATION AND IDENTITY CARDS TO ARCHITECTS HAVING VALID REGISTRATION:** During the year under report, the Council issued new Certificates of Registration and Identity Cards free of cost to fresh registrants as well as to architects who surrendered their existing Certificates.

   1. Existing Registered Architects : 10602
   2. New Registered Architects : 14062

   As on 31.03.2025, the Council has issued new Certificates of Registration and Identity cards free of cost to 80601 architects.

5. **COUNCIL INTRODUCES DIGITAL REGISTRATION CERTIFICATES FOR ARCHITECTS :** The Council of Architecture (CoA) has announced the rollout of Digital Certificates of Registration and ID Cards for registered architects across India. This initiative replaces traditional physical certificates with a secure, technology-driven format that can be accessed anytime through the CoA portal. The move aims to enhance convenience, efficiency, and sustainability by reducing dependence on physical documents. Registered architects can now easily download and verify their certificates online, reflecting the Council's commitment to modernization and digital transformation.

6. **ARCHITECTS' IDENTITY CARDS NOW AVAILABLE ON DIGILOCKER:** During the reporting year the Council enabled digital access to Architects' Identity Cards via DigiLocker, providing a secure, paperless and easily accessible option for registered architects. Architects may view and download their identity cards by logging into their DigiLocker account, searching for Council of Architecture, and retrieving the document. This initiative streamlines verification, enhances

document security, and promotes eco-friendly record keeping—benefiting architects and stakeholders alike.

7 BUDGET ESTIMATES FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-2025: The Executive Committee of Council in its 258th Meeting held on 28th March, 2024 approved the Budget Estimates for the Financial Year 2024-2025 with Recurring Expenditure to the extent of Rs.2886.05 Lacs and Non-recurring Rs.545.00 Lacs as against the income receivable to the extent of Rs.3431.16 Lacs. The budget places strong emphasis on advancing architectural education and the profession by supporting students, faculty, and institutions through scholarships, research grants, and academic initiatives. It prioritizes the development of knowledge resources, including regional language books, peer-reviewed journals, digital libraries, and training and research centres, ensuring broader access and high-quality learning. Awards, competitions, and biennales are introduced to recognize and encourage talent, while workshops, conferences, and digital upgrades aim to strengthen professional capacity and global engagement. Together, these measures promote inclusivity, academic excellence, research, and professional growth, laying the foundation for a more vibrant and future-ready architectural community.

8. RECOGNITION OF COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND TRUST BY INCOME TAX DEPARTMENT, GOVT. OF INDIA: The Council submitted necessary application/ documents to Income Tax Department for recognition of the Council of Architecture Employees Contributory Provident Fund Trust by the Income Tax Department, govt. of India. The COA-CPF TRUST has been recognised by Income Tax Department, Govt. of India vide its Letter No.CIT (E)/Provident Fund/2024-25/964 dated 03.09.2024.

9. APPEAL FILED BY THE COUNCIL AGAINST THE IMPOSITION OF SERVICE TAX ON THE STATUTORY FEES AND CHARGES COLLECTED BY THE COUNCIL OF ARCHITECTURE DURING THE PERIOD FROM 01.07.2012 TO 30.06.2017: The Council had filed an appeal bearing no.ST/53090 of 2016-DB dated 15.12.2016 by depositing a sum of Rs.17,36,095/- against demand of Rs.1,73,60,950/- as Service Tax, Education Cess & HSEC and on various services received/rendered, besides interest and penalty u/s 75,76,77 & 78 of The Finance Act, 1994 issued by the Principal Commissioner of Service Tax, Delhi-II. The year wise Service Tax demand is given below:

1. Rs.29,01,463/- for the period 01.07.2012 to 31.03.2013,
2. Rs.58,41,183/- for the period 01.04.2013 to 31.03.2014 and
3. Rs.86,18,304/- for the period 01.04.2014 to 31.03.2015.

Further, Council had also filed another appeal bearing no.ST/5194/2022-CU [DB] dated 01.08.2022 by depositing a sum of Rs.19,03,860 towards the Pre-Deposit (Advance) of Service Tax Demand i.e. 7.5% of total demand raised and mandatory Pre-Deposit u/s 83 of Finance Act,1994. The year wise Service Tax demand is given below:

1. Rs.69,16,284/- for the period 01-4-2015 to 31-03-2016 and
2. Rs.1,84,68,492/- for the period 01-04-2016 to 30-06-2017.

After several Hearings held before the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Principal Bench, New Delhi, the appeals were allowed by the CESTAT vide its order dated 19.07.2024 against the demand of Service Tax, Education Cess & HSEC besides interest and penalty u/s 75,76,77 & 78 of the Finance Act, 1994 on various fee received by the Council during the period from 01.07.2012 to 30.06.2017. The Hon'ble Tribunal also held that the Council is registered under Section 12 AA of the IT Act which provides that non-profit organizations are entitled for service tax exemption.

10. AMENDMENTS IN THE COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS, 1999: The Council has submitted a proposal to the Ministry of Education, Government of India, seeking approval for amendments to the Council of Architecture

Employees Recruitment and Promotion Regulations, 1999. The proposal aims at the creation of additional posts in the Council to effectively meet the increased workload. The matter is presently under active consideration of the Ministry.

11. RE-CONSTITUTION OF DISCIPLINARY COMMITTEE OF THE COUNCIL OF ARCHITECTURE BY THE CENTRAL GOVERNMENT: The Central Government, under the provisions of the Architects Act, 1972 and the Council of Architecture Rules, 1973, re-constituted the Disciplinary Committee of the Council of Architecture vide notification dated 20.11.2024 through an amendment to notification S.O. 2115(E) dated 3rd July, 2013. The members of Disciplinary Committee are as under:

1. Ar. Naveen Kanithi, Chairman – Elected by Council of Architecture from amongst its members.
2. Ar. Pushkar Murlidhar Kanwinde, Member – Representing All India Council for Technical Education.
3. Ar. Ajay Keshav, Chief Architect, Central Public Works Department, Member – Representing Ministries of Central Government.

12. ELECTION OF MEMBERS OF HEADS OF ARCHITECTURAL INSTITUTIONS OF THE COUNCIL: The Ministry of Education, vide its notifications dated 01.10.2024 & 20.11.2024, notified two vacancies of members of the Council of Architecture for Heads of Architectural Institutions in India imparting full time instructions for recognized qualifications, to be elected for the remainder period only, under the provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the Architects Act, 1972.

13. ELECTION OF FIVE MEMBERS OF INDIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS OF THE COUNCIL: The Ministry of Education, vide its notification dated August 27, 2024, notified the appointment of five architects elected by the Indian Institute of Architects (IIA), Mumbai, as members of the Council of Architecture (CoA), New Delhi. The elected members from IIA are: Ar. Kamla Kant Asthana (Northern Region – Lucknow), Ar. B. R. Mohan (Southern Region – Bangalore), Ar. Nilesh Diliprao Chavan (Western Region – Nashik), Ar. Sanjeev Bumb (Central Region – Indore), and Ar. Swopnadutta Mohanty (Eastern Region – Bhubaneswar).

14. NOMINATION OF MEMBERS ON THE COUNCIL OF ARCHITECTURE: During the period under report, the Council of Architecture received nominations of following architects from various State Governments, Union Territories, and other statutory bodies as members of the Council under the Architects Act, 1972.

1. Ar. Lalengzuali Tialchuah Chinzah – nominated by the *State Government of Mizoram*
2. Ar. Kevisino Angami – nominated by the *State Government of Nagaland*
3. Ar. Rajiv Kumar – nominated by the *Union Territory of Chandigarh*
4. Ar. R. Kamala Devi – nominated by the *Union Territory of Andaman & Nicobar Islands*
5. Ar. K. Udaya – nominated by the *State Government of Karnataka*
6. Ar. N. Mayil – nominated by the *Union Territory of Puducherry*
7. Ar. Namita Kumari Mohapatra – nominated by the *State Government of Odisha*
8. Ar. Vidur Mehta – nominated by the *State Government of Himachal Pradesh*
9. Ar. Ajay Keshav – nominated by the *Central Public Works Department*
10. Ar. Binumol Tom – nominated by the *All-India Council for Technical Education*
11. Ar. Pushkar Murlidhar Kanwinde – nominated by the *All-India Council for Technical Education*

Further, following members of the Council were re-nominated members for their next term on the Council during the above period:

1. Ar. Naveen Kanithi – re-nominated by the State Government of Andhra Pradesh for a third term.
2. Ar. Vishal Arunkumar Vyas – re-nominated by the State Government of Gujarat for a third term.
3. Dr. G. S Inda – re-nominated by the Institution of Surveyors India for a third term.
4. Ar. Nadisha V.M. – re-nominated by the State Government of Lakshadweep for a second term.

5. Ar. Ravi Kumar R. – re-nominated by the State Government of Telangana for a second term.
6. Ms. Saumya Gupta IAS – re-nominated by the Ministry of Education, Central Government for a second term.

15. ELECTION OF MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COUNCIL: The Ministry of Education, vide its notifications dated 01.10.2024 and 30.10.2024, notified five vacancies in the membership of the Executive Committee of the Council. Elections to fill these vacancies will be conducted shortly by the Ministry under the provisions of the Architects Act, 1972 and the Rules framed thereunder.

16. APPROVAL OF ARCHITECTURAL INSTITUTIONS FOR THE ACADEMIC SESSION 2024-2025: The Council of Architecture during the academic session 2024-2025 accorded extension of approval to 367 institutions (apart from 2 institutions in UAE) which are imparting recognized architectural qualifications in the country.

During the year under the report, 5 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture programme and 07 (09 programmes) existing institutions were granted approval for introduction of PG programmes. The state wise number of institutions are listed below:

Sl. No.	State/UT	No. of Architectural Institutions
1	Andhra Pradesh	8
2	Assam	2
3	Bihar	2
4	Chhattisgarh	2
5	Chandigarh	1
6	Delhi	7
7	Goa	1
8	Gujarat	21
9	Himachal Pradesh	2
10	Haryana	15
11	Jharkhand	1
12	Jammu & Kashmir	4
13	Karnataka	40
14	Kerala	32
15	Maharashtra	77
16	Meghalaya	1
17	Madhya Pradesh	13
18	Mizoram	1
19	Odisha	7
20	Punjab	14
21	Puducherry	1
22	Rajasthan	14
23	Tamil Nadu	57
24	Telangana	13
25	Uttarakhand	3
26	Uttar Pradesh	20
27	West Bengal	8
28	**Total**	**367**

Further, 12 institutions were directed to close down during the academic session 2024-2025 owing to non-filling up of less than 30% seats in B.Arch. course in last three years or non-submission of application for approval to the Council.

17. GRANT OF APPROVAL TO THREE YEAR DIPLOMA COURSE(S): During the academic session 2024-2025, the Council has granted approval to 10 (12 programmes) new Diploma Institutions and extension of approval to 91 Institutions for imparting 3 Year Diploma in Architecture/Architectural Assistantship and Diploma in Interior Design. Further, the Council has granted approval to 25 existing Degree level Architectural Institutions for introduction of 3 Year Diploma in Architecture/Architectural Assistantship and Diploma in Interior Design and extension of approval to 33 Institutions for imparting 3 Year Diploma in Architecture/Architectural Assistantship and Diploma in Interior Design.

18. CONDUCT OF NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE FOR ADMISSION TO FIRST YEAR OF FIVE YEAR B.ARCH. DEGREE COURSE FOR THE ACADEMIC SESSION 2024-2025: The Council has been conducting National Aptitude Test in Architecture (NATA) since 2006 for admission to B. Arch Course. The NATA 2024 was conducted by the Council from the month of April 2024 to August, 2024 at national level on every Saturday and Sunday in two shifts for the purpose of admission into 1st year of 5-year B.Arch. degree course for the academic session 2024-2025. The Test was conducted on 36 days in 72 sessions (two shifts) at about 213 Test centres identified by the Council all over the country and select international centres. The Test was conducted in two parts Part – A (Drawing and Composition) in offline mode and Part - B MCQ Test in online mode. A total of Total Unique 23461 candidates registered for the NATA 2024, a total unique 19888 candidates appeared in the test. Out of the total appeared candidates, 19585 Unique candidates passed in the Test. The process for conduct of NATA 2025 has been initiated by the Council.

19. CONDUCT OF POSTGRADUATE ENTRANCE TEST IN ARCHITECTURE FOR ADMISSION TO FIRST YEAR POSTGRADUATE PROGRAMME BEING IMPARTED AT THE ARCHITECTURAL INSTITUTIONS FOR THE ACADEMIC SESSION 2024-2025: The Council conducted its First Postgraduate Entrance Test in Architecture 2024 (PGETA) examination at National Level on July 28, 2024, and August 04, 2024, for admission to the Postgraduate programme being imparted at the Architectural Institutions approved by the Council for the academic session 2024-2025. A total of Total Unique 1289 candidates registered for the NATA 2024, a total unique 1151 candidates appeared in the test. The result of PGETA was published in terms of the percentile scores for both tests and in case a candidate has appeared for two Tests, best of the two Percentile scores obtained shall be the valid score. The Council also announced to grant scholarships to top 50 ranked candidates who qualify PGETA 2024, taking admission into 1st year of Post Graduate programmes.

20. COMMUNICATIONS SENT BY COUNCIL TO VARIOUS STATE GOVERNMENTS/ LOCAL AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES ON VARIOUS ISSUES: During the year under report, on receipt of representations from Architects the Council has written to following authorities on issues related to registration of architects to carry on the profession of architecture by local bodies, appointment of non-architects on architectural posts, etc. The details of the same is as under:

S. No.	Authority	Subject/ Issue
1	The Managing Director, M/s Cyber Corporation Manipur Limited (CCML)	Amendment in Recruitment Rules of M/s Cyber Corporation Manipur Limited (CCML) for appointing Architect.
2	To Chief Secretaries of All the States/UTs in India and The CEO & Vice Chairman of All Municipal Corporation Development Authorities in India	Enforcement of provisions of the Architects Act, 1972 (A Central Law)-Appointment of Architects for Architectural Post(s)-reg.

3	The Chairman, NDMC, The Commissioner, MCD and The Deputy Secretary, DSSSB.	Amendment in Recruitment Rules in DSSSB
4	The Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Governor, State of West Bengal	Violation of the Architect's Act, 1972 (A Central Law (Department of Urban Development and Municipal Affairs, Govt. of West Bengal)
5	The Chairman, Baranagar Municipality, West Bengal	Violation of the Architect's Act, 1972 (A Central Law)
6	The Embassy of Italy, New Delhi	Request for DOV from Italian Embassy by Ms. Vanshika Sharma, Architect
7	The Hon'ble Governor, State of Tamil Nadu	Violation of the Architect's Act, 1972 (A Central Law) in Tamil Nadu Combined Development and Building Rules, 2019-reg.
8	The Chief Secretary, Secretariat, Govt. of Kerala and The Secretary, PWD, Thiruvanthapuram	Violation of the Architect's Act, 1972 (A Central Law)
9	Hon'ble Minister of Municipal Administration and Urban Development, The Special Chief Secretary to Govt., Andhra Pradesh	Approval of Building plans in the Andhra Pradesh Designing and Planning of Non-Highrise Buildings by Architects-reg.
10	The Chief Secretary Government of Himachal Pradesh and The Commissioner, Shimla Municipal Corporation	Violation of Architects Act, 1972 and Judgment of Hon'ble Supreme Court of India in appointment of a non-Architect on the post of Public Information Officer, Cum-Architect Planner, M. C. Shimla-reg.
11	The Chief Secretary Government of Maharashtra, and The Principal Secretary Directorate of Municipal Administration Government of Maharashtra	Registration of Architects by local bodies/Town Planning & valuation Department, Government of Maharashtra in violation of Architects Act, 1972 and orders/Judgement of Hon'ble High Courts including Bombay High court, and Hon'ble Supreme Court of India – reg.
12	Hon'ble Minister of Municipal Administration and Urban Development, Andhra Pradesh	Request for Amendment to the Draft Government order on Building Bye-Laws-reg.
13	The Chairman, NDMC, New Delhi	Misuse of Architect's registration in NDMC for sanctioning of Building plans -Issuance of Revised/New Certificate of Registration to Architects by Council of Architecture to Architects-reg.
14	The Chief Secretary, Chandigarh, Govt. of Haryana	Enforcement of the Architects Act,1972(a Central Law) insistence for Empanelment by HSVP for submission of drawings/plans for approval-reg.
15	The Chief Secretary, Govt. of Bihar	Enforcement of the Architects Act,1972(a Central Law)
16	The Chief Secretary, Govt. of Kerala	Enforcement of the Architects Act,1972(a Central Law) insistence of Architects for Empanelment under

		Kerala Municipality Building Rules-2019 for approval-reg.
17	The Chief Secretary, Govt. of Maharashtra	Fee Structure for providing Comprehensive design consultancy services for public building projects-reg.

21. COMMUNICATIONS SENT BY COUNCIL TO VARIOUS GOVT. DEPARTMENT/ UNDERTAKINGS ON SELECTION/ APPOINTMENT OF ARCHITECTS: The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Council of Architecture Competition Guidelines and on payment of fees as prescribed by the Council. During the year under report, the Council has requested following organisations to follow the norms of Council for selection/ appointment of Architects:

1. The Chief Secretary, UT. of Puducherry and The Managing Director, Renewal Energy Agency Puducherry
2. The Director, PGIMER, Chandigarh.
3. The Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Narnaul
4. The Commissioner, I.A.S. Greater Chennai Corporation
5. SKUAST-Srinagar, Jammu and Kahmir
6. Indore Smart City Office, Indore
7. The Assistant General Manager (P&E), State Bank of India, Mumbai
8. Director, Tourism, Directorate of Tourism, Manipur
9. The Chief Engineer, PWD, (R&B) South Kashmir, Kashmir
10. Assistant General Manager, (P&E) State Bank of India, Bhubaneswar
11. Director, Punjab Energy Development Agency
12. The Chief General Manager, LHO, State Bank of India, Bhubaneswar
13. The Managing Director, Mahatma Phule backward Class Development Corporation. (Govt. of Maharashtra)
14. The Principal Secretary, Directorate of Urban Administration & Development, Madhya Pradesh

22. COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT: Sections 22 and 30 of the Architects Act, 1972 mandate the Council to take action against architects for professional misconduct. The Central Government has framed Council of Architecture Rules,1973 inter alia prescribing procedure to deal with such complaints. During the period under report the Council received 35 new complaints against Architects. In terms of Council of Architecture Rules, 1973, the Disciplinary Committee is constituted by the Central Government, from time to time, by gazette notification to investigate the complaints received against Architects for alleged professional misconduct as referred by the Council. The Disciplinary Committee consists of Ar. Naveen Kanithi, Chairman and Ar. Pushkar Murlidhar Kanwinde, Member and Ar. Ajay Keshav, Member as members. The Disciplinary Committee met three times i.e. on 27.12.2024, 09.01.2025 and 17.02.2025 and meetings were conducted in Hybrid Mode. The Committee investigated 15 complaint cases in terms of provisions of Section 30 of the Act and Council of Architecture Rules, 1973.

23. COMPLAINTS AGAINST QUACKS MISREPRESENTING AS ARCHITECTS: Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972 impose prohibition on misuse of title and style of architect and if any person misuses the title and style of architect or misrepresents himself as an architect, he shall attract a fine of Rs.500/- for the same. The Council continues to receive complaints regarding the unauthorized practice of profession of an architect by unregistered individuals, often referred to as "**farzi architects**." Each complaint is thoroughly examined, and appropriate action is taken in accordance with the provisions of the Architects Act, 1972, to uphold the integrity and dignity of the profession. During the period under report, the Council has received 67 complaints against non-architects misusing the title and style of architects in violation the provisions of the Architects Act, 1972 and appropriate action has been taken in the matter by the Council.

24. SUPPLY OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT: Shri Deepak Kumar, Deputy Registrar, is Public Information Officer in the Council and Shri Raj Kumar Oberoi, Registrar, is the First Appellate

Authority in the Council in terms of provisions of the RTI Act, 2005. During the period under report, the Council provided information in respect of 64 RTI Applications and dealt with 11 First Appeals as per the RTI Act. The Council has made efforts to disclose maximum information in public domain to reduce the number of RTI Applications and subsequent appeals.

25. COURT CASES: During the period under report, the Council took up the following new court cases to uphold the provisions of the Architects Act, 1972 and Regulations framed thereunder:

S. No.	Name	Court	Issue involved	Current Status
1.	In The Supreme Court of India Extra-Ordinary Appellate Jurisdiction Petition for Special Leave to Appeal (Civil) No. 8034 of 2024 With Prayer for Interim Relief Inamul Hassan V/s. The Council of Architecture, (COA) and others	Supreme Court of India	Challenging requirement of Security Deposit of Rs. 25 Lakh for opening a new institution.	Disposed
2.	In The High Court of Gujarat at Ahmedabad Special Civil Application No. 10704 Of 2024 In The Matter Of: - Aarav Majithia …Petitioner : Versus: Institute Of Architecture And Planning & Ors ….Respondents	Gujarat High Court, Ahmedabad	Regarding non-issuance of NOC for transfer to another Institution.	Disposed as Withdrawn
3.	In the high court of Gujarat at Ahmedabad Special civil application no. 11138 of 2024 In the matter of: - Utkarsh Gupta…petitioner versus: Institute of architecture and planning & Ors …Respondents	High court of Gujarat at Ahmedabad	Regarding change of site and starting college in new building.	Disposed
4.	In the High Court of Delhi at New Delhi (Civil Original Jurisdiction) Writ Petition No (Civil) No. 12448 Of 2024 In the Matter of: Siddhartha Thomas …Petitioner :VS Council of Architecture & Anr. …Respondents	High Court of Delhi at New Delhi	Regarding Recognition of M. Arch. Degree Awarded by University of Edinburgh, UK under the Architects Act, 1972.	Pending
5.	In the High Court of Judicature at Patna (Civil Writ Jurisdiction) C.W.J.C. No. 13146 of 2024) In the Matter of: Pranjal Raj ..Petitioner :VS The State of Bihar & Ors. ..Respondents	High Court of Judicature at Patna	Regarding refusal of admission to B.Arch. Course through JEE in NIT Patna.	Pending
6.	Filing of Writ Petition no 31166_of 2024 In the Karnataka High Court In the Matter of: Council of Architecture ...Petitioner Vs: State of Karnataka and Ors. (Karnataka Professional Civil Engineers Act, 2024)	Karnataka High Court	Regarding challenging the Karnataka Professional Civil Engineers Act, 2024.	Pending

	…Respondent			
7.	In the High Court of Delhi at New Delhi Appellate Jurisdiction Letters Patent Appeal No. _1064_ of 2024 In Writ Petition (Civil) No. 16402 of 2022 In the Matter of: Council of Architecture …Appellant Vs. AR Bela Agrawal & Ors …Respondent	High Court of Delhi at New Delhi	Regarding Challenging order of Single judge of Delhi High Court on Professional misconduct matter.	Disposed
8.	In the Hon'ble High Court for the State of Punjab and Haryana, at Chandigarh Civil Writ Petition No. 26069 of 2024 In the Matter of: Punit Sethi and Others …Petitioners VS. Union of India and Others …Respondents	High Court for the State of Punjab and Haryana, at Chandigarh	Regarding elections conducted by Indian Institute of Architects for members of Council under section 3(3) (a) of the Architects Act, 1972.	Dismissed on 08.07.2025
9.	In the High Court of Bombay In the matter of: Writ Petition (Stamp) No. 27308 of 2024 W.P. NO 17268 of 2024 Mr. Pradeep Kale …Petitioner VS. Union of India Through Joint Secretary and Ors.…Respondents	High Court of Bombay	Elections conducted by IIA for 5 members to Council under Section 3(3) (a) of the Architects Act, 1972.	Disposed
10.	In the High Court of Judicature at Bombay Civil Appellate Jurisdiction Writ Petition No. 7732 of 2024 Anannd Pawan Kumar Khosla Alias Chankwinn …Petitioner Vs. Aakar Architects & Consultants & Ors. …Respondents	High Court of Judicature at Bombay	Regarding a complaint for alleged professional misconduct which was dismissed by Council After following the procedure as per Council of Architecture Rules, 1973.	Pre-Admission Pending
11.	In the High Court of Judicature at Bombay Civil Appellate Jurisdiction Writ Petition St. No. 32721 of 2024 W.P No-17635/2024 In the Matter of: Mrs. Pritee Girsh Patil ...Petitioner Vs. Council of Architecture & Ors. ...Respondents	High Court of Judicature at Bombay	Petitioner has filed a Writ Petition against the Council's notice dated 25.09.2024 asking her to submit her Statement of Defence against the Complaint for alleged Professional Misconduct filed against her by Mr. Himmat Popatrao Pawar.	Pre-Admission Pending

12.	In the high court of Andhra Pradesh at Amravati W.p. no. 26028 of 2024 In the matter of: Prof. Milind Kollegal ...petitioner Vs. Union of India and Ors. ...respondents	The high court of Andhra Pradesh at Amravati	Petitioner's eligibility to continue in post of professor and consequently head of institution of ap19-m.r. k college of architecture after crossing 65 years of age.	Pending
13.	Before the hon'ble high court of Delhi at New Delhi Extraordinary civil jurisdiction W.P (c) No. 17136 of 2024 In the matter of: Vaamika Yadav ..petitioner Vs: Council of Architecture & Anr. …respondents	High court of Delhi at new Delhi	Regarding recognition of M. Arch. Degree awarded by University of Edinburgh, UK under the Architect's Act, 1972	Pending Next date of hearing 28.08.2025
14.	In the Court of the Ld. Adj. South-East District. Saket Courts, Delhi CS DJ No. 89 of 2025 Suit for Permanent and Mandatory Injunction In the Matter of Council of Architecture Vs Raseel Gujral Ansal Suit for Permanent and Mandatory Injunction	Ld. Adj. South-East District. Saket Courts, Delhi	Filing of suit against Ms. Raseel Gujral Ansal to restrain her from representing as an architect.	Pending Next Date of Hearing 31.07.2025
15.	In the court of ld. Judicial magistrate; south-east district, new Delhi (criminal) Reg. No. 394 of 2025 Ct case no. 394 of 2025 in the matter of: Council of architecture ...petitioner Versus Raseel Gujral Ansal ...respondent	Court of ld. Judicial magistrate; south-east district, new Delhi	Complaint under section 39 against Ms. Raseel Gujral Ansal for violating Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972	Pending
16.	In The Matter of Civil Writ Petition No. 28138/2024, Dr. Rupesh S Iyengar V/S Council of Architecture and Union of India Before Hon'ble High Court of Karnataka at Bengaluru	High Court of Karnataka at Bengaluru	Regarding recognition of Ph.D. Degree obtained from the Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, University of Switzerland under the Architects Act, 1972	Pending
17.	In the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh Civil Writ Jurisdiction CWP No. 21330 of 2019 In the Matter of: Puneet Mehta V/s Union of India and Ors.	High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh	Regarding Registration as an architect with the COA	Pending Next Date of Hearing 04.08.2025
18.	In the High Court of Odisha-Cuttack (Civil Appellate Jurisdiction) W.P. (C) No. 3567 of 2025 In the matter of: Partha Pratim Karmakar	High Court of Odisha-Cuttack	Regarding promotion of the petitioner	Date not Updated yet

	Vs. Odisha University of Technology and Research, Bhubaneswar and Ors.			

26 REGISTRATION OF FIR AGAINST MR. VIKRAM TALREJA, BENGALURU: The Council of Architecture is in receipt of a Complaint against Mr. Vikram Talreja, Bengaluru for falsely claiming himself as an Architect and also forging the Certificate of Registration of some other architects and using it for his own wrongful gains. The Council made written Complaints to Police authorities in Bengaluru but the same has not yielded any results. Accordingly, after considering the material facts and provisions of the Architects Act,1972, it was found appropriate to go ahead with prosecution of the above person by filing a Complaint before appropriate Court of Law so as to act a deterrent for other persons. The Council authorized Shri Deepak Kumar, Administrative officer, (presently Deputy Registrar), COA to file Complaint in Bengaluru before appropriate Court of Law under Section 200 of Cr.PC. However, on pursuance of the matter with DCP (Central), Bengaluru Police, by Shri Deepak Kumar along with Council's Advocates, the Police Inspector, Cubban Park Police Station, Bengaluru, registered FIR on 09.05.2024 in the matter.

27. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972: The Council in its 83rd Meeting held on 21st and 22nd January, 2025 discussed that the Architects Act, 1972 requires comprehensive amendments to protect the interests of general public, rationalize regulation of practice of architecture in India, allowing corporate practice in India and limiting the liabilities of professionals, and aligning the processes of registration and renewal of Architects in India with international standards/ practices. The implementation of NEP amendments also necessitates corresponding changes in the Act and the relevant Regulations. The draft proposal was shared with Indian Institute of Architects and Institution of Engineers India so as to receive their views and suggestions if any on the same. After the discussions on the proposal on Amendments to the Architects Act, 1972 clause by clause and after suggesting necessary changes, the Council approved the proposal. The members were of unanimous view that the Profession of Architecture has to be practiced only by Architects who are trained and qualified to provide architectural services. The Members suggested that the proposal be got legally vetted appropriately.

The Council authorized the President to take further necessary action in the matter in the interest of architectural education and profession and to ensure that general public is served by qualified and competent persons. The proposal for amendments to the Architects Act, 1972 is under finalisation, following consultations with the concerned stakeholders, and will be submitted to the Central Government.

28. AMENDMENT IN ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION TO B.ARCH. COURSE FROM THE ACADEMIC SESSION 2024-2025: The Council of Architecture, with the approval of the Central Government, has amended / relaxed the eligibility for admission to 1st year of 5-year B.Arch. Degree Course as prescribed under Regulation 4(1) of the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, from the academic session 2024-2025. The amended eligibility is stated as under:

"(1) No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate."

The same has been published in the Official Gazette of India on July 8, 2024 and has come into effect from the date of publication in the Gazette.

29. MEMORANDUMS OF UNDERSTANDING WITH VARIOUS DEPARTMENTS/ ORGANISATIONS: In order to further the objectives of the Architects Act, 1972, the Council has entered into Memorandums of Understanding (MOUs) with various organizations such as the

Confederation of Digital Construction Practitioners (CDCP), National Council for Vocational Education and Training (NCVET), Fire and Security Association of India (FSAI), and the Indian Plumbing Association (IPA), among others.

30. **MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS FOR RECOGNITION OF INDIAN ARCHITECTURAL QUALIFICATIONS BY FOREIGN AUTHORITIES:** The Council is in active correspondence with authorities of UK, Australia and US for recognition of Indian Architectural qualifications abroad with the assistance and support of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India.

31. **COMMITTEE ON RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS:** In terms of Section 15 of the Architects Act, 1972, the Central Government is empowered to recognize foreign architectural qualifications, upon consultation with the Council of Architecture, for the purposes of the Architects Act, 1972. The Council has constituted a committee to consider the references received from the Central Government and make its report. During the year under report the Council has received 04 new references for consultation with Council on recognition of Foreign Architectural Qualifications under the Architects Act. Further, the Committee met 05 times and considered the cases received from the Central Government and has submitted its report to Full Council.

32. **APPROVAL OF COUNCIL OF ARCHITECTURE (MINIMUM STANDARDS OF ARCHITECTURAL EDUCATION FOR POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME) REGULATIONS, 2022**: The Council in its 77th Meeting held on July 15, 2022 approved the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education for Postgraduate Degree Programme) Regulations, 2022. These regulations have been submitted to the Ministry of Education, Govt. of India, in November, 2022, for according their approval in terms of Section 45 of the Architects Act, 1972. The President, COA also met the officials of the Ministry in the matter. The proposal of the Council is under active consideration of the Ministry.

33. **EQUIVALENCE OF FOREIGN PG QUALIFICATIONS IN ARCHITECTURE FOR EMPLOYMENT IN INDIA:** The Council received representations and public grievance from architects who have completed their Postgraduate Qualifications in Architecture from abroad about non-recognition/ equivalence of their qualifications with Master's Degree in Architecture in India. The matter was also discussed with the officials of the Ministry and the Ministry desired that a scheme be prepared for grant of equivalence based on some pre-determined parameters including conduct of examination for grant of equivalence to Foreign PG qualifications in India so that the concerned architects can avail the benefits of their higher qualifications. Accordingly, a Sub-committee under the Convenorship of Dr.Vandana Sehgal and Dr. Minakshi Jain, Member, Dr. Kavita D. Rao, Special Invitee, Dr. P.S.N.Rao, Special Invitee and Dr. A. Srivatsan, Special Invitee, was constituted to prepare the scheme and mechanism for grant of equivalence to Foreign PG Qualifications in Architecture with Indian Master's Degree Course in Architecture by the Council. The Committee after taking a note of the issue has proposed an automated process for facilitating Equivalence of Master's Degree in Architecture which is easily accessible, time bound, single window, fair and objective for making application for equivalence on the COA website. The Council in its 79th Meeting held on 12th March, 2023, approved the Foreign PG qualification Scheme and the same was submitted to the Ministry of Education for according their approval for implementation. The President, COA also met the officials of the Ministry in the matter. The proposal of the Council is under active consideration of the Ministry.

34. **LAYING DOWN CRITERIA FOR NOMINATION OF A MEMBER OF THE COUNCIL UNDER SECTION 3(3)(f) OF THE ARCHITECTS ACT, 1972:** The Hon'ble Karnataka High Court in Writ Petition No.16114 of 2021 vide its order dated 08.01.2023 at para16 (iii) as ordered as under: *"The Union of India shall take steps to notify certain criteria for nomination of Members of the Council qua the qualification and experience under the Rules, which would become binding on every State Government as expeditiously as possible."* The Council has also submitted its suggestions to the Ministry in the matter. The Ministry of Education, Government of India, vide Notification No. GSR 623(E) dated 24.08.2023, prescribed the eligibility criteria for nomination of members to the Council of Architecture by State Governments and Union Territories through an amendment to the Council of Architecture Rules, 1973. The amendment was published in the Gazette of India on 25.08.2023.

Subsequently, the Ministry further amended the said notification on 16.08.2024, which was published in the Gazette of India on 20.08.2024.

35. COLLECTION OF GST ON SERVICES PROVIDED BY ARCHITECTS: After receipt of several representations, from Architects, the Council has requested the Hon'ble Finance Minister, Govt. of India, that collection of GST on Architectural Services should be made responsibility of Client instead of Architects. Appropriate action from the Ministry of Finance is awaited.

36. SAMARTHAYA PORTAL FOR KNOWLEDGE SHARING IN ARCHITECTURE: The Council of Architecture introduced its portal "**Samarthaya**", a comprehensive digital platform that promotes knowledge sharing, research, and information exchange in the field of architecture. The portal serves as a collaborative space for architects, schools of architecture, students, and the public. It enables the sharing of course material, facilitates online training for architects to enhance skills, and hosts a digital library with catalogues, e-books, magazines, and journals from participating institutions. To strengthen research, the portal provides resources on research methodologies, supports publication of research and course details, and compiles documentation of works submitted by architects, teachers, and students. Samarthaya also plays a pivotal role in hosting details of awards, competitions, and juries organized by the Council. In addition, it provides opportunities for placements, internships, and employment for architects, students, and faculty members in architecture schools.

37. LAUNCHED MOBILE APP TO EMPOWER ARCHITECTS : The Council of Architecture takes a significant step towards digitalization with the launch of its new mobile application, designed to provide a wide range of services and resources for architects. Available on both Android and iOS platforms, the application simplifies registration and renewal processes, allowing architects to conveniently access essential services directly through their smartphones. Beyond registration services, the app also provides access to the Council's newsletter, Council News, which keeps architects informed about the latest updates and developments in the profession. In addition, users can read the Council's magazine, *Architecture Time, Space and People*, offering insightful articles and features on architecture and related fields. With this initiative, the Council of Architecture continues to enhance accessibility, efficiency, and knowledge sharing within the architectural community.

38. GRANT OF VARIOUS AWARDS TO ARCHITECTURAL STUDENTS BY THE COUNCIL: In order to promote research and innovation in architecture the Council is granting awards to meritorious students and colleges nominating winning student entries every year in following categories:

A) COA Awards for Excellence in Architectural Thesis 2024 and JK AYA Best Architecture Student of the Year 2024

At each Zonal Event (In two categories):

Category A. Architectural Project

1. To the author of the best thesis project, (selected for the Final Jury) - Rs 15,000/- + Certificate each
2. To the authors of the next Four thesis projects - Rs 10,000/- + Certificate each

Category B. Project addressing concerns within the society

1. To the author of the best thesis project, (selected for the Final Jury) - Rs 15,000/- + Certificate each
2. To the authors of the next Four thesis projects - Rs 10,000/- + Certificate each

At the National Event:

Category A. Architectural Project

1. To the authors of the best Two thesis projects - Rs. 1,00,000/- + Certificate each
2. To the authors of the next Three thesis projects - Rs. 25,000/- + Certificate each

Category B. Project addressing concerns within the society

1. To the authors of the best Two thesis projects - Rs. 1,00,000/- + Certificate each
2. To the authors of the next Three thesis projects - Rs. 25,000/- + Certificate each

Research Grant to be given to the 4 colleges nominating winning entries (two in each Category) at the final jury: Rs. 1,50,000/- each.

At the National Event:
1. To the author of the thesis project selected for JK AYA Best Architecture Student of the Year Award 2024: Rs. 25,000/-, Trophy and citation. (by J.K.Cement Ltd.)

B) COA Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture 2024:
1. The author of the best three thesis projects - Rs. 1,00,000/- + Certificate each.
2. To the author of the three runners up thesis projects - Rs. 25,000/- + Certificate each.
Research Grant to be given to the 3 colleges nominating winning entries at the final jury: Rs. 1,50,000/- each.

C) COA Students Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage 2024: (three categories)
1. Winners at the Zonal Level (Total 6 Nos. in each zone, 2 in each category) Rs.15,000/- + Certificate each
2. Winners at the National Jury (Total 3 Nos., 1 in each category) Rs.1,00,000/- + Certificate each
3. Citation at the National Jury (Total 6 Nos., 2 in each category) Rs.25,000/- + Certificate each.
Research Grant to be given to the 3 colleges nominating winning entries (one in each Category) at the final jury: Rs. 1,50,000/- each.

COA Awards for Excellence 2024

- **COA Awards for Excellence in Architectural Thesis 2024 & JK Aya Best Architecture Student of the Year Award 2024 (AEAT 2024):** The Council of Architecture through COA-TRC initiated the 19th National Awards for Excellence in Architectural Thesis Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
I	Jaipur	Faculty of Planning & Architecture, Poornima University, Jaipur, Rajsthan
II	Vadodara	School of Environmental Design and Architecture, Navrachana University, Vadodara, Gujarat
III	Raigad	Mahatma Education Society's Pillai HOC College of Architecture, Raigad, Maharashtra
IV	Bangalore	BMS College of Architecture, Bangalore, Karnataka
V	Kochi	Asian School of Architecture and Design Innovations, Kochi, Kerala

The members of Jury Panels for the Zones were as under:

Zone I	Ar. Veepa Jariwala, Ar. Tanushri Mokde, Ar. Anand Krishna Murthy
Zone II	Ar. Murali, Ar. Sunil Philip, Ar. Meghana Dutta
Zone III	Ar. Nagesh H.D., Ar. Meeta Jain, Ar. G Ram Mohan Rao
Zone IV	Ar. Kavitha Selvaraj, Ar. Akshay Patil, Ar. Shashank Chakradeo
Zone V	Ar. Naheema Shanawaz, Ar. Tawhid Hussain Khan, Ar. Dhanakoti

The National Jury was held at Dayanand Sagar College of Architecture, Bangalore. The members of Jury for National finals were Ar. Medappa PN, Ar. Dean D'Cruz, Ar. Milind Kolegal. Mr. Ramprasad Akkisetti, Managing Director, CCBA, Pune, sponsored a cash prize of Rs. 50,000 (Fifty Thousand) each along with special Gold Medals for the four winners of AEAT 2024 in the memory of renowned architect Prof. Christopher Benninger who passed away on the 2nd of October 2024.

- **COA National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture 2024 (PGTA 2024):**The Council of Architecture through COA-TRC initiated the 11th National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture Program for postgraduate thesis projects with an objective to encourage and motivate students of masters' courses in architecture from across the country and develop a research culture amongst schools of architecture. The National Jury was held at Dayanand Sagar College of Architecture, Bangalore. The members of Jury for National finals were Ar. Navara Khan, Ar. Anantha Krishna, Ar. Ashtosh Kumar Agarwal.

- **COA Students' Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage 2024 (DAH 2024)** The Council of Architecture through COA-TRC initiated the 07th Students' Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage for the undergraduate documentation projects with an objective to encourage interest and talent of students for understanding, documentation of heritage buildings and to develop & promote sensitivity and awareness towards India's architectural heritage amongst students of architecture across the country. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
I	Jaipur	Faculty of Planning & Architecture, Poornima University, Jaipur, Rajsthan
II	Vadodara	School of Environmental Design and Architecture, Navrachana University, Vadodara, Gujarat
III	Raigad	Mahatma Education Society's Pillai HOC College of Architecture, Raigad, Maharashtra
IV	Bangalore	BMS College of Architecture, Bangalore, Karnataka
V	Kochi	Asian School of Architecture and Design Innovations, Kochi, Kerala

The members of Online Jury Members for Zones were:

Ar. Omkar Adhikari, Ar. Suparya Varma, Ar. Munish Pandit,
Ar. Varun Bhamare, Ar. Dipeeka Saxena-Ghosh, Ar. Sakthi Murugan
Ar. Sangita Bais, Ar. Manisha Ghai, Ar. Tejashree Lakras,
Ar. Ketak Nachinolkar, Ar. Surabhi Anand Roy, Ar. Ruknuddin Mirza

The National Jury was held at Dayanand Sagar College of Architecture Bangalore.
The members of Jury for National finals were Ar. Abhijit Sadhale, Ar. Kirtida Unwalla, Ar. Ashish Trambadia.

COA Urban Studio Research Project (USRP) 2025: The National Jury was conducted at R.V.College of Architecture, Bangalore, Karnataka. Jurors : Ar. Kapil Setia, Ar. Radhika Nagpal, Ar. Nandini Kulkarni

39. COLLABORATION WITH NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (NCVET) : The Council has initiated collaboration with the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) to design and implement specialized training programs in architecture and related vocations. The initiative aims to align training with industry needs and enhance employability through skill development. Two presentations have been made before NCVET, with a final presentation to be held before its Chairman and Secretary for the Council's recognition as an awarding institution. As part of this collaboration, the Council is working closely with NCVET to design and implement certification programmes aimed at upskilling professionals, supervisors, and workers in the building and construction sector. These programmes are intended to align vocational training with architectural practice requirements, enhance employability, and create a structured pathway for capacity building across the industry.

40. AMENDMENT IN COA RULES 1973 FOR ENHANCEMENT OF FEE BEING CHARGED BY COUNCIL FROM ARCHITECTS: The Council in its 72nd Meeting held on 24th and 25th January, 2020, a proposal for revision of fees was submitted with the Ministry of Education, Government of

India, on 18th November 2020, for suitably amending the Council of Architecture Rules, 1973 for enhancing the fees being charged from the Architects. The certain clarifications were sought by the Ministry and the same were provided by the Council. As requested by the Ministry, the Council has submitted a revised detailed proposal for enhancement of fees to be charged by Council of Architecture with full facts and justification to the Ministry in December, 2024. The proposal of the Council is under active consideration by the Ministry.

41. **ORGANIZED HERITAGE WALK:** The Council of Architecture organized a Heritage Walk at the Qutub Complex, New Delhi, on 4th January 2025, with the aim of raising public awareness about India's architectural heritage and the significant role of architecture in shaping the built environment. The event provided participants an opportunity to explore the Qutub Complex, a UNESCO World Heritage Site known for its exemplary Indo-Islamic architecture. Guided by a conservation architect, the walk offered valuable insights into the architectural styles, historical context, and construction techniques of prominent monuments such as the Qutub Minar, Alai Darwaza, and Quwwat-ul-Islam Mosque. The initiative was designed to foster a deeper appreciation of India's architectural legacy, while also highlighting the relevance of conservation and sustainable practices in urban development. The walk saw enthusiastic participation from architecture students, school students, and heritage enthusiasts, reflecting a collective commitment to preserving the country's built heritage. The Heritage Walk reinforced the importance of architecture in sustaining cultural identity and historical continuity. The Council remains committed to organizing similar educational and awareness-driven initiatives in the future.

42. **ORGANIZED 'SRUJAN – A CELEBRATION OF INDIAN ARCHITECTURE' AT BHARAT PARV 2025 :** The Council of Architecture participated in Bharat Parv 2025, held from 26th to 31st January, 2025 at Red Fort, New Delhi, with a curated exhibition titled *'Srujan – A Celebration of Indian Architecture'*. The exhibition showcased the richness of Indian architectural heritage and its evolving balance between tradition and innovation. Through thoughtfully curated displays, srujan highlighted the significance of architecture in shaping society and emphasized the vital role of professional architects in building a sustainable and well-designed future. The exhibition aimed to educate and inspire, offerings visitors a deeper understanding of how architecture influences daily life and urban development. A key highlight was the contribution of young professionals, whose dedication and creativity brought this vision to life. The exhibition received an overwhelming response, reinforcing the importance of architectural awareness and the need for professional expertise in the built environment. The success of Srujan stands as a testament to the collaborative efforts of team COA and the support of the Ministry of Tourism, Government of India. As we move forward, we remain committed to promoting architectural excellence and fostering a greater appreciation for the profession.

43. **CONDUCT OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON "ARCHITECTURE EDUCATION IN CHANGING WORLD" AT VIT VELLORE, CHENNAI :** The Council conducted an international Conference titled as "COA International Conference – Architecture Education in the Changing World -Reviewing and Rethinking the Way Forward (COA-ICFAE)", a premier conference dedicated to the dynamic and evolving landscape of Architectural Education, from 15th, 16th and 17th February 2024 at VIT, Vellore, Tamil Nadu. Renowned experts and thought leaders in architectural education conducted engaging sessions on emerging trends, challenges, and innovative approaches in 6 Sub-Themes of architecture education. Selected papers received for the conference will be presented by the authors to contribute to the academic discourse at the conference. This conference provided a unique platform for educators, researchers, and industry professionals to come together, connect and explore the transformative potential of architectural education. With an emphasis on innovation, technology, and interdisciplinary collaboration, COA-ICFAE aimed to inspire new ideas and strategies for shaping the future of architectural education.

44. **SUPPORT FOR WALK FOR ARCAUSE 5.0 :** Ar. Gita Balakrishnan's Walk for Arcause 5.0,supported by the Council of Architecture (COA), was an impactful initiative by the Ethos Foundation, conducted in two 100-kilometre phases: Gujarat (16–20 April 2025) and Kerala (23–27 April 2025). The initiative aimed to strengthen socially responsible design education by creating awareness of heritage, crafts, and community-centric practices. The programme was aligned with the Ethos Foundation's six action areas: BoDH (design literacy), SVaDes (sustainable vernacular design), UDita (universal design/accessibility), ADaR (advocacy), ShramA (construction workers' welfare), and SAaTh (community collaboration). The Gujarat phase, titled the Ahmedabad Walking

Studio, was an intensive 5-day journey covering approximately 100 km from Siddhpur to Gandhinagar. Participants made structured observations of heritage sites, traditional crafts, and local communities along the route. The walk engaged over 30 architecture students, who interacted with more than 50 artisans, traders, and local experts, enabling meaningful dialogue, knowledge exchange, and hands-on learning.

45. STATUS OF IMPORTANT COMMITTEES CONSTITUTED BY THE COUNCIL : A summary of the important Committees and Sub-Committees constituted by the Council during the period under report for carrying out various functions and responsibilities is given below:

Sl	List of Committees/Sub-Committees	Convenor	Members	Mandate
1	Sub-Committee on Creation of Building Audit Tool and Accreditation of Architectural Firms	Dr. Amit Hajela, Convenor	Ar. Ashok B Lall, Member Mr. Snehanshu Mukherjee, Member Ar. Prasad Suresh Vaidya, Member Prof. (Dr.) Jyotirmay Mathur, Member Prof. (Dr.) Rajan Rawal, Member Dr. Gaurav Raheja, Member Mr. Gaurav Shorey, Member Dr. Vinod Jain, Member Mr. Pankaj Dharkar, Member Mr. Rajnish Aggarwal, Member Dr. Priyanka Kochhar, Member Dr. Shagun Agarwal, Member Mr. Kamleshwar Shukla, Member Mr. Sanjay Paul, Member Mr. Varun Seth, Member Mr. Suneet Mohindru, Member Sh. Manoj Mittal, Member	To develop mechanism for Accreditation of Architectural Firms and develop an objective framework for evaluation of Buildings to be known as Building Audit Tool.
2	Advisory Committee (Appeals)	Ar.Bapilu Chai, Convenor	Ar.Vidur Mehta, Member Ar.Ravi Kumar, Member	For hearing appeals from applicants whose applications are rejected by the Registrar for registration u/s 25(a) of the Architects Act, 1972.

3	Publication Committee for Indian Knowledge System (IKS) in the context of Architecture and Built Environment	Dr. Joy Sen, Coordinator	Dr. Binumol Tom, Member Dr. Shreyas Pramod Bharule Dr. Jeslu Celine Jacob	To publish requisite volumes on Indian Knowledge Systems for benefit of the Architects, Professionals in construction industry, faculty, students & others and to provide proper knowledge in the area of IKS, so as to create comprehensive understanding about applying IKS in the field of Architecture and Built Environment.
4	Sub-Committee to Analyse the relevant information, assist and advice the Council on Information provided by foreign Authorities for entering into MRA	Dr. Vandana Sehgal (Convenor)	Prof. Pushkar Murlidhar Kanwinde, Member Prof. Chirayu Bhatt, Member Dr. Binumol Tom, Member	To analyse the relevant information, assist and advice the Council on Information provided by foreign Authorities for entering into MRA
5	Committee on Recognition of Foreign Architectural Qualifications of the Council of Architecture to consider references received for recognition of qualifications under the Architects Act, 1972	Ar. Pushkar M. Kanvinde, Convenor	Ar. Sanjeev Bumb, Member Ar. Durganand Balsavar, Ar. Kiran S. Mahajani, Member Ar. Kavita Daryani N. Rao	To consider applications received by candidates for recognition of qualifications under the Architects Act, 1972

6	Sub-Committee to prepare a scheme of examination, modalities and syllabus for conducting an entrance/eligibility test for admission to Post-Graduation Programme in Architecture (PGETA)	Ar. T. Loganathan (Convenor)	Ar. Anupama Sharma, Member Ar. Binumol Tom, (Co-Convenor) Ar. Abhijit Sadashiv Natu, Member Ar. Anand Achari, Member	• To prepare a scheme of examination for conducting PGETA test for admission to First Year of Post-Graduation Programme in Architecture with various specializations for 2025-2026. • To prepare the syllabus, brochure and other modalities for the conduct of the PGETA. • To lay down criteria and preparation of questions, identifying question setters, supervision of evaluators, moderation of evaluation etc. and to monitor the entire evaluation process. • To oversee the results declaration process. • To decide the timeframe and policy/guidelines for the conduct of PGETA Test. • To carry out any other work related to PGETA as may be required or assigned by the Council.
7	Sub-Committee for Compilation of Complaints of Professional Misconduct against Architects as Study material for students of Architecture	Ar. Swopnadutta Mohanty, Convenor	Dr. Binumol Tom, Member Ar. Manish Chakraborti, Member Ar. Namita Kumari Mohapatra, Member	preparation of study material based on selected complaints of professional misconduct against architects. This initiative aims to compile such complaints while ensuring the complete anonymity of both the complainant and the respondent. The primary objective of the exercise is to create educational resources/publication

				that will help students of architecture to better understand their professional duties and responsibilities, thus preventing future instances of professional misconduct.
8	Constitution of a Sub-Committee to prepare SOP for intimation of death of an Architect for reporting of such cases to the Council		Ar. Nilesh Chavan,Member Ar. K. Senthil, Member	To prepare SOP for intimation of death of an Architect for reporting of such cases to the Council within 3 months.
9	Sub-Committee to examine and suggest changes in the National Building Code 2016	Ar. Gajanand Ram. Convenor	2) Ar. Swopnadutta Mohanty, Member 3) Ar. Vidur Mehta, Member 4) Ar. Tarun Garg, Member 5) Ar. Sanjeev Bumb, Member 6) Ar. Ravi Kumar R, Member 7) Ar. Divya Kush, Member 8) Ar. Yayati Tapale, Member 9) Ar. Vijay Pande, Member	To review the ongoing revision of National Building Code (NBC) 2016 by the Bureau of Indian Standards (BIS), and to suggest changes in the same.
10	Advisory Committee on International Relations	Dr. Vandana Sehgal, Convenor	Ar. Tushar Sogani, Member Prof. Chirayu Bhatt, Member Ar. Durganand Balsavar, Member Ar. Dilipchandra Chatterjee, Member Prof.Rajendra Kumar, Member	1) To identify opportunities for international cooperation and engagement. 2) To develop strategies to expand the Council of Architecture's presence and influence on the global stage. 3) To provide guidance and support to architects seeking international opportunities. 4) To collaborate with international organizations,

				institutions, and stakeholders to promote best practices in architecture. 5) To advise the Council of Architecture on matters related to international policies, regulations, and standards affecting the profession.

46. TRAINING PROGRAMMES & ACTIVITIES UNDERTAKEN AT COA TRC PUNE : The consolidated report of activities carried out by COA-Training & Research Centre during the year from 1st April 2024 to 31st March 2025 is as under:

A. Training Programmes: 41 online and 3 offline training programmes, were convened by Prof. Jayashree Deshpande, Director, COA-TRC, Pune, for teachers and professional architects in various cities in India during the last year. 2056 participants across the country attended the programs. The details of the programmes are as follows:

List of Teacher Training Programmes conducted:

Sr. No	Details of Online Programme	Name of Coordinator	Name of the Speakers	Dates	No. of Participants
1.	Safety in Architecture: Educating on the Design of Architectural Spaces with due Consideration to User Safety	Prof. Himani Tawade	1. Ar. Anuja Ganesh Sawant 2. Mr. Hemant Khadse 3. Mr. Amit Deshmukh 4. Mr. Santosh Warick 5. Mr. Rajesh Shirke 6. Mr. Ashok Menon 7. Mr. Yogesh Ratnaparkhi 8. Mr. Sekhar Dey 9. Mr. Abasaheb Kale	1st April 2024 to 5th April 2024	64
2.	Exploring the Meaningfulness of Site and Context for Fostering Creativity in Design Development	Prof. Adarsh Viswam	1. Ar. Durganand Balsavar 2. Ar. Sathya PrakashVaranashi 3. Dr. Binu Mol Tom 4. Ar. Rahul Paul 5. Dr. Giridharan Ranganathan 6. Ar. Riyaz Tayyibji 7. Dr. Roshni Udyavar 8. Ar. Manguesh R. Prabhugaonker 9. Ar. Sabu Francis 10. Ar. Sukanya Balaji	22nd April 2024 to 26th April 2024	48
3.	Exploring Architecture with	Dr. Prof. Anand Achari	1. Ar. Anil Yogendrapal Nagrath	6th May 2024 to 10th May 2024	42

	An Ekistics Approach		2. Ar. Harshad Madhavsinh Bhatia 3. Ar. Madhav Deobhakta 4. Ar. Hina Zia		
4.	Introduction to Pre-Design	Dr. Prof. Anand Achari	1. Ar. Naresh Shah 2. Ar. Reena Salvi 3. Ar. Dipu George 4. Ar. Prasad Bhalchandra Anaokar 5. Ar. Vinish Desai 6. Dr. Purva Mange	13th May 2024 to 17th May 2024	71
5.	RESILIENT HABITATS - Rethinking Design in the Context of Climate Change	Prof. Vandana Balakrishnan	1. Mr. S. Gopikrishna Warrier 2. Ar. Manguesh Prabhugaonker 3. Dr. Shanmuga Priya G. 4. Dr. Vandana Sehgal 5. Dr. P. P. Anilkumar 6. Dr. A. Navara 7. Prof. K. T. Ravindran 8. Ar. Seetha Raghupathy 9. Ar. Anu Mridul 10. Dr. Binumol Tom 11. Dr. Balaji V. 12. Ar. Sachin Rastogi 13. Ar. Gaurav Shorey 14. Ar. Anupama Mohanram	10th June 2024 to 14th June 2024	79
6.	Buoyant trends of documenting Heritage and Cultural footprints: Exploring the conscious effort through handholding in teamwork for experiencing holistic learning!	Prof. Rupali Gupte	1. Ar. Pratik Dhanmer 2. Ar. Anuj Kale 3. Ar. Shreya Khandekar 4. Ar. Priyanka Baarish Date 5. Ar. Nipun Prabhakar 6. Ar. Rupali Gupte 7. Ms. Rupali Saxena Bhattacharjea 8. Ar. Malini Rajalakshmi Subhash 9. Ar. Shreya Manish Hans 10. Ar. Priya Sharma	24th June 2024 to 28th June 2024	49
7.	Inclusive Architecture	Dr. Madhugandha A. Mithari	1. Dr. Rachna Khare 2. Dr. Gaurab Das Mahapatra 3. Ar. Gandhi Hardikkumar Devendrakumar 4. Ar. Gaurav Raheja 5. Ar. Naik Niraj Dilipbhai 6. Ar. Sandeepsingh Rajendrasingh Sisodia 7. Ar. Niravbhai Jasmatbhai Hirpara 8. Dr. Haimanti Banerji 9. Adv. Subhash Chandra Vashishth	1st July 2024 to 5th July 2024	42

8.	Universal Accessibility	Prof. Jayashree Deshpande	1. Dr. Priyanjali Prabhakaran 2. Dr. Haimanti Banerjee 3. Dr. Tarush Chandra 4. Prof. Meenu Varshney 5. Prof. NS Rathore	4th July 2024 & 5th July 2024	11
9.	Emerging Technologies in Sustainable Building Design	Prof. Bandana Jain	1. Ar. Krishna Murthy 2. Ar. Suditya Sinha 3. Ar. Tushar Gaur 4. Ar. Kaustubh Das 5. Mr. Vinod Gupta 6. Mr. Vinod Gupta 7. Dr. Prafulla Parlewar 8. Dr. Gaurav Raheja 9. Dr. Mohammad Saquib 10. Ar. Sabu Francis	8th July 2024 to 12th July 2024	60
10.	Teaching and Applying Architecture Through Humanities	Ar. Fatema Kabir	1. Prof. Joy Sen 2. Prof. Aban Sethna 3. Prof. Jamshid Bhiwandiwala 4. Ms. Madniya Mozawala 5. Prof. Rabindra Vasavada 6. Prof. Akhtar Mohammed Chauhan 7. Ar. Fatema Nasikwala 8. Ar. Sneha Ambarish Bendre	22nd July 2024 to 26th July 2024	70
11.	Electives as a tool of transcending disciplines	Prof. Pradnya Patki	1. Prof. Ar. Kavita Daryani Rao 2. Prof. Dr. Parag G. Narkhade 3. Ar. Nityati Jigyasu 4. Ar. Nikhil Dhar 5. Ar. Ragini Goswami 6. Dr. Sudnya Mahimkar 7. Dr. Natraj Kranthi 8. Ar. Deepshikha Jain 9. Ar. Sarang Patwarddan 10. Ar. Mangesh Belsare	29th July 2024 to 2nd August 2024	58
12.	Roof Over Our Heads - Working In Informal Habitats and Developing Climate Resiliency	Ar. Aditya Sawant	1. Ms. Sheela Bharat Patel 2. Ar. Banashree Banerjee 3. Prof. Aneerudha Paul 4. Ms. Smruti Srinivas Jukur 5. Prof. Ankush Chandran 6. Dr. Binti Singh 7. Ms. Siddhi Rajendra Mehta 8. Mr. Akbar Allahbaksh 9. Mr. Nihar Johari 10. Mr. Mohak Gupta 11. Ar. Aditya Sawant 12. Ms. Sejal Patel	5th August 2024 to 9th August 2024	74

13.	Integrated Design Strategies for Large and Complex Buildings: Focus on IT Parks	Dr. KS Anantha Krishna	1. Ar. Pramod Balakrishnan 2. Prof. Sairam Dasari 3. Ar. Bhavana sethi 4. Ar. Vijaya prasad Bhargav 5. Ar. Madhav Joshi 6. Ar. B. Sudhir 7. Ar. Aparna Narasimhan 8. Ar. Virendra Ishwariprasad Khare 9. Ar. Kavitha Selvaraj 10. Dr. Anup Naik	5th August 2024 to 9th August 2024	35
14.	Outcome Based Education: Setting up of Program Outcomes and Course Outcomes in Architectural curriculum	Dr. Mamatha P. Raj	1. Prof. Pushkar Kanvinde 2. Prof. Dr. Amit Hajela 3. Dr. Sagar T. S. 4. Dr. Suchandra Bardhan 5. Dr. Ranganath R. V. 6. Dr. Nikhil Ranjan Mandal 7. Dr. Sheetal Sharma 8. Dr. Vinayak S. Adane 9. Prof. Manoj Mathur	19th August 2024 to 23rd August 2024	56
15.	Designing with Nature: Exploring Relationships of Built Environments with Land, Water & Vegetation	Prof. Prachi Nadkarni	1. Ar. Shilpa Gaurish Chandawarkar 2. Ar. Nikhil Dhar 3. Ar. Shardul Patil 4. Ar. Bhakti Amrish Thakoor 5. Dr. Meghal Vijay Arya 6. Dr. Shanmuga Priya G. 7. Ar. Intekhab Alam 8. Ar. Rahul Gore 9. Ar. Amrita Kaur Slatch 10. Ar. George Jerry Jacob	26th August 2024 to 30th August 2024	50
16.	Urban Development enhancing Built and Cultural Heritage Lessons from Theory and Practice	Dr. Seemantini Chaphalkar	1. Dr. Neeta Das 2. Ar. Kiran Kalamdani 3. Dr. Jigna Desai 4. Ar. Chemburkar Rahul Vijay 5. Ar. Ajay Kulkarni 6. Ar. Benny Kuriakose 7. Ar. Vikas Dilawari 8. Ar. Arul 9. Ar. Vinod Kumar MM 10. Ar. Munish Pandit	2nd September 2024 to 6th September 2024	60
17.	Adaptive Reuse and Conservation: Educating about the preservation of historical buildings and the adaptation of existing	Prof. Jagbir Singh	1. Prof. Priyaleen Singh 2. Prof. Kasthurba AK 3. Dr. Binumol Tom 4. Ar. Smriti Rastogi 5. Prof. Anand Khatri 6. Prof. Mohd. Farhan Fazli 7. Prof. Mohd. Ziauddin 8. Ar. Munish Pandit 9. Prof. Vandana Sehgal	23rd September 2024 to 27th September 2024	26

	structures for new Purposes				
18.	Architecture and Building Services	Ar. Mrinmayee Tiwari	1. Dr. Parthasarathi Satvaya 2. Dr. Pratima Dhoke 3. Dr. Shankh P. Bhattacharya 4. Dr. Poorva Keskar 5. Dr. Rajeev Garg 6. Er. Shankar Govindrao Ghime 7. Dr. Sandeep Shirkhedkar 8. Ar. Vishal Shyamsundar Ramteke 9. Ar. Vijesh Kumar V. 10. Dr. Vivek Bhore	7th October 2024 to 11th October 2024	42
19.	Fire Safety in Built Environment - Role of an Architect!	Dr. Meera Shirolkar	1. Mr. Santosh S. Warick 2. Dr. Shorab Jain 3. Dr. Raja Singh 4. Mr. Rajesh Chander Sharma 5. Dr. Pratima Deepak Dhoke 6. Dr. Meera Pankaj Shirolkar 7. Mr. Rajesh Shirke 8. Mr. Sandeep Goel 9. Dr. Arun Kumar Saravanan 10. Ms. Alka Joshi	14th October 2024 to 18th October 2024	42
20.	AI and Architecture: Adapting and Implementation	Dr. Kaiwan Mehta	1. Ar. Naman Mehta 2. Mr. Ayaz Basrai 3. Ar. Varun Mehta 4. Ar. Ipsita Datta 5. Mr. Mayur Mistry 6. Ar. Kedar Undale 7. Mr. Utaam Solanki 8. Ar. Anshuman Roy 9. Ar. Ishan Vora 10. Prof. Aneerudha Paul 11. Ar. Ankush Chandran 12. Ar. Krishna Murthy 13. Ar. Bhavleen Kaur 14. Ar. Parshav Sheth	14th October 2024 to 18th October 2024	84
21.	Renewable Energy Integration in Buildings	Prof. Sudhakar J.	1. Dr. Gauri Shiurkar 2. Ms. Shabnam Bassi 3. Dr. Shankha Pratim Bhattacharya 4. Dr. Karthikeyan S. 5 Dr. Anshul Gujrathi 6. Ar. Manoranjani R. 7. Prof. Sudhakar J. 8. Prof. Ruchi Mehta 9. Dr. Khuplianlam Tungnung	21st October 2024 to 25th October 2024	30

			10. Dr. Parisutha Rajan 11. Dr. Balaji R. 12. Mr. Akash Deep 13. Ar. Ashiqua Sulthana 14. Mr. Karthikeyan M.		
22.	Institutional Strengthening for Funded Research Projects and Publications	Prof. Aruna Bhardwaj	1. Dr. Hina Zia 2. Dr. Bijaya Kumar Sahu 3. Dr. Parul Munjal 4. Prof. Pooja Lalit Kumar 5. Prof. R. Srinivas 6. Dr. Shubhajit Sadhukhan 7. Dr. Farheen Bano 8. Dr. Neha Kolhe 9. Prof. Aruna Bhardwaj Rawat 10. Ms. Trisha De Niyogi	21st October 2024 to 25th October 2024	25
23.	Towards Carbon Neutrality in Construction Strategies and Solutions	Dr. M. N. Chandrashekar	1. Ar. Makrand Bhoot 2. Dr. Iyer Vijayalaxmi Kasinath 3. Ms. Digisha Patel 4. Ar. Anubha Ashtikar 5. Ar. Deepa Parekh 6. Ar. Prajna Aigal 7. Dr. Shady Attia 8. Dr. Shilpa Madangopal 9. Er. Gagan Devaiah Kechira 10. Ar. Neha Awasthi 11. Dr. Purva Tavri	25th November 2024 to 29th November 2024	52
24.	Housing and Livability	Ar. Pradnya Chauhan	1. Prof. Pradnya Chauhan 2. Prof. Akhtar Chauhan 3. Ar. Minaz Ansari 4. Ar. Biju Kuriakose 5. Ar. Fatema Nasikwala 6. Ar. Pankaj Joshi	2nd December 2024 to 6th December 2024	50
25.	Redefining Role of Electives in Architectural Education	Prof. Rakhi Begampure	1. Dr. Vaishali P. Latkar 2. Ar. Saurabh Joshi 3. Ar. Sanjay Prakash 4. Dr. Roshni Udyavar 5. Dr. Madhav Kumthekar 6. Ar. Prasanth M. S. 7. Dr. Shilpa Sharma 8. Ar. Jagriti Jhunjhunwala-Sarda 9. Prof. Gaurab Das Mahapatra 10. Dr. Joy Sen	9th December 2024 to 13th December 2024	56
26.	Advanced Academic Writing for Architects	Ar. Preeti Nayak	1. Dr. Sanjeev Vidyarthi 2. Dr. Mustansir Dalvi 3. Dr. Kaiwan Mehta 4. Dr. Smita Dalvi 5. Dr. Pratyush Shankar 6.Dr. Swagatika Mishra 7. Ms. Aditi Maddali	9th December 2024 to 13th December 2024	61

27.	ArchPatent: Innovate, Protect, and Research Ethically	Ar. Suvarna Thakare	1. Dr. Prof. Gouri Ashok Gargate 2. Dr. Sudnya Mahimkar 3. Mr. Suneet Sable 4. Dr. Priyam Pillai 5. Prof. Dr. Kavita Daryani Rao 6. Dr. Nandini Kulkarni 7. Dr. Sujata Roy 8. Mr. Sagar Ranshoor 9. Prof. Sarojini Lohot 10. CA. Bhavik Bhanushali 11. Ar. Krishna Murthy	16th December 2024 to 20th December 2024	42
28.	Application of Technology in Architectural Education	Prof. Jyoti Luthra	1. Ar. Gaurav Gupta 2. Ar. Preeti Rana 3. Ar. Chakresh Jain 4. Ar. Neelakshi Srivastava 5. Ar. Nikhil Bhandari 6. Ar. Tarun Verma 7. Ms. Shalini Misra 8. Ar. Joy Mondal 9. Ar. Abhinav Goyal 10. Dr. Mohd. Qamar Tanveer	16th December 2024 to 20th December 2024	53
29.	Artificial Intelligence (AI) And Architecture: Crafting the Future Designers and Educators	Dr. Aparna Parate	1. Ar. Sahil Tanveer 2. Ar. Monish Siripurapu 3. Ar. Subin Jameel 4. Dr. Prafulla Parelwar 5. Ar. Ritu Sharma 6. Ar. Robert Schuck 7. Dr. Ekta Singh 8. Dr. K.S. Sowmiya Rani 9. Ar. Krishna Murthy 10. Ar. Dhanashree Sardeshpande	6th January 2025 to 10th January 2025	85
30.	Design Studio Teaching Methodologies: Journey from Foundation Studio to Thesis	Ar. Vineetha P. S.	1. Dr. Anjali Kadam 2. Prof. Harsha Munasinghe 3. Prof. Smit Vyas 4. Ar. Sandeep B. Menon 5. Prof. Bejene Kothari 6. Dr. Asif R. Khan 7. Ar. Anurangi Mendis 8. Ar. Ashan De Silva 9. Prof. John Odhiyambo Onyango 10. Prof. Dr. Rajshekhar Rao 11. Ar. Akshay Kaul	6th January 2025 to 10th January 2025	72
31.	Net Zero Energy Buildings – A Need of Sustainable and Resilient Building Practices in India	Prof. Manjari Rai	1. Dr. Farheen Bano 2. Ar. Gita Balakrishnan 3. Ar. Sanjay Prakash 4. Dr. Ritu Gulati 5. Ar. Chitra Vishwnath 6. Ar. Ankit Bhalla	20th January 2025 to 24th January 2025	48

			7. Ar. Dinesh Hipparkar 8. Dr. Parveen Kumar 9. Dr. Pratik Sudhakaran 10. Dr. Khushal Matai		
32.	Interpretations of SDGs in Architecture Pedagogy - Building Construction and Services	Ar. Dhiraj Salhotra	1. Mr. Amol Nandkishor Pore 2. Ar. Sabu Francis Vadukkut 3. Mr. Manish Chandrakant Parikh 4. Dr. Pratima Dhoke 5. Dr. Shanmuga Priya 6. Ar. Amalan Sigmund Kaushik 7. Mr. Santosh Warick 8. Dr. Bijay Kumar Das	27th January 2025 to 31st January 2025	27
33.	The Dynamics of High-Rise Living: Social and Environmental Perspective	Dr. Bhakti More	1. Mr. Yahya Jan 2. Prof. Dr. Khaled Galal Ahmed 3. Ar. Adel Sattaripour 4. Dr. Edgar Stach 5. Ms. Manoranjini R. 6. Dr.Peng Du 7. Ms. Priya Mrinal 8. Mr. Nandan Tavkar 9. Dr. Shaji Panicker 10. Ar. Jason Carlow	27th January 2025 to 31st January 2025	44
34.	Integrating Technology and Digital Toolkits in Design Studio	Prof. Meera Malegaonkar	1. Prof. Meera Malegaonkar 2. Ar. Vikram Kohli 3. Ar. Mohammad Salman 4. Ar. Aishwarya Uday Tipnis 5. Ar. Amit Kumar Biswal 6. Ar. Shailee Mody 7. Ar. Ankush Chandran 8. Mr. Avijit Kishore 9. Ar. Darshana Agrawal 10. Ar. Ankur Jyoti Dutta 11. Ar. Sailee Madhusudan Gosavi 12. Ar. Daksh Jain	3rd February 2025 to 7th February 2025	46
35.	Decoding Undergraduate Thesis and Dissertation in Architecture	Dr. Parampreet Kaur	1. Dr. Abraham George 2. Dr. Parampreet Kaur 3. Dr. Ketan S. Kimmatkar 4. Dr. Mansee Bal Bhargava 5. Dr. Vishal Chettry 6. Dr. Satyaki Sarkar 7. Dr. Arindam Biswas 8. Dr. Ritu G. Deshmukh 9. Dr. Himanshu Poptani 10. Prof. Ar. Uday Gadkari	10th February 2025 to 14th February 2025	45
36.	Integrating Sustainability into the Undergraduate	Ar. Surendran Aalone	1. Ar. Krishnan Varma 2. Ar. Manoj Ladhad 3. Ar. Rohit Mujumdar 4. Mr. Basavanna Mahesh	10th February 2025 to 14th	58

	Architecture Curriculum		5. Dr. Lilly Rose A. 6. Ar. Mohan Rao 7.Ar. Surendran Aalone 8. Ar. Hiten Chavda 9. Ar. Nithin MS 10. Ar. Uday Andhare	February 2025	
37.	Symphonies in Architecture - Enigma of Design Thinking- A Perspective from Practice	Prof. A. Dharmapriya	1. Ar. David Carun 2. Ar. Saniya Aafreen 3. Ar. Arvind Rangan 4. Ar. Seetha Raghupathy 5. Ar. Jaigopal G. Rao 6. Ar. Radhika 7. Ar. Jeganath JB 8. Dr. Ponni M. Concessao 9. Ar. Rama Nayak 10. Ar. Srinath Tandur	17th February 2025 to 21st February 2025	28
38.	Decolonising Education in Architecture	Prof. Mandar Parab	1. Ar. Athulya Aby 2. Ar. Sheema Fatima 3. Dr. Vishakha Kawathekar 4. Ar. Guruprasad Suresh Rane 5. Ar. Deepa Desai 6. Ar. Manjusha Ukidve 7. Dr. J. Srinivas 8. Dr. Ramachandrasekhar P. 9. Ar. Maanasi Vivek Hattangadi 10. Ar. Neeta Milind Sarode 11. Ar. Yatin Pandya 12. Mr. Kartick Ranjan	3rd March 2025 to 7th March 2025	32
39.	Integrating Fire Safety and Performance in Sustainable Building Envelope Design	Dr. Mamatha P. Raj	1. Dr. Pratima Dhoke 2. Dr. Antony Kumar Boity 3. Dr. Parag Narkhede 4. Ar. Indranil Bhattacharya 5. Mr. Lalit Nagpure 6. Dr. Nagendra Narayan 7. Mr. Raghvendra Khot 8. Mr. Shivaramakrishnan V. 9. Prof. Neha Bhatia 10. Dr. Manoj Kumar	17th March 2025 to 21st March 2025	41
40.	Architectural Education for Disaster Resilience: Integrating SDG 11 into Sustainable Urban Development	Ar. Reshmi MK	1. Ar. Neha Swapnil Raje Bhole 2. Dr. Sneha 3. Dr. Shibu K. Mani 4. Mr. Lakshman Srikanth 5. Ar. Yash Pramod Gupta 6. Ar. Arun Baby M. Wilson 7. Ar. Chetan Sodaye 8. Ar. Raakesh Gandhi M.	24th March 2025 to 28th March 2025	35

			9. Dr. Shikha Maunik Patel 10. Ar. Ankush Chandran		
41.	Pedagogy of Teaching Visualizing Techniques in Architecture and Design Education	Dr. O. P. Bawane	1. Er. Shivkumar S. 2. Ar. Prashant G. Pole 3. Er. S. Badri Narayana 4. Er. Abhimanyu Gopal Kulkarni 5. Ar. Gulshankumar Sharma 6. Dr. Mukund Sadashiv Athavale 7. Ar. Dr. Pratheek Sudhakaran 8. Ar. Ujjayant Bhattacharyya 9. Er. Anil Saini 10. Ar. Raghuraman M. 11. Ar. Vinyas Vardhan P. G. 12. Ar. Kishor P. Rewatkar 13. Ar. K. Sreedhar 14. Ar. Muralidhar Krishna Reddy 15. Ar. Dr. P. S. Harimohan Pillai	24th March 2025 to 28th March 2025	38
				Total:	**2033**

Sr. No	**Details of Offline Programme**	**Name of Coordinator**		**Dates**	**No. of Participants**
1.	Making Indian Neighbourhood Walkable: Creating SAFE + SHADED + SOCIAL STREETS with SEAMLESS connectivity Street Design I Cycle Infrastructure I Public Transport	Ar. Prasanna Desai	1. Ar. Pranjali Deshpande 2. Ar. Prasanna Desai 3. Er. Pratapsingh Bhonsle 4. Ar. Shivaram Somasundaram 5. Dr. Sanskriti Menon 6. Mr. Vikas Thakkar 7. Ar. Sai Veerkar 8. Ar. Ajinkya Desai 9. Ar. Shubhashree Rane 10. Mr. Harshad Abhyankar 11. Mr. Ranjit Gadgil	17th February 2025 to 21st February 2025	**23**
				Total	**23**

B. Other activities

The Council of Architecture through the Council of Architecture Training and Research Centre (COA-TRC) has successfully conducted the following activities:

- Displayed 40 panels showcasing the heritage and architecture across India at the Bharat Parv – an annual event organised at New Delhi as a part of the Republic Day celebrations from 26th January 2025 to 31st January 2025.

- Launched schemes for providing support and facility to teachers, professionals and students of the undergraduate and diploma courses in architecture in the form of Indigenous books through the Academic Resource Development Scheme (ARDS)-2025 and the Architecture Knowledge Repository for publishing books authored by architects.
- The Sanshodhan 2025 scheme was launched with an aim to develop a research culture within the recognized schools of architecture in close collaboration with all stakeholders of the built environment.
- In the Academic year of 2024-25 the COA TRC has worked on conceptualization and detailing of the COA International conference titled TRANSFORMATIONS 2025 Co-scripting Change with disruptive Technologies in Architecture, Design and Urbanism to be conducted in collaboration with D.Y. Patil Deemed to be University, School of Architecture, Navi Mumbai, on 26th, 27th and 28th June 2025.

- A series of 12 pre-conference webinars were conducted of which the following 7 were conducted up to 31st March 2025:

1 Inauguration of the conference webinar series by the COA President Prof. Abhay Purohit followed by Prof. Dr. Sajeev Vidyarthi's talk on Situating the idea of 'Disruptions' in the fields of architecture and urbanism: Elaborating Theme speakers: Prof. Abhay Purohit (President COA), Prof. Dr. Sanjeev Vidyarthi, Prof. Jayashree Deshpande (COA TRC), Prof. Aparna Surve (Dean, DYPUSOA) on 06-01-2025
2 The Impact of Technology on Design, Collaboration, and Sustainability by Ar. Krishnamurthy on 16-01-2025
3 Data Science/ Analytics in Urban context. By Prof. Aneerudha Paul and Prof. Ankush Chandran on 31-01-2025
4 Innovation to address climate change by Ar. Prasad Vaidya – Moderator, Ar. Ashok Lall and Gagandeep Bhullar on 13-02-2025
5 From Lab to Market: Bridging Academic Research and Industrial Applications with 3D Printed Concrete by Dr. Ashish Mohite on 27-02-2025
6 Readdressing the Role of Development Challenges, Architecture, and Design through Disruptive Technologies. by Dr. Binumol Tom and Prof. Anand Khatri on 13-03-2025
7 Urban Morpho-Metrics: Technological Innovation for Evidence-Based, Evolutionary Design by Prof. Sergio Porta, UK and Prof. Aneerudha Paul - moderator on 27-03-2025

47. PUBLICATIONS: The Council is publishing Magazine "Architecture Time Space and People" and CA Newsletter in e-format containing various articles related to Architecture and allied subjects and news and information about the Council and its activities. The Council has purchased following books at concessional rates for distribution to Architectural Institutions for promotion of architectural education and profession:

S. No.	BOOK TITTLE
1	Book on the walk-1700 in 70 Author-Ar.Gita Balakrishnan
2	Creation of Digital Format Monograph -25 Work place Institutions Architecture projects in different categories Compiled by- Prof. Durganand Balsavar
3	Materials of Interior Designing Author- Er. Harish Malpani
4	Works of Raj Rewal Author- Ar. Raj Rewal
5	Architectural Education in the Changing World Compiled by- Ar. Madhumita Roy, Ar. Nandini Kulkarni, Ar.Jayashree Deshpande

1. The following books are ready for printing and will be printing and distributed shortly:
   - Archiving Architectural Thesis 2023
   - Documenting Architectural Heritage 2023
   - Archiving Post Graduate Thesis in Architecture 2014-2021
   - Architecture beyond the Blue Prints
   - Journal of Council of Architecture: Special Issue
   - Urban Studio Research Project
   - Teaching and applying Humanities through Architecture

2. The following books are approved for printing. These will be published and distributed shortly:
   - From Pre-Design to Design
   - A Sketcher's book

3. The following books are in designing process and being compiled for printing. These will be published and distributed shortly:
   - Archiving Architectural Thesis 2024
   - Documenting Architectural Heritage 2024

48. TRAINING FOR UNIVERSAL ACCESSIBILITY AUDITORS : In order to further the objectives of the Architects Act, 1972, the Council has entered into MOU with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, inter alia for preparing a Manual on Universal Accessibility and conduct of training of Architects / Universal Accessibility Auditors, incorporating Universal Accessibility as a core subject in the course curriculum of Architecture course as all levels. The MOU aimed to promote awareness and conduct workshops, seminars, and training programs on making public spaces and buildings accessible for Persons with Disabilities (PwDs). It also facilitated the development and delivery of certificate courses on universal accessibility for practicing architects, academicians, and faculty members. The Council conducted online training programs for Master Trainers for Universal Accessibility Auditors, which culminated in a physical training sessions in New Delhi at Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi in two slots on 11th and 12th March, 2024 as well as on 4th and 5th July, 2024. The Master Trainers received certificates jointly issued by the President, COA, and Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities.The Council also completed the drafting of a **Comprehensive Manual on Universal Accessibility** after an extensive consultative process, which included 33 meetings with experts from diverse disciplines, including nominated representatives from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD)**,** Ministry of Social Justice and Empowerment.

49. LAUNCH OF SANSHODHAN – A RESEARCH SCHEME : The Council, through its Training and Research Centre (COA-TRC), Pune, is launching a unique research initiative titled 'संशोधन (Sanshodhan)' in 2025 to promote a robust research culture in architecture across recognized institutions. The scheme supports up to 100 research projects annually with grants of up to ₹3,00,000 (extendable to ₹5,00,000 for exceptional proposals) for a period of two years. It has three categories: the Research Mentorship Program for young faculty, Outcome Oriented Research Program for senior academicians and architects, and participation by research-oriented architectural firms. The program encourages innovative, outcome-driven research in collaboration with local stakeholders, with a focus on societal impact. Projects will be selected through a rigorous evaluation process, and grants will be disbursed in three installments based on project milestones. Research outcomes must include detailed reports and papers.

50. LAUNCH OF THE ARCHITECTURE KNOWLEDGE REPOSITORY: The Council of Architecture (CoA) has proudly introduced Architecture Knowledge Repository—a visionary platform established to document, preserve, and disseminate the wide spectrum of architectural knowledge rooted in India's cultural, social, and environmental diversity. This initiative aims not only to enrich architectural education and practice in India but also to contribute meaningfully to the global discourse in architecture by showcasing India's traditions, innovations, and contemporary practices.

The initiative reflects the Council's continued commitment to nurturing academically rigorous and professionally relevant architectural literature, with a focus on indigenous narratives, critical inquiry, and contemporary challenges. The repository will facilitate the generation and circulation of original architectural thought, particularly in the areas of India's architectural heritage, contextual urbanism, sustainability, and future-ready design approaches. By offering this dedicated platform, the Council seeks to empower educators, students, and professionals with access to credible, high-quality, and context-specific publications. The repository also encourages scholarly engagement and collaborative knowledge-building, thereby helping to raise the standards of architectural education and practice in the country.

51. LAUNCH OF ACADEMIC RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME (ARDS) : The Council of Architecture (CoA) has launched the Study Books Writing & Translation Scheme under the Academic Resource Development Scheme (ARDS) 2025 to address the shortage of curriculum-aligned and locally relevant study materials in architecture and allied fields, including design, construction technology, heritage, sustainability, and emerging technologies. Under this initiative, CoA aims to publish up to 100 original and translated books during 2025–26, authored in English, Hindi, and regional languages. The scheme invites reputed subject-matter experts with proven academic or professional experience to contribute as authors, reviewers, or translators. Authors selected under the scheme will receive an honorarium of ₹1,000 per page, along with additional payments for reviewers and translators. Funding will be released in stages, linked to the achievement of project milestones. Applications will be evaluated based on subject expertise, language proficiency, and prior academic or professional work in the field.

52. COUNCIL EXTENDS LOGO SUPPORT TO NATIONAL AND INTERNATIONAL EVENTS: The Council has extended its official logo support to several national and international academic and professional events aimed at advancing architectural education, awareness, and excellence. Through this initiative, organisers of conferences, seminars, workshops, exhibitions, and other forums can feature the CoA logo on promotional material after due approval. This not only strengthens event credibility but also signifies alignment with the Council's vision of fostering collaboration and professional growth in architecture and design. Below is a list of approved events receiving CoA logo support:

1. APIC (Architecture and People International Conference) – Rizvi College of Architecture, Mumbai (*Reflections of the Future 2.0 – Architecting Intelligence*)
2. International Conference on Social Sustainability – Faculty of Planning & Architecture, Poornima University
3. International Conference on Sustainable Architecture: Circular Economy – University School of Architecture and Planning (USAP)
4. BAIC Exhibition 2025 – BAIC Exhibition & Events, Maniram Dewan Trade Centre, Guwahati, Assam
5. WADE ASIA 2025 Conference & Awards – Yashobhoomi (IICC), Dwarka, Delhi
6. International Conference on Social Sustainability – Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University)

By extending its logo support, the CoA reaffirms its commitment to encouraging meaningful dialogues, strengthening professional ethics, and supporting initiatives that contribute to the progress of the architectural community in India and beyond.

53. INTERNATIONAL COLLABORATION DIALOGUE IN LOS ANGELES : An informal meeting was held on April 21, 2024 in Los Angeles (U.S.A.) with Prof. Abhay V. Purohit, President, Council of Architecture, where high-level discussions took place on advancing collaboration between the organizations. The deliberations reaffirmed the shared commitment to pursue a Mutual Recognition Agreement (MRA) and to continue dialogue on aligning competencies through an updated competency matrix. Both sides expressed enthusiasm to move forward, with volunteers proposed to support evaluation efforts and future interactions planned through digital platforms.

54. CONDUCT OF REGISTRATION AND RENEWAL CAMPS BY THE COUNCIL: The Council organised Registration/Renewal camps for architects at following cities for work related to Registration, Renewal of Registration of Architects:

- One day Camp at Hamirpur held on 15th May, 2024
- One day Camp at IIA Jharkhand held on 20th December 2024
- Two days camp at IIA Kolhapur held on 17th and 18th of January 2025
- Two days camp at IIA Chennai Centre held on 08th & 09th February 2025.

55. COUNCIL'S SOCIAL MEDIA COMPETITION – "THAT ONLY SHOT" : The Council of Architecture organized *"That Only Shot,"* a weekly Instagram photo contest that invited participants to capture the essence of architecture through their lens. The competition celebrated the diversity, beauty, and creativity of architectural forms while encouraging people to view their surroundings with a sharper eye for design and aesthetics. Open to photographers, architecture students, and enthusiasts alike, the contest provided a platform to share unique perspectives with a wider audience. Each week, a new theme was announced, inspiring participants to showcase architectural concepts and elements in fresh and creative ways. Each winning entry was published in COA newsletters and the winner was awarder with a commendation certificate and a reward of Rs. 3000 along with one book. Through *"That Only Shot,"* the Council of Architecture fostered a deeper appreciation for architectural beauty and highlighted its impact on communities and everyday experiences.

56. PRESIDENT'S INTERACTION WITH HON'BLE MP, SOUTH MADRAS : The President of the Council of Architecture had a cordial interaction with Smt. Thamizhachi Thangapandian, Hon'ble Member of Parliament from South Madras, Tamil Nadu, during which matters relating to architectural education, professional practice, and the role of architecture in addressing urban and community development challenges were discussed. The meeting highlighted the importance of collaborative efforts between policymakers and the profession in ensuring sustainable growth and preserving cultural identity, with the Hon'ble MP assuring her support for initiatives that strengthen architectural practice and education in the region.

57. DISCUSSION ON DESIGN HACKATHON FOR YUGA YUGEEN BHARAT MUSEUM : The Council held a meeting with Ms. Mugdha Sinha, Joint Secretary (GLAM), Ministry of Culture, on 16 July 2024, to discuss the possibility of hosting a design hackathon for the upcoming Yuga Yugeen Bharat Museum. The proposed initiative aims to engage young architects and designers in contributing innovative ideas for the museum's design, interpretation, and visitor experience, thereby fostering creativity and collaboration while showcasing the role of architecture in preserving and presenting India's cultural legacy.

58. COA X KWIKPIC: STREAMLINING PHOTO MANAGEMENT WITH AI TECHNOLOGY: The Council of Architecture has hired the services of Kwikpic, an advanced photo-sharing and management platform, to simplify the process of storing, organizing, and sharing event photographs. With AI-powered facial recognition technology (99.9% accuracy) and QR-based invitations, the platform ensures seamless, secure, and efficient photo delivery to all members and event participants. All media assets are encrypted and securely stored on AWS, ensuring complete data ownership and privacy. To preserve and showcase our growing visual archive, COA has also launched the "COA Photo Gallery", integrated with our official website www.coa.gov.in. The gallery serves as a centralized digital repository celebrating the Council's milestones, events, and initiatives. Explore it at https://coa.kwikpic.in/

59. COA ON SOCIAL MEDIA : The Council of Architecture continues to strengthen its digital presence across all major social media platforms. Through these channels, COA actively works towards creating awareness among architects about the Council's initiatives, policies, and e-services, while also educating the public about the importance and impact of architecture in everyday life. Regular updates on events, conferences, and activities, along with timely notifications regarding NATA and PGETA — including important dates, schedules, and preparation tips — have helped COA build a strong and trusted digital identity. With a thriving online community of over 63,000 followers on Instagram and 25,000 on Facebook, COA's reach continues to expand, crossing over one million views collectively. Social media has also emerged as a dynamic communication channel, allowing architects, students, and the public to directly engage with the Council. Through consistent interaction and prompt responses, COA ensures accessibility, transparency, and an open line of communication with its audience.

60. ACKNOWLEDGEMENT: The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its Officers, all State Governments, Union Territories, all Architectural Institutions for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council, Experts, Auditors, Advocates, other professional bodies, practicing architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council would like to thank Hon'ble Shri Nitin Gadkari Ji, Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Govt. of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, Hon'ble Minister of Education, Govt. of India and Shri Piyush Goyal, Hon'ble Commerce Minister, Govt. of India, Chairman, Shri Hardeep Puri, Hon'ble Minister of Housing & Urban Affairs, Govt. of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Hon'ble Union Minister of Tourism, Govt. of India, Km. Pratima Bhowmik, Minister of State of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, Shri Rajesh Agarwal, Secretary, DEPWD, Govt. of India,. Parliamentary Standing Committee on Education, for their kind support and guidance to Council from time to time. The Council also expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2024-25.

Dated: 01.09.2025

R. K. OBEROI, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./611/2025-26]

Audit Report and Financial Statement for Year: 2024-25

To,
The COUNCIL OF ARCHITECTURE
Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Council of Architecture ("the Council), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Statement of Income and Expenditure, the Statement of Receipt & Payment for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "Financial Statement")

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report the aforesaid financial statement give the information required by the Council of Architecture Regulation, 1972 (as amended up to date) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Council as at 31st March 2025, its surplus and its receipt & payment for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

We further draw attention to Note No.3 the Council has transferred fund from "General Fund/Surplus/ Deficit account" to "House Building Premises Fund". The above fund pertains to the FY:2017-18 for Rs. 10.57 Cr, for FY:20 18-19 of Rs 14.26 Cr and for FY 2019-20 of Rs 18.90 Cr. As per the provisions of Income tax act 1961 and rules made thereunder, which states that the earmarked funds should be

used for the specific purpose only and moreover utilization of the above fund should be made within a period of Five years, from the end of the financial year of creation of the fund. During the current year, the funds for the FY: 2019-20 is not utilized up to the end of financial year, due to which it should also be treated as the Taxable Income of the Council for current financial year, in respect of the fund created in the FY:20 17-18,utilization was required to be made on or before 31.03.2023. due to this same should be treated as taxable income of FY 2022-23 and in respect of the fund created in the FY:2018-19, utilization was required to be made on or before 31.03.2024. due to this same should be treated as taxable income of FY 2023-24 but same is not offered for tax in FY 2023-24. Due to this total income of the Council for current financial year is understated by 43.73 Cr and House Building Premises Fund is overstated by same figure, however the Council is consistently making efforts for utilisation of fund and made application for allowing extension of time for utilisation of fund for FY 2017-18 and FY 2018-19 to Chairman,CBDT, which is yet to be disposed of by income tax department.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Council in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Council's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance the Council. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Council and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection, application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Council's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Council or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are also responsible for overseeing the Council's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.

• Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Council's internal controls.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Council's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Council to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieve fair presentation.

• We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

• We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposeof our audit have been received from the branches not visited by us.

c) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Statement of Receipt and Paymentdealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.

For B C JAIN & Co.,
Chartered AccountantsFRN: 001099C
Sd/-
CA Shyam Ji GuptaPartner
Mem No.416155
UDIN:25416 155BMLMSC9135
Place: New Delhi Date:24-09-2025

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025 (Amount – Rs. in Lacs)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF INDIA	1	1.50	1.50
EARMARKED FUNDS	2	16366.50	15132.60
LIABILITIES	3	2745.26	2840.24
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	5534.70	4902.76
TOTAL		**24647.96**	**22877.10**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	2421.21	2391.11
INVESTMENTS	5	21324.71	19023.47
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	902.04	1462.52
TOTAL		**24647.96**	**22877.10**
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025 (Amount – Rs. in Lacs)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	8	706.84	580.56
Other Income	9	646.77	1041.21
Interest Earned	10	1153.57	1077.51
TOTAL (A)		**2507.18**	**2699.28**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	11	306.17	237.74
Administrative Expenses	12	223.24	155.73
Expenses related to Promotion of Education & Practice	13	254.10	273.10
Depreciation	4	32.95	33.90
TOTAL (B)		**816.46**	**700.47**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		1690.72	1998.81
Transferred to Surplus and Deficit Account		1690.72	1998.81

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2025 **(Amount - Rs. in Lacs)**

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			**I. Expenses**		
a) Cash in hand & Drafts	0.08	6.51	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 11)	306.17	237.73
b) Online PG Receipts	0.41	1.71	b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 12)	223.24	155.73
c) Bank Balances			c) Workshops Exps.-Pratyasha/International Conference/Student Biennale	8.26	77.51
1) In Current/OD accounts	26.26	2.49	d) Thesis/Heritage Award Programme Expenses	49.19	51.93
2) Savings Accounts	185.72	289.95	e) Architects Expenses- COE, Bengaluru/ NBCC Okhla office	3.50	9.97
II. Funds Received			f) Centre for Excellence, Bengaluru Exps.	14.81	0.00
a) Evaluation Fees	454.45	601.40	g) Film on Architectural Awareness Exps.	0.00	1.05
b) Charges for Review of Decision	0.50	0.50	h) Digital/ E-Library Exps.	13.28	0.00
c) Fine/ Penalty from Intuitions	3.47	18.60			
d) Charges for Change of Name/Site/Closure/Merger of Institution	58.00	41.00			
e) Administrative Charges	1.10	0.00			
III. Interest Received			**II. Payments made against funds for various Projects**		
a) On Bank deposits	1,091.56	1055.92	a) NATA/PGETA Expenses	519.34	281.27
b) On Loans, Advances etc.	8.24	8.79	b) Evaluation & Inspection Expenses	210.56	237.71
c) On Savings Bank Account	21.64	12.80	c) Arbitration Expenses	0.09	0.00
d) On Income /Service Tax Refund	32.13	0.00	e) Building Audit Tools Exps.	5.17	0.00
IV. Fee Income			d) Publication Expenses	96.06	120.07
a) Additional Qualification Fee	0.00	0.00	f) BEE Program Expenses	0.00	0.00
b) Registration Fee	82.14	85.55	g) Conduct of Quality Improvement Programme Expenses	63.83	49.53
c) Renewal Fee	136.44	114.69			
d) Restoration Fee	105.58	85.14			
e) Duplicate Certificate Fee	2.23	2.08			
f) Fine from Architects	250.92	172.41	**III. Other Payments**		
g) Apportionment of One Time Renewal Fees	125.95	118.44	a) TDS deducted by the Bank/Companies	23.04	108.05
h) Architects Identity Card Fee	3.58	2.26	b) Advances to Staff	44.56	32.58
V. Other Income			c) Other Advances	3.27	17.71
a) Income from Publications	154.65	103.74	d) Apportionment of One Time Renewal Fees	125.94	118.44
b) RTI Fees	0.00	0.00	e) NATA Fee Advance	310.37	148.30
c) NATA/PGETA Fees	644.41	734.43	f) Evaluation Fees Advance	426.47	532.10
d) Student Biennale/International Conference/Heritage Walk	1.47	43.69	g) Amount receivable / Payable	58.91	51.11
e) Misc. Income/Arbitration Fee	6.74	0.27	h) Bank Interest Accrued for the Year	137.87	131.58
f) Participation Fees for Quality Improvement Programmes	41.97	43.52	i) Interest Accrued on Staff Advance	8.24	8.79
g) Thesis Award Programme - Sponsorship	10.00	10.00	j) Prepaid Expenses for NATA Examination	49.90	24.57
VI. Other Receipts			k) Refund of Security deposits from Existing Architectural Institutions	0.00	0.00
a) One Time Renewal Fee	301.08	287.04	l) Refund of Security deposits from New Architectural Institutions	75.00	75.00
b) FDR's Matured during the Year	13,100.68	1503.41	**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
c) Advances Recovered from Staff	39.87	31.27	a) Purchase of Fixed Assets	63.04	58.69
d) Other Advances Recovered	40.17	32.28	**V. Investments and deposits made**		
e) Interest adjusted agst. Interest Accrued	255.56	26.86	a) Out of Earmarked/Endowment funds	15,396.92	3554.34
f) Taxes/ Amount/Postage payable	23.37	47.23	b) Out of Security Deposit Received from Architectural Institution	5.00	75.00
g) NATA Fees Advance	188.50	310.37			
h) Evaluation Fees Advance	480.20	426.47			
i) Security deposits from New Architectural Institutions	80.00	150.00	**VI. Closing Balance**		
j) Income Tax Refund	418.83	0.00	a) Cash in hand & Drafts	0.92	0.08
			b) Bank Balances		
			1) In Current/OD accounts	3.31	26.26
			2) Savings Accounts	124.70	185.72
			3) Online PG Receipts	6.94	0.00
TOTAL	**18,377.90**	**6,370.82**	**TOTAL**	**18,377.90**	**6,370.82**

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
For B.C. Jain & CO.
Chartered Accountants
FRN: 001099C

(CA Shyam Ji Gupta)
M.N.:416155

Place : New Delhi
Date :24.09.2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.